

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXIV, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 25, Thursday, April 06, 2017/Chaitra 16, 1939(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 461 to 466	13-81
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 467 to 480	82-117
Unstarred Question Nos. 5291 to 5520	118-558

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	559-562
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 43 rd Report	563
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 33 rd Report	563
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE Action Taken Statements	564
SUBMISSIONS BY MEMBERS	
(i) Re: Reported lynching of cow smugglers by vigilant groups across India including the recent attack in Rajasthan	566-569
(ii) Re: Imposition of 'flying ban' on Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad by Air India and other Airlines causing violation of fundamental right and privilege granted to members	570-572
(iii) Re: Review of the system of voting through electronic machines	590-592
(iv) Re: Welfare schemes for Handloom weavers	594-597

MATTERS UNDER RULE 377 603-623

- (i) Need to convert Ait-Konch, Konch-Jalaun, Konch-Rawatpura and Konch-Salaiya sections of roads in Jalaun parliamentary constituency, Uttar Pradesh into four-lane

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 604

- (ii) Need to establish a Sainik School, CSD canteen and Sainik Welfare Board in Aurangabad district, Bihar

Shri Sushil Kumar Singh 605

- (iii) Need to open a Medical college at Chatra, Jharkhand

Shri Sunil Kumar Singh 606

- (iv) Need to establish a Trauma Centre at Gajraula in Uttar Pradesh

Shri Kanwar Singh Tanwar 607

- (v) Regarding fake complaints lodged by prisoners against Jail officials

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 608

- (vi) Need to create employment opportunities in agriculture, food-processing, medicinal plants and other forest produce in Uttarakhand

Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' 609

- (vii) Need to declare Bhatewar-Bhindar Kanod-Dhariyawad road in Rajasthan as a National Highway

Shri Chandra Prakash Joshi 610

- (viii) Need to spread awareness about procedure to be followed in case of perceived medical negligence

Shrimati Meenakashi Lekhi 611

- (ix) Regarding Tobacco industry
Shri Shyama Charan Gupta 612
- (x) Need to review the decision to make BIS certification mandatory for electrical transformers
Shrimati Rakshatai Khadse 613
- (xi) Regarding shifting of Mulund East Post Office in Mumbai
Dr. Kirit Somaiya 614
- (xii) Need to implement Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana at Panchayat and village level
Shri Ravindra Kumar Ray 615
- (xiii) Need to probe the issue of violation of land-lease agreement by Tata Steel and DVC, a public sector undertaking in Jharkhand
Shri Ravindra Kumar Pandey 616
- (xiv) Need to extend the dam on river Kosi in Supaul and Madhubani districts to Saharsa district in Bihar
Shrimati Ranjeet Ranjan 617
- (xv) Need to declare 72 Kms of State Highway between Asia Highway No. 7 and National Highway No. 150A as National Highway
Shri S. P. Muddahanume Gowda 618
- (xvi) Need to revive Muslin Khadi industry in West Bengal
Dr. Ratna De (Nag) 619

- (xvii) Regarding renaming of sub-urban railway stations in Mumbai
 Shri Arvind Sawant 620-621
- (xviii) Need to rescind the sections 78, 79 and 80 of the Punjab Reorganisation Act, 1966
 Shri Dharam Vira Gandhi 622
- (xix) Need to take stringent action against microfinance companies fleecing borrowers in rural areas particularly in Maharashtra
 Shri Raju Shetty 623

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2017

- Motion to Consider 624
 Shri Santosh Kumar Gangwar 624-625,
 687-690
- Dr. Shashi Tharoor 626-638
 Shri Nishikant Dubey 639-650
 Shri Kalyan Banerjee 651-656
 Shri Bhartruhari Mahtab 657-663
 Dr. Ravindra Babu 664-667
 Dr. A. Sampath 668-672
 Shri Konda Vishweshwar Reddy 673
 Shri Varaparasad Rao Velagapalli 674-676
 Shri Subhash Chandra Baheria 677-679
 Shri Jai Prakash Narayan Yadav 680-681
 Shri Rajesh Pandey 682-684
 Shri Kaushalendra Kumar 685-686

Clauses 2 to 16 and 1	690-692
Motion to Pass	694
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (REPEAL) BILL, 2017 AND CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY THIRD AMENDMENT) BILL, 2017	695-704, 706-733
Motions to Consider	706
Shri Thaawar Chand Gehlot	706-714
Shri Rajeev Satav	716-721
Shri Hukmdeo Narayan Yadav	728-733

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR 705**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 734

Member-wise Index to Unstarred Questions 735-740

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 741

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 742

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, April 6, 2017/Chaitra 16, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जय महाराष्ट्र, जय भारत, सब जय-जय।

...(व्यवधान)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : मैडम, आप दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खडगे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, यह इंपोर्टेंट है। राजस्थान की बात है, जो राजस्थान में हुआ है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Kharge-ji, I will allow you after the Question Hour, not now.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : सब लोग ऐसा करेंगे, तो मैं किसकी बात सुन पाऊंगी?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आफ्टर क्वेश्चन ऑवर।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Everything after the Question Hour, not like this.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी क्वेश्चन ऑवर के बाद मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन 461.

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

11.02 hours

(At this stage, Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

माननीय अध्यक्ष : गीते जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

11.02 ½ hours

(At this stage, Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members went back to their seats)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): शिवसेना के नेता को केवल दो मिनट के लिए आप सुन लीजिए, बाद में आप निर्णय लीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल भी अवसर दिया था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इनको भी अवसर नहीं दे रही हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अडसुल जी, बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री आनंदराव अडसुल : दो मिनट में मैं खुद नहीं बोलने वाला हूँ। रविन्द्र गायकवाड़ जी खुद यहां मौजूद हैं। वे अपना स्टेटमेंट यहां रखने वाले हैं। अगर आप अभी समय देती हैं तो अभी स्टेटमेंट रखेंगे। अगर जीरो ऑवर में अवसर देंगे, हम कोआपरेट करने के लिए तैयार हैं, 15 दिन से हम कोआपरेट करते आए हैं, मामला उठाते आए हैं। हमें आज तक न्याय नहीं मिले हैं। अभी वे खुद आए हैं, यहां स्टेटमेंट देने वाले हैं। अगर अभी समय देते हैं, तो वेलकम।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में।

श्री आनंदराव अडसुल : जीरो ऑवर में उनको शांति से बोलने का मौका मिले। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में अवसर दे दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी मौका दूंगी। मैंने कभी किसी को शून्यकाल में बोलने से मना नहीं किया है, हर एक को मौका देती हूँ।

... (व्यवधान)

11.03 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन 461.

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : उपस्थित नहीं।

Now, the hon. Minister.

(Q. 461)

श्री राम प्रसाद सरमा : महोदया, मैं नॉर्थ-ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी के ऊपर प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या हमारे माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि तेज़पुर में डेली फ्लाइट कब देंगे? लखीमपुर, जोरहाट, दीमापुर, नॉर्थ-ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी उड़ान के अन्तर्गत लायेंगे या नहीं? तेज़पुर में बहुत ही पोटेंशियल है।

माननीय अध्यक्ष : फॉरेन एयरलाइन्स की बात हो रही है। आप प्रश्न से सम्बन्धित कुछ पूछिए। इसके लिए मैंने अलाऊ किया है। आपने प्रश्न पढ़ा है?

श्री राम प्रसाद सरमा : जी, पढ़ा है। हम तो असम को लेकर चिन्तित हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है, डेली फ्लाइट नहीं है। दिल्ली टू तेज़पुर फ्लाइट की हम डिमांड करते हैं। माननीय मंत्री जी हमको किसी तरह से डेली फ्लाइट दीजिए। यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी है। यहाँ 200 चाय बागान हैं, फोर कोर आर्मी हैडक्वार्टर आदि सब कुछ है।

माननीय अध्यक्ष : अगर मंत्री जी को जवाब देना हो तो दे सकते हैं। This is not a related question. Mr. Minister, you may answer it if you want to.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU : This is not related to the main question but I will answer it.

Madam, recently we have come up with this rural connectivity scheme under which Deccan Charters has given the tender for Imphal, Dimapur, Aizawl, Agartala and Silchar. So, we expect these to start in the month of June.

SHRI B. VINOD KUMAR: Hon. Speaker Madam, Hyderabad Airport handles about 7.6 million passengers annually. My question is not directly connected to regional connectivity. But I would like to say that many passengers from Hyderabad fly abroad, particularly to the United States, that is New York and

Dallas. I would like to ask the hon. Minister whether there can be a direct flight from Hyderabad to these cities.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I will keep this suggestion in mind.

SHRI M.K. RAGHAVAN: Madam, the air travel, especially in the Indo-Gulf region is always a matter of concern. More than 10 million Indians are employed in the Gulf region and majority of them are low wage workers. For them, the only mode of travel to India is by air. The Government is aware that the airlines charge exorbitant air fares, especially during festivals and holiday periods. The Government has entered into open sky policy on a reciprocal basis with the SAARC countries. I would like to ask the hon. Minister whether the Government will also enter into a similar policy with the Gulf countries. Will the Government also take action in cases where Indian carriers have not utilized more than 80 per cent of their capacity entitlements whereas foreign carriers have utilized their bilateral rights for allotment of additional capacity entitlements? What steps is the Government going to take in this regard?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: As per my latest information, Indian carriers are performing according to the air service agreements and they have crossed 80 per cent capacity utilization and in certain cases, more than 90 per cent. So, those air service agreements have to be negotiated with the concerned sovereign countries and these things can be expanded. It is a routine thing.

श्री तारिक अनवर : महोदया, बिहार की राजधानी पटना है, एक समय था कि वहां फॉरेन कनेक्टिविटी के नाम पर नेपाल एयरलाइंस आया करती थी और वहां से बनारस जाया करती थी और फिर बनारस से काठमांडु जाया करती थी। लेकिन इधर कई वर्षों से यह रूट बंद है। उसी तरह से खाड़ी के देशों में बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग काम करते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या पटना से एन.आर.आई. कनेक्टिविटी के लिए ऐसे कुछ लोग हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, ताकि खाड़ी देशों से सीधे पटना को जोड़ा जा सके और फिर दोबारा नेपाल एयरलाइंस या हमारी इंडियन एयरलाइंस काठमांडु जाए, ऐसी कोई योजना है?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: These are the suggestions which I can pass on to the airlines for necessary action.

श्री ददन मिश्रा : महोदया, श्रावस्ती और कुशीनगर दोनों बुद्धा सर्किट का हिस्सा हैं। दोनों में एक साथ हवाई पट्टी बनी थी और दोनों का कमर्शियल फ्लाइट के एक्सटेंशन के लिए एक साथ प्रस्ताव हुआ था। कुशीनगर में तो भूमि अधिग्रहण कर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन भी रहा है। श्रावस्ती में प्रस्ताव अभी शून्य पर है, भूमि अधिग्रहण तक नहीं हो पाया है। जब तक श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, ये पांचों जो बुद्धा सर्किट के महत्वपूर्ण अंग हैं, पांचों का एक साथ विकास किया जाएगा तो इससे पर्यटन की सबसे ज्यादा संभावनाएं विकसित होंगी। पूरे विश्व के जितनी बुद्धिस्ट देश हैं, उनके पर्यटक यहां आते रहते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि श्रावस्ती हवाईपट्टी का कब तक विस्तार कर के कमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू करने की योजना है?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: We are the fastest growing aviation market in the world and we intend to keep this momentum. Wherever it is practical, we are going ahead and doing work.

श्री आनंदराव अडसुल : अध्यक्ष महोदया, हमारे सिविल एविएशन मंत्रालय ने रीजन कनेक्टिविटी की एक स्कीम शुरू की है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरा चुनाव क्षेत्र अमरावती है, जो कि एक महानगर निगम भी है और उसकी आबादी दस लाख की है। अगल-बगल में पांच जिले हैं, जिसका रेवन्यु सेंटर भी है। यहां बड़े-बड़े होल सेल मार्केट भी हैं। पुणे के लिए पांच रेल गाड़ियां चलती हैं। मुम्बई के लिए भी आठ गाड़ियां चलती हैं। देश के हर कोने से ट्रेनें चलती हैं। जब सर्वे हुआ तो पता लगा कि हैदराबाद, मुम्बई, पूना और दिल्ली के लिए ऐवरेज ढाई सौ एयर टिकट बुक होती हैं यानी वॉयबिलिटी है। फिर भी सरकार ने 1260 मीटर के रनवे के एक्सटेंशन के लिए, 1860 बनाना है तो लैंड ऐक्वीजिशन भी हो चुका है। क्या उन्हें रीजनल कनेक्टिविटी पॉलिसी में लिया गया है? यदि नहीं लिया गया है तो कब लेंगे, क्योंकि यहां तक तैयारी है, सब वॉयबिलिटी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एयर शिफ्ट बढ़ाने का काम कब शुरू होगा और उसे कनेक्टिविटी में गिना गया है या नहीं?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, in Maharashtra, at Jalgaon, Kolhapur, Nanded, Nasik and Sholapur, the airlines have come and given tenders for these. They are Deccan Charter and Turbo Mega Airways. These two airlines have come in. We think that if everything goes according to plan, they will be operational by September this year.

HON. SPEAKER: Shri Piyush Goyal, your hour starts now. All the Questions from now are relating to your Ministries.

(Q. 462)

HON. SPEAKER: Shrimati Hemamalini, your supplementary please.

SHRIMATI HEMAMALINI : Thank you, Madam.

Just like India has been harnessing solar and wind energy, I find that there has been no significant step or policy initiative in the direction of harnessing tidal energy as a potential renewable energy on the part of the Government of India. Just about 20 locations on earth have high tide and India is one of them. India has a long coastline of about 7,500 kilometres with estuaries and gulfs where tides are strong enough to move turbines for electrical power generation. The tidal energy sector has the potential to grow fuelling economic growth, reducing carbon footprints and creating jobs not only along the coast but also inland along its supply chains. I would like to know from the Government whether it is working on or planning to conduct a feasibility study for establishing tidal energy plants in the coastal areas having potential to generate tidal energy.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, India is blessed with a long coastline and the Government is very conscious that we must promote and develop newer forms of energy. Tidal energy is still at a pre-R&D stage. Worldwide there are experiments being done. In fact, when we look at the entire world, the total tidal wave energy that has been produced is about 754 megawatts only and the cost of generating that power is between Rs. 17 and Rs. 36 per unit.

In this context, India continues to pursue the task of R&D in this field. We are not rushing into it; we would not like to burden the people of India with such expensive power, but going forward as technology matures and Indian local scientists and researchers come up with better and more cost effective means of generating tidal energy we are open to the suggestion of exploiting the tidal energy potential of India.

SHRIMATI HEMAMALINI : By 2022, India plans to generate around 225 gigawatts energy from clean and renewable sources and become a global hub for

renewable energy. This target can be achieved provided the climate and global warming related development take place as per the resolutions adopted at various global summits. I want to know from the Minister whether India is steadfast in its commitments to the Paris Climate Agreement despite the change in the thinking of the current US Administration.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, what is happening in certain parts of the developed world is an area of concern for the entire world. When the former US President was in India in a Press briefing the hon. Prime Minister Narendra Modi was asked what would happen if there was a change in thinking in other parts of the world about the concerns over climate change.

The hon. Prime Minister had with conviction stated that addressing the concerns of climate change, caring for the environment, is an article of faith for this Government. We are not doing it because any other country wants us to do it. We are not doing it because the developed world, America, Europe, Japan or Australia tells us to do it. India is concerned for the environment because it is intrinsic in our thinking, in India's philosophy. Even Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, had articulated that we are only trustees on this earth. We have inherited the earth as trustees for our next generation. Hon. Prime Minister and the Government at the Centre believe in this philosophy. We will stand by our commitments made in Paris irrespective of what the world does.

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, in respect of India's perspective there is tremendous scope of energy from the ocean. We have a long coastline of more than about 7,500 kms. and 336 islands in Bay of Bengal and Arabian Sea. The Council of Scientific and Industrial Research has done a few successful pilot projects on marine, tidal, wave and mechanical energy. Presently, the Central Government wants to set up economic power potential plants in the Gulf of Cambay, Gulf of Kutch and the Gangetic Delta in the Sunderbans region of Durga Duani Creeks with the completion target.

Has the Government now proper institutional policy framework and adequate infrastructure with finding proposals to achieve success in the tidal power sector?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, this shows the great depth of research that our hon. Members do when they come with the supplementaries. I agree that India has a very large coastline but in order to harness tidal energy we need a base level tidal movement of at least 5 m. When you look at the coastal map of India this high degree of tidal wave is largely concentrated in Maharashtra and Gujarat and much less in Tamil Nadu. In Tamil Nadu it is usually about 1 m or so. When we look at the coastline on the West Bengal borders it goes between 4 m. to 5 m.

This is an evolution process. We are still in the early stage of development of tidal energy. India is doing research and development because we believe India should now start being in the forefront of technology development, not depend on the Western world to bring new technology. As I said earlier, the cost of harnessing this energy is extremely expensive. India cannot afford such expensive power. The people of India would like to look at more and more affordable availability of power. The study that IIT Chennai and CRISIL had done showed about 12.4 GW potential in the entire Sunderbans area only but the cost being so prohibitive we are yet waiting to further process in the matter.

HON. SPEAKER: Shashi Tharoor ji. I think you have got the answer.

DR. SHASHI THAROOR : Thank you very much Madam, Speaker. I was looking at the Minister's reply with interest because he has made a number of points here. One is about 12,455 MW potential at 46 potential tidal locations but there as you know, Mr. Minister, my understanding is that it is only in those places where the gap between the high tide and the low tide is at least 5 m. or 16 feet that you can meaningfully be able to generate electricity. Therefore, in India there are only two places where that is true, the Gulf of Cambay and the Gulf of Kutch. In fact, the Sunderbans and Kerala where we also have high tides do not seem to have that kind of effect.

Secondly, when you are talking about the high capital cost, you have not taken into account presumably the carbon credits we can get. As you have assured your hon. colleague that we are going to fulfill the commitments of the Paris Agreement it means we would want to have larger quantities of green energy, clean energy that we can show to fulfill our targets and reduce the cost.

And, finally, as far as R&D is concerned, if the world is in the pre-R&D stage, why can we not give incentives from the Government to our Universities, including private Universities, so that our students can actually devote themselves to researching a subject that nobody else is doing right now in the world. So, we can actually take some advantage of this. Thank you, Madam Speaker.

HON. SPEAKER: Both of you know things in detail. I do not know as to why are you asking the question.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, as the hon. Member has rightly said that Kerala has about one and a half metre high tides so we are not able to exploit the potential over there.

As regards Research and Development, certainly India would like to be at the forefront of technology development. The Ministry of New and Renewable Energy does look at this very seriously and we promote our entrepreneurs in this area, particularly the institutes of high learning like IITs or IISc.

As regards the carbon credit, it saddens me to share with this august House through you, Madam, that the carbon credit was a very noble objective or noble outcome of earlier discussions on climate change. But, over the last few years, the developed world has almost given it a go-by. It has almost become a history. The current price of carbon credits are at an all-time low. Even if we get those carbon credits, it does not substantially affect the eventual price to the consumer.

One another point which I would like to share, since Kerala and West Bengal both have shown interest in this subject, is that we are also very concerned and compassionate about the aquatic life on the coastal lines. So, we have to balance all of these. India has sufficient sources of clean energy potential through

solar, hydro and wind, etc. We are also developing biomass in a big way. We are looking at focusing on waste-to-energy. So, India has significant other potentials, now in the new regime of high volumes, totally e-bidding and integrity-based purchase, where we have been able to bring down this cost significantly. We are focusing on those areas.

(Q. 463)

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO : Thank you, Madam. IREDA had come into existence way back in the year 1987 primarily to promote development and extend financial assistance to the projects of various types of renewable energy. I would like to know whether any review has been done in the last three years since the Government took over in May 2014 to know the benefits being received from the solar energy, wind energy and also hydel energy.

SHRI PIYUSH GOYAL: What am I supposed to respond? To which particular question I can respond to?

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO : How much are they going to get?

SHRI PIYUSH GOYAL: I have given the details of several schemes in today's Unstarred Questions. All of them are available on the website. If I start announcing all the schemes, that is, solar or other forms of renewable energy, then the rest of the Question Hour will go. But, broadly, I can just tell you that this Government is trying to move away from subsidies and making these programmes more and more self-sufficient as we bring the prices down. But, there are certain areas, for example, rooftop energy in which we are trying to promote more and more people to come in. Since the cost is high being a small-sized project, we are giving subsidy or an incentive up to about 30 per cent.

Similarly, for biogas - when you make *gobar* gas to energy - we are giving an incentive of roughly about 30 per cent. We are working out schemes from time to time for different forms of energy after looking at their potential, the need for that and for other overall projects of the Government like Swachata Abhiyan. But, the Government's ultimate objective is to move away from the subsidy regime, make these programmes self-sufficient and encourage wider dispersal of these programmes.

HON. SPEAKER: Now, the second supplementary.

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO: I would like to know whether solar energy and wind energy generation have increased during the last three years. If 'yes', then what is the amount?

I would also like to know what the status of solar and wind energy generations in the new State of Andhra Pradesh are?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, the increase of renewable energy capacity in the last three years has been quite phenomenal. In solar, for example, when this Government was sworn in, the total installed capacity in the country was 2,650 mega watt. I am delighted to share with this august House that on 31st March, 2017, it has gone up to over 12,000 mega watt, which is an increase of nearly 370 per cent in only three years. So, what was done in so many years, 2650 MW, as against that in the last year alone we have added more than 6000 MW. Similarly, in wind in the last year we added approximately 5400 MW of wind and that is twice what was added in the earlier year. So, we are giving a lot of impetus to different forms of renewable energy.

The State of Andhra Pradesh has been the vanguard, in the front of renewable energy. We have very large solar parks slated to come up in the State of Andhra Pradesh. The Andhra Pradesh Government has also supported wind energy. They do not have much of hydro power, so that is one area where the State of Andhra Pradesh is not involved. By and large, I see great traction and potential in the State of Andhra Pradesh. With regard to waste to energy is another area where we are in dialogue with the State of Andhra Pradesh.

श्री हुकुम सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उनका हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। आप सरकारी क्षेत्र में जेनरेशन बढ़ा रहे हैं। अब चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, पूरा इंसेंटिव भी दे रहे हैं। लेकिन निजी क्षेत्र में जहां लोगों के छोटे-छोटे घर हैं, वे चाहे गांव में हैं या शहरों में हैं, उनकी छतें खाली पड़ी हुई हैं। उनकी इच्छा है कि किसी तरह से हमारे यहां इक्विपमेंट लग जायें और हम लोग जनरेट करना शुरू कर दें। वे अपना काम उससे चला लें, लेकिन उस क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था, उतना काम नहीं हो पाया।

मैं इस संबंध में एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं आज से दो साल पहले एक स्कूल में गया था। वह स्कूल इंटीरियर में था और उनके यहां कोई लाइट नहीं थी। उन्होंने मुझसे इस बारे में मांग की, तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा सोर्स यही है कि आप सोलर एनर्जी लगवा लीजिए। मैंने कम से कम छः पत्र लिखे होंगे कि सांसद निधि से वहां सोलर एनर्जी लगाई जाये। मैं उस क्षेत्र का सांसद होते हुए भी जिला प्रशासन को तैयार नहीं कर पाया। इसका कारण यह है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियां, चाहे वे प्रदेश सरकार की हों या किसी और सरकार की हों, इक्विपमेंट देती हैं और दूसरी ओर निजी क्षेत्र की कम्पनियां देती हैं। इन दोनों की दरों में जमीन-आसमान का अंतर है। जो सरकारी दरें हैं, वे निजी क्षेत्र की दरों से दो-ढाई गुना ज्यादा हैं। मैं निजी क्षेत्र की कम्पनियों को क्यों बर्बाद होने दूँ? दूसरी ओर उनके स्वार्थ के लिए क्यों पैसा दूँ? क्या आप इसमें कोई स्पष्ट निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे, ताकि इस प्रकार का अंतर्विरोध पैदा न हो?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, चुनाव खत्म हो गये हैं, इसलिए अब इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। हम इतिहास में बैठे रहें, तो आगे प्रगति नहीं हो पायेगी। ... (व्यवधान) पहले कीमत ज्यादा थी, तो अब आपको राज्य सरकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब नयी व्यवस्था में नये तरीके से, ईमानदार तरीकों को अपनाकर, जो रिवर्स बीडिंग वगैरह केन्द्र सरकार ने किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि नयी सरकार अब नये तरीके से अपनी परचेज पालिसी बनायेगी।

जहां तक छोटे घरों में सोलर रूफटॉप लगाने की बात है, तो मैं माननीय सांसदों को बताना चाहूंगा कि जहां पर बिजली की दर तीन रुपये या साढ़े तीन रुपये है, हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को सौ यूनिट बिजली पहले तीन रुपये में देगी, तो उस कीमत पर सोलर लगाना शायद वायेबल नहीं होगा। उसमें हम कितनी भी सब्सिडी जोड़ दें, तो आज के दिन वह वायेबिलिटी नहीं बैठेगी।

जहां तक स्कूल की बात है, तो जो सरकारी स्कूल, सरकारी व्यवस्था है, जैसे कोई पंचायत का दफ्तर या स्कूल, कालेज, अस्पताल हों, उनमें रूफटॉप लगाने के लिए हम जरूर इंसेंटिव और सब्सिडी देते हैं। निजी क्षेत्र के स्कूल, कालेज के लिए इंसेंटिव और सब्सिडी इसलिए नहीं दी जाती, क्योंकि इतिहास में हमें जो जानकारियां मिली हैं, वे ठीक नहीं थीं। ... (व्यवधान) अगर वह सरकारी स्कूल है तो हम सब्सिडी दे सकते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनका प्रश्न अलग है।

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : अगर खर्चा दोगुना है, तो वह पुराना है। अब आप नयी सरकार के साथ चर्चा करें। ... (व्यवधान) उस पालिसी को सुधार करके खर्चा भी सही हो जायेगा। ... (व्यवधान)

उनका जो सवाल था, उसका उत्तर मैंने पहले दे दिया था। ... (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : सांसद निधि से काम किया गया, पैसा नहीं दिया गया। ... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : सांसद निधि से काम करवाने की बात है, तो राज्य सरकार की दर निजी क्षेत्र से दोगुनी थी। मैंने इसलिए कहा है कि अब राज्य सरकार बदल गयी है और वह नये तरीके से खरीदेगी।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: I want to draw the attention of the hon. Minister to one point. Hon'ble Minister is incharge of Coal and Power. After this Government has come to power, this Government has been collecting an additional cess of Rs. 200 per tonne by which the Government of Odisha is giving Rs. 6,400 crore. My point is regarding the solar system. Why not 50 per cent of the money that has been deposited from the Government of Odisha through mines be spent for renewable projects which are coming up in Odisha?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, first of all, I would like to correct the hon. Member of Parliament. It is not Rs. 200 per tonne but it is Rs. 400 per tonne.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: I am talking about extra cess after this Government has come to power.

SHRI PIYUSH GOYAL: After this Government has come to power, we increased the cess from Rs. 50 to Rs. 400. It is almost eight times increase because we believe in clean energy. As I said to the earlier question, we believe that renewable energy is good for India and it also provides energy security.

As regards the hon. Member's suggestion about Odisha, the Central Government schemes to promote renewable energy are not based on where the tax is collected. If one was to use that argument for other schemes, then I come from Mumbai and we will start demanding 30 per cent of the total tax collection to be spent in Mumbai. It does not work that way. This is one country-one nation. Development projects are carried out across the nation. The hon. Chief Minister and the Government of Odisha are in dialogue with me. They raised this issue with me. I told them to give as many projects as they want to give for Odisha. The Government is willing to consider it. Sadly, I have not received any projects from

Odisha. Why 50 per cent? you may take 100 per cent of what is collected from Odisha. But please put up some proposals for us to consider.

(Q. 464)

श्री अभिषेक सिंह : अध्यक्ष महोदया, भारत का एविएशन सेक्टर, इस देश में और पूरे विश्व में जो एविएशन ग्रोथ हो रही है, उसमें सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद, हमारे देश में 31 एयरपोर्ट्स ऐसे थे जहां से कोई भी फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं थी और 12 एयरपोर्ट्स ऐसे थे, जो अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स कहे जाते थे। मैं केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन सभी को क्लब करते हुए 70 नए एयरपोर्ट्स में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, 128 नए रूट्स को लेकर इस देश में एक ऐतिहासिक क्रान्ति का संचार किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के चार नए एयरपोर्ट्स शामिल हैं, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की ओर से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

इन छोटे शहरों में जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे मेडिकल इमर्जेंसी हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनती है तो वहां से अर्जेंट इवैकुएशन करना पड़ता है। इसके अलावा, हमारे देश के कई एयरपोर्ट्स सैचुरेट होते जा रहे हैं, उनमें दिन में ज्यादा फ्लाइट्स लेने की क्षमता कम हो रही है। लैण्ड एक्वीजिशन एवं शहर के बीच आने से उनकी स्थिति बड़ी क्रिटिकल बन जाती है। कई ऐसे शहर हैं, जहां सीजनल ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा, यदि हम रात में नाइट लैंडिंग फेसिलिटी देते हैं तो कॉस्ट भी कम आती है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से जो एयरपोर्ट्स लिए हैं, क्या भविष्य में वहां भी नाइट लैंडिंग फेसिलिटी उपलब्ध कराने के बारे में विचार करेंगे?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, as of now, there are 47 licensed landing airports through out the country. The Airports Authority of India has done work in 82. So, there are 35 that are still to receive the licensing. Airlines have to apply for it and as soon as the Airlines apply, they have the procedure of doing a test fly and the DGCA licenses it. So, in the pipeline, we already have about 35 still to be done in the country. Then new airports can always be looked at. This is a continuous process.

I agree with the hon. Member that the airstrips are not for cattle grazing. They should be used for aircrafts.

श्री अभिषेक सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ का जो रायपुर स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट है, जब हर साल लगातार सर्वे होता है तो पूरे देश में पहले नम्बर पर कस्टोमर एमीनिटीज और कस्टोमर सैटिस्फैक्शन

सर्वे में आता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य में रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा आपके सहयोग से मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: The Government of India is promoting aviation. In fact, we have mentioned that we are the fastest growing in the world and that will definitely cover these types of suggestions.

KUMARI SUSHMITA DEV: Madam Speaker, thank you. I thank the hon. Minister. In a reply to the earlier Question he mentioned about extra flights in Silchar. मेरा प्रश्न यह है कि नाइट लैंडिंग फैसिलिटी सिल्वर जैसे छोटे शहर में बहुत जरूरी है क्योंकि जब बराक वेली में बारिश होती है तो बाकी जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे सड़कें हैं, वे नॉन-प्लायबल हो जाती हैं। उस हालात में एयरबेस एयरकम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी जो सिल्वर एयरपोर्ट में है, वह बहुत सालों से रेडी है। उसको ए.टी.सी. एयर फोर्स कंट्रोल करता है। नाइट लैंडिंग के मामले में एक सर्वे मई 2015 में हो चुका है। सी.आई.एस.एफ. ने अभी टैम्पररीली कुछ एडीशनल फोर्स दी हैं। लास्ट फ्लाइट साढ़े तीन बजे सिल्वर से निकलती है, परंतु बी.सी.एस. द्वारा एक और सर्वे किये जाने की जरूरत है। अगर वह सर्वे माननीय मंत्री जी तुरंत करवा दें, मैं चाहती हूँ कि सात बजे की फ्लाइट भी जल्दी शुरू हो जाए। मैं इस बारे में राज्य मंत्री, सिविल एविएशन से भी मिलने गई थी और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था। अगर माननीय मंत्री जी भी हाउस में यह एश्योरेंस दे दें तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: The Silchar airport is with the Indian Air Force. They have the night landing facility which exists there. It is a question of watch house. We will take it up with the Air Force and let us see what happens. ...

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : सभी एयरपोर्ट नहीं। बैठिए। सभी के हाथ ऊपर हैं।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अभी सांसद जी ने बताया, छत्तीसगढ़ और रायपुर के बदले में सूरत को बोलना चाहिए, वह ही मेरी समस्या है।... (व्यवधान) मैं यहां पर जब भी खड़ी हुई हूँ तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए ही बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और वहां जयन्त सिन्हा जी ने दो फ्लाइट शुरू भी कर दी हैं। जो भी मंत्री यहां आए हैं, वह हमारे साथ हमारी समस्या के साथ जुड़ गये हैं। एविएशन मंत्री जी नहीं आए हैं, इसलिए यहां से वह भी एश्योरेंस दे दें कि वह सूरत आएंगे। मेरी इतनी मांग है कि स्मार्ट सिटी की सूची में जो शहर आ चुके हैं, उनको यह फैसिलिटी होनी चाहिए। मुम्बई के सबसे पास होने के कारण जो मुम्बई ओवरलोडेड है तो नाइट लैंडिंग की भी सुविधा हमारे यहां हो जाए और 17

इंटरनेशनल कंपनीज, जैसे रिलाएंस, एन.टी.पी.सी., ओ.एन.जी.सी. जहां पर कभी-कभी डिजास्टर हुआ है तो डिजास्टर रूट के ऊपर, नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी सूरत आकर बताएं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You go there and then tell.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Among the 47 airports, Surat has already got the night landing facility. So, there is no problem for Surat. The aircraft can land in night. We will try to motivate airlines to perform there.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: My headphone was not on. So, I missed what you said.

Jharsuguda is the core of western Odisha. The people of western Odisha have long been demanding air facility and air connection to the rest of the country. They have been deprived very unduly. With the previous Government our Biju Janata Dal and especially Shri Mahtab had insisted many a times to ensure that at least an airfield starts operating. Nothing has been done although the State Government has given land and all other facilities. The airport has not been built. The ATC is non-functional. No development has taken place.

I would like to know from the Government whether they have any specific programme for Jharsuguda airport and make it workable within a specific time limit. Thank you.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, this is a new airport that the State had wanted it to be promoted. Both the Government of India and the State Government are working at it. There is some work going on there. I will get the status report and I will keep the Member informed as to what the status is.

माननीय अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, पूरे बिहार को स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मांग लो।

... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष जी, अब स्पेशल प्रोजेक्ट तो नहीं मिलेगा। अब आपकी कृपा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश के खतरनाक एयरपोर्ट में से क्या पटना एयरपोर्ट उसमें से नम्बर एक पर है?... (व्यवधान) क्या पटना एयरपोर्ट को बढ़िया नया एयरपोर्ट बनाने की अनुशंसा

बड़े पैमाने पर बहुत दिनों से चल रही है? नये एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया जल्दी ही कब शुरू की जाएगी? एयरलाइन्स में पटना में आने के वक्त भारी अफरा-तफरी रहती है और बैग की जांच करने वाली मशीन एक ही है जिसके कारण बीस-बीस मिनट तक लेट होते हैं। आप स्वयं भी पता लगवा सकते हैं कि इसको सुधारने का उपाय और नया एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे?

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, the aircraft keep changing. So, from propellers we have moved to jets. Now the space for landing at Patna Airport is not enough. It requires more land. Land is a State Subject, Aviation is a Central Subject and airlines do not like load restriction. So there is a problem that has arisen in Patna. But on load restriction, jets are going there. It is a very busy airport. In fact, there is a new terminal being planned. There is a place called Bihta, which, I understand, is very close to Patna. It is under the control of Armed Forces. We spoke to the Military, we spoke to the State Government and they were all interested to give us some land so that that can also be developed as a second airport, a more viable airport for Patna. So we are looking at it and working at it. We are taking the State Government into confidence because without land you cannot have an airport.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam Speaker, I thank you for this opportunity.

Madam, Sabarimala is an international pilgrim centre. The hon. Minister is also very much aware of the importance of Sabarimala. Crores of devotees of Lord Aiyappa are coming to Sabarimala area. But there is no air connectivity to Sabarimala. I think Sabarimala is the only pilgrim centre in the country which does not have air connectivity. So, I would like to ask the hon. Minister, through you, whether there is any proposal to set up an airport near Sabarimala.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, we would like more places to be covered with airports around the country.

HON. SPEAKER: Yes, definitely.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: So, wherever the State Governments come forward to give us land and if it has economic viability, we will definitely get it done.

श्री गजानन कीर्तिकर : मैडम, मुम्बई में जुहू एयरपोर्ट भारत का सबसे पुराना एयरपोर्ट है। यहां से प्राइवेट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं और बगल में जो बड़ा इंटरनेशनल छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, उसका ओवरलोड, कंजम्पशन ज्यादा है। लैंडिंग के लिए बहुत कठिनाई आती है। मैं उस क्षेत्र से सांसद हूं। मैंने पिछले दो वर्ष से मंत्रालय से मांग की है और मैंने वहां के लिए नाइट लैंडिंग का प्रोजेक्ट दिया है तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस बारे में बताएं।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, Chatrapati Shivaji Airport in Mumbai is one of India's busiest airports. Mumbai is a premier city of India. The Juhu Airport is basically being used as a Heliport as well as an airport right now. They are both working as complimentary to one another.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, सब राज्य हो गये तो मेरा तेलंगाना क्यों पीछे रह जाए? इसलिए मैं भी पूछ लेता हूं। Madam, as the Minister knows, the Hyderabad Airport is one of the busiest airports in the country. But when we come to the airport to catch early morning flight around 6.00 a.m., too much of traffic comes towards the airport and so it is very difficult for the passengers to reach the terminal on time, as the number of air passengers has gone up. So, is there any proposal with the Ministry to expand the road, which is approaching the terminal? When the cars are in the queue, it takes a long time for the passengers to reach the terminal and by that time, the flight takes off. As a result, many of the passengers miss their flight.

So, I would like to know whether there is any proposal for expanding the road, which reaches the terminal.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, the terminal has a rather wide road coming there. The problem, as I see it, is indiscipline parking. Now, if people do not use the parking lots and park their cars on the road, whatever is the width of the road, it would be of no use, no avail. So, we would request the State Government to kindly give us traffic police there to guide the traffic.

HON. SPEAKER: Yes, discipline is required.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, the hon. Minister is well aware that the Siliguri is recognized as a strategically important place in India. It is called 'Chicken's Neck' Corridor in view of strategic importance. There is one airport named as Bagdogra Airport, which does not enjoy the night landing facility. Over the years, people of those particular area are suffering. Moreover it is also the access point to the North-Eastern India and also to Bhutan.

HON. SPEAKER: Okay. You want to know about Bagdogra Airport.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : But there is no night landing facility available there.

So, I would like to know from the hon. Minister whether the State Government or the Central Government have any plan to offer the night landing facility at Bagdogra given the strategic importance of that area.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, Bagdogra Airport is a strategically important airport, but the problem for developing all these things, you need land. We have requested the State Government to give us land. I personally met the Chief Minister also and made this request. If the State Government gives us land, we can do the work.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Thank you, Madam.

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि कोल्हापुर बहुत प्रॉसपैरस जगह है। कोल्हापुर में पर्यटन और उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। वहां का एयरपोर्ट दिसम्बर, 2011 तक फंक्शनल था, उसके बाद उसका लाइसेंस खत्म हो गया है। जब से मैं एमपी बना हूँ, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह लाइसेंस इवोक हो। हमने लाइसेंस बनाने के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी और डीजीसीए को प्रपोजल दिया है। हमने दो साल में एयरपोर्ट ऑथोरिटी और डीजीसीए ऑफिस के दस-दस चक्कर लगाए हैं। हर बार वे कोई क्वैरी निकालते हैं, उनकी कमेटियां आती हैं, सर्वे होता है, वे वापस जाते हैं तो मैं फिर उनसे जा कर मिलता हूँ, लेकिन अभी तक यह काम नहीं हो पाया है। वहां पर ऐसे कई रीजनल्स छोटे ऑपरेटर्स हैं, जो फ्लाइट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जब तक लाइसेंस मिलेगा तब तक हम शेड्यूल शुरू नहीं कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने रिजनल कनेक्टिविटी में कोल्हापुर का इंकलुजन किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन जब तक लाइसेंस शुरू नहीं होगा तब तक फ्लाइट शुरू नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कब तक लाइसेंस शुरू होगा?

माननीय अध्यक्ष : अगर मंत्री जी के पास कोल्हापुर की जानकारी होगी तो वह जानकारी देंगे, नहीं तो वह आपको इसकी जानकारी बाद में देंगे।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, Deccan Charters has taken the tender to connect Kolhapur to Mumbai; and we anticipate that this will start functioning in September.

HON. SPEAKER: May be. Thank you.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL: Thank you very much, Madam for giving me an opportunity to ask my supplementary.

Madam, the Guwahati Airport is the busiest airport in the North-East. It is the only doorway or gateway to the North-East India. But it is in very bad condition. The toilets there are very dirty. Even the luggage area is in a shabby position. Can I request the hon. Minister Saheb to look into this?

Madam, also, a project of Rs. 1,000 crore was sanctioned for making the Guwahati Airport much bigger. I would like to know from the Minister as to what has happened about that.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, Guwahati Airport is a very important airport; it is an international airport. Air Service Standards have been fixed, and they are being graded that way. So, all these toilets facilities and other facilities that the passengers do have to get, are going to be graded in all the airports in the country. So, that is being done. The Airports Authority of India is at it.

Of course, expansion plans exist almost everywhere, and there would be bottlenecks. I would enquire about the latest status of the Guwahati Airport.

HON. SPEAKER: Question No. 465.

Shri Dharmendra Yadav – not present.

Shri Shrirang Appa Barne.

(Q. 465)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : अध्यक्ष महोदया, मैंने देखा है कि सदन में कोयला और खदान मंत्री विस्तृत रूप से सवालों का उत्तर देते हैं।

महोदया, देश में बिजली उत्पादन डिमांड से ज्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन देश के किसानों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। शहरी इलाकों में तो बिजली मिलती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं मिलती है। किसानों को रात के समय ही सिंचाई करने के लिए बिजली मिलती है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि देश के किसानों को 24 घंटे बिजली कब उपलब्ध कराई जाएगी?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है।

श्री पीयूष गोयल : महोदया, यह राज्य सरकार तय करती है कि कितने घंटे बिजली किस समय पर किसानों को देनी है। मैं समझता हूँ कि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। यह हर राज्य सरकार की प्राथमिकता रहती है और किस-किस इलाके में कितनी बिजली देनी है, यह निर्णय राज्य सरकार लेती है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, वर्तमान में ऐसी खबरें आती हैं और मीडिया में भी दिखाया जाता है कि ज्यादा बिजली बनाने वाली यूनिट्स को कोयले की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं, जिनकी क्षमता कम है, लेकिन उनके पास ज्यादा कोयला है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन यूनिट्स के पास अधिक बिजली बनाने की क्षमता है, उन्हें नज़दीकी कोयला खदान से कोयला उपलब्ध कराने के बारे में सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री पीयूष गोयल : महोदया, इस विषय पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी, तब लगभग दो तिहाई बिजली घर ऐसे थे, जहां सात दिन से कम, जिसे क्रिटिकल स्टॉक बोला जाता है, कोयले की उपलब्धता थी। पिछले वर्ष 2016 में यह अवधि लगभग 27 दिन हो गई थी। उसके बाद जब बिजली घरों को लगाने लगा कि अब तो हर समय कोयला अवेलेबल है, तब उन्होंने अपने आप स्टॉक रखना कम कर दिया। आज भी पूरे देश में हर बिजली घर को जितना कोयला चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। पहले तो यह आंकड़ा जीरो था, लेकिन अब एक निजी क्षेत्र का प्लांट विशाखापट्टनम में ऐसा है, जिसमें क्रिटिकल स्टॉक है और वह भी इसलिए क्योंकि वह कोयला ले नहीं रहा है। उसे शायद कोई लाजिस्टिक प्रॉब्लम है। हमारे अधिकारी उसके पास जा रहे हैं कि आप कोयला उठाएं।

महोदया, आज परिस्थिति ऐसी है कि साठ मिलियन टन पिटहैड्स में कोल कम्पनीज़ के पास कोयला है। पिछले वर्ष कोल की प्रोडक्शन को रेग्युलेट करना पड़ा, यानी कम करना पड़ा, क्योंकि जितना हमारे पास कोयला था, उतनी हमारे पास डिमांड नहीं आई। कोल कम्पनियों द्वारा तीन वर्ष में 462 मिलियन टन्स से बढ़कर 534 मिलियन टन्स इस वर्ष प्रोडक्शन हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर कोल प्रोडक्शन बढ़ने से किसी को कोयले की कमी नहीं हुई है। अगर आज किसी को कोयला नहीं मिल रहा है, तो आप आज ही डिमांड भेजिए। हमारे अधिकारी खुशी-खुशी जा कर कोयला देंगे और रोज ई-ऑक्शन के माध्यम से कोयला दिया जाता है।

महोदया, एक बात जरूर है कि अब हमने किसी को सीधे कोयला देना बंद कर दिया है। अब सारा कोयला पारदर्शी तरीके से दिया जाता है। जहां तक नजदीकी खदानों से कोयला देने की बात है, सरकार आने के बाद कोयला मंत्रालय ने इस विषय में पहला निर्णय ले लिया था। प्रधान मंत्री जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब आठ साल से कोयला मंत्रालय को चिट्ठियां लिख रहे थे कि कोयला स्वॉप करने दिया जाए। गुजरात से कोयला इम्पोर्ट हो कर कोरबा जाता था और कोरबा में उत्पादन किया गया कोयला गुजरात के पावर प्लांट्स में आता था। इससे सैकड़ों रुपए का नुकसान गुजरात के उपभोक्ताओं को होता था। उनके बिजली के बिल ज्यादा आते थे। हमने आते ही रेशनलाइजेशन आफ कोल लिंकेजिज और कोल स्वॉप को खोल दिया। इस कारण गुजरात को ही बहुत ज्यादा लाभ हुआ, महाराष्ट्र को लाभ हुआ, राजस्थान को लाभ हुआ। अलग-अलग राज्यों ने अपने कोयले को स्वॉप करके बिजली की दरें कम की हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में मैं कह सकता हूं कि उपभोक्ताओं के बिजली के रेट कम किए गए।

SHRI C.K. SANGMA: Thank you, Madam Speaker, for giving me an opportunity to ask my supplementary.

Madam, the hon. Minister knows about the coal problem that we are facing in the State of Meghalaya where almost for three years, there has been a ban on coalmining by NGT.

The hon. Minister has just mentioned about the transportation of the coal. In and around Meghalaya, there are about 12 cement plants which depend on the coal production in Meghalaya. At the same time, there is a paper mill in Silchar which also depends on the coal supply from Meghalaya. All these are at danger today to be closed because of the ban on coal mining. I understand that the environmental issues involved and we must take care of those issues. The security of the miners is also important.

I just want to add here that last year I had met the officials from the Prime Minister's Office and requested a meeting where the Secretary of Coal, the Secretary of Mining, the Secretary of Environment and Forests, the Chief Secretary of Meghalaya and myself was present out there. We had a meeting and we tried to figure out as to how we could move forward in this case.

Madam, I would like to know from the hon. Minister, through you, as to what is the status of that ban. I would also like to know as to what is the future plan on how we can open this as a lot of livelihoods and industries depend on this. My State of Meghalaya depends a lot on this particular issue.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, I do realize the deep concern the hon. Member from Meghalaya has. He forgot to mention that he has been pursuing me also relentlessly to help support coal mining in Meghalaya.

The problem started with rat mining and mining with very unscientific methods due to which it became imperative for the hon. National Green Tribunal, after giving several opportunities to the State Government to take strict measures to control the mining activity and make sure that it is done in an organized fashion, to put a stop to it for the protection and safety both of the workmen working in those mines and of the environment of the regime. Since then we have been in continuous dialogue with the State of Meghalaya. The issue is pending with the State Government to take a decision whether the State Corporation is willing to take up coal mining in an organized fashion as per the standards set by the Director General of Mines Safety (DGMS). We are awaiting a response of the State Government.

I will be happy if the hon. Member works with the State Government to get a quick response so that we can approach the NGT to permit organized, legal and safe mining to protect the environment and the workmen.

(Q. 466)

डॉ. सत्यपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में बनने वाले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को सस्टेनेबल और वायवल बनाने के लिए दिक्कतें आती हैं, विशेष रूप से फाइनैशियल दिक्कतें, उनमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो यह है कि 12 पर्सेंट का रॉयल्टी क्लॉज है कि जिस स्टेट में यह बनेगा, उसको 12 पर्सेंट पावर प्री देना पड़ेगा। दूसरा, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, वह कम से कम छः अथॉरिटीज के सामने जाता है।

माननीय अध्यक्ष : कृपया शॉर्ट में प्रश्न पूछें।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मेरा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 12 पर्सेंट का रॉयल्टी क्लॉज है, क्या उसे रिव्यू करेंगे और इसे जिन अलग-अलग अथॉरिटीज के सामने भेजा जाता है, क्या उसे भी रिव्यू करेंगे? क्या वन-विन्डो स्कीम बनाने का कोई प्लान है?

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदया, जहाँ तक संबंधित स्टेट को 12 पर्सेंट बिजली देने की बात है, तो यह मेरे ख्याल से अनिवार्य है, क्योंकि उस स्टेट की जमीन लगती है, अलग-अलग प्रकार की कई कठिनाइयाँ आती हैं, उसके एवज़ में यदि 12 प्रतिशत बिजली मुफ्त दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इसे रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है, यह चलना चाहिए। इसके अलावा एक प्रतिशत बिजली लोकल एरिया डवलपमेंट के लिए दी जाती है, जहाँ पर बिजली घर लगाया जाता है।

हमें इंवायरमेंट की, पर्यावरण की बहुत चिन्ता है, खास तौर पर जब बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, इसलिए इंवायरमेंट, इकोलॉजी आदि के ऊपर स्टडी होती है। इनके संबंध में कोर्ट्स में भी कई याचिकाएं चल रही हैं। लोगों में भी ऐसी धारणा बनी है कि बहुत केयरफुली ये प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए। इसलिए सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इस पर काम करती है। प्रोजेक्ट से कोई हानि न हो, इसके लिए अलग-अलग एक्सपर्ट्स इस पर काम करते हैं। हम उसे जल्दी करने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन इसमें से किसी अथॉरिटी को निकालने की हमारी कोई योजना नहीं है। आज की तिथि में सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास सिर्फ नौ डीपीआरज़ पेंडिंग हैं, जिनमें से चार पर डीपीआरज़ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के निर्देश दिये गये हैं, बाकियों को हम जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए काम कर रहे हैं।

HON. SPEAKER: Please ask your second supplementary in very short.

डॉ. सत्यपाल सिंह : मेरा प्रश्न है कि आजकल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में जो नये रिसर्च हो रहे हैं, जिनको कास्केडिंग एप्लीकेशन इन मल्टीपल टर्बाइंस अरेंज्ड इन ए सीरिज कहा जाता है, जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, जहाँ पहाड़ नहीं हैं, वहाँ किसी नहर से भी बिजली बनायी जा सकती है। मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत

में कोई नदी-नहर और पहाड़ नहीं हैं, ऐसा कहीं भी हो सकता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो नये रिसर्च आ रहे हैं, जो बड़ी सस्ती भी है, क्या उस पर कोई विचार करेंगे?

श्री पीयूष गोयल : महोदया, जो 12 प्रतिशत बिजली की बात कही गयी थी, मैं उसमें यह जोड़ना चाहूँगा कि यह विषय सबसे पहले माननीय शांता कुमार जी ने उठाया था। हिमाचल प्रदेश में बहुत-से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश को फ्री बिजली मिले, इसके लिए उन्होंने प्रदेश के हित में यह अच्छा काम करवाया था।

जहाँ तक छोटे प्रोजेक्ट्स की बात है, जो चलती हुई लहर में भी लग सके, अभी-अभी एक व्यक्ति विदेश से आये थे, उन्होंने भी मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे एक पाइलट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, फिर इसे प्रदर्शन और वेरिफिकेशन के लिए हमारी अथॉरिटीज के पास भेजा जाएगा। ऐसे जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका प्लांट लोड फैक्टर बहुत कम होता है और कॉस्ट ऑफ पावर काफी ज्यादा होने के कारण, मैं समझता हूँ कि अभी तक वह इकोनॉमिकली वायवल साबित नहीं हुआ है। **But our mind is open to new technologies,** इसको प्रोत्साहन देने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे।

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

12.01 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table; Shri Piyush Goyal *ji*.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the DNH Power Distribution Corporation Limited, Silvassa, for the year 2015-2016.
- (ii) Annual Report of the DNH Power Distribution Corporation Limited, Silvassa, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6834/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6835/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): I beg to lay on the Table a copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

FOURTEENTH LOK SABHA

1. Statement No. 29 Second Session, 2004
[Placed in Library, See No. LT 6836/16/17]

FIFTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. 30 Second Session, 2009
[Placed in Library, See No. LT 6837/16/17]
3. Statement No. 24 Sixth Session, 2010
[Placed in Library, See No. LT 6838/16/17]
4. Statement No. 22 Eighth Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 6839/16/17]
5. Statement No. 21 Ninth Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 6840/16/17]
6. Statement No. 20 Tenth Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 6841/16/17]
7. Statement No. 18 Eleventh Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 6842/16/17]

8. Statement No. 17 Twelfth Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 6843/16/17]

9. Statement No. 16 Thirteenth Session, 2013
[Placed in Library, See No. LT 6844/16/17]

10. Statement No. 12 Fifteenth Session 2013-14
[Placed in Library, See No. LT 6845/16/17]

SIXTEENTH LOK SABHA

11. Statement No. 11 Second Session, 2014
[Placed in Library, See No. LT 6846/16/17]

12. Statement No. 10 Third Session, 2014
[Placed in Library, See No. LT 6847/16/17]

13. Statement No. 9 Fourth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 6848/16/17]

14. Statement No. 7 Fifth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 6849/16/17]

15. Statement No. 6 Sixth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 6850/16/17]

16. Statement No. 4 Seventh Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 6851/16/17]

17. Statement No. 4 Eighth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 6852/16/17]
18. Statement No. 3 Ninth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 6853/16/17]
19. Statement No. 1 Tenth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 6854/16/17]
20. Statement No.1 Eleventh Session, 2017
[Placed in Library, See No. LT 6855/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): On behalf of Shri Pon. Radhakrishnan, I beg to lay on the table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6856/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SANJEEV BALYAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Hydrology, Roorkee, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Hydrology, Roorkee, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6857/16/17]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : महोदया, मैं जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 016-17 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6858/16/17]

12.02 hours**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
43rd Report**

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदया, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का 43वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

12.02 ½ hours**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS
AND RESOLUTIONS
33rd Report**

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.03 hours**STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
Action Taken Statements**

श्री थुपस्तान छेवांग (लद्दाख): मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार की अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) 'सामान्य रक्षा बजट (मांग संख्या 20, 21 और 27) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15)' के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'रक्षा मंत्रालय के सिविल व्यय तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21, 22 और 28) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16)' के संबंध में समिति (2014-15) के छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 15वां प्रतिवेदन।

(3) 'नौसेना और वायुसेना के संबंध में रक्षा मंत्रालय (मांग संख्या 24 और 25) की अनुदानों की मांगों (2015-16)' के संबंध में समिति (2015-16) के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 16वां प्रतिवेदन।

माननीय अध्यक्ष : सदस्यगण, मुझे कुछ सदस्यों से विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मामले महत्वपूर्ण हैं मगर इसके लिए सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इनको अन्य अवसर पर भी उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

Now, 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you.

... (*Interruptions*)

12.04 hours**SUBMISSIONS BY MEMBERS****(i) Re: Reported lynching of cow smugglers by vigilant groups across India including the recent attack in Rajasthan**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इस देश के किसान डेयरी-फार्मिंग करते हैं। ये किसान अपने खेतों में गायों को रखते हैं एवं उनका दूध निकालकर बेचते हैं। आज राजस्थान के अलवर शहर में कुछ लोग डेयरी फार्मिंग के लिए 75 हजार रुपए में तीन गाय खरीदकर ले जा रहे थे। उस वक्त कई गुंडों ने उनको रोका और रोक कर पांच लोगों की पिटाई की, उसमें से एक तो मर गया, जिसका नाम पहलू खान है। अगर इस ढंग से हम सरकार चलाएंगे तो यह बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ। वहां के होम मिनिस्टर ने भी यह कहा है कि वहां जो हुआ, वह गलत हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि एक तरफ तो समर्थन ... (व्यवधान) आप चुपचाप बैठ जाइए, ... (व्यवधान) पहले सुनो ... (व्यवधान) सुनो, क्या हैं ... (व्यवधान) क्या कानून हाथ में लेते हैं ... (व्यवधान) अगर कोई गलत करता है तो उसको फांसी दो ... (व्यवधान), लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। ... (व्यवधान) मैडम यह क्या हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए। रिकॉर्ड में आपकी ही बात जा रही है। आप क्यों गुस्सा करते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अब यह सबकी आदत बनी हुई है, मैं क्या करूँ। अब भूरिया जी आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं आपके नोटिस में लाता हूँ, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय होम मिनिस्टर साहब भी यहां उपस्थित हैं। वहां के होम मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया ने यह कहा है कि दोनों तरफ से जब उनको यह मालूम हुआ कि राजस्थान से गौ तस्करी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए कानून बना हुआ है। कुछ गौ भक्त भी है, जिन्हें जैसे ही सूचना मिली ... (व्यवधान) तो कानून के तहत रोकने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गौ तस्करी रोकना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेना कोई अच्छी बात नहीं है। यह उनका स्टेटमेंट है। इसके बावजूद कानून हाथ में लिया गया है। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं और जो एक आदमी मर गया है। यह सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हुआ - वहां पर यह 5वां इंसीडेंट है, यह स्ट्रे इंसीडेंट नहीं है, यह 5वां इंसीडेंट राजस्थान में है - तीन इंसीडेंट्स यू.पी. में हुए हैं, दो इंसीडेंट्स गुजरात में हुए हैं और हरियाणा में 2 इंसीडेंट्स हुए हैं। अगर इसी

तरह से घटनाएं होती रहीं तो यह कोई अच्छी बात नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय होम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि यह जो गौ रक्षक के नाम पर खासकर कर ... *

HON. SPEAKER: This will not go in record.

...(Interruptions) ... *

HON. SPEAKER: This will not go in record.

...(Interruptions) ... *

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, इन्होंने जो* वो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोल दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ आप भी ऐसा मत बोलिए। सब अपनी आदत सुधारिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह सीरियस बात है। एक आदमी की मौत हो गई है, चार लोग घायल हो गए हैं। इसीलिए माननीय होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए और जो 200 लोगों ने अटैक किया है,...(व्यवधान) उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए।...(व्यवधान) उनको जेल में डालना चाहिए, उनके नाम भी दीजिए। अब तक सिर्फ चार लोगों को अरेस्ट किया गया है। यदि 200 में से चार लोग अटैक करते हैं और उनके जितने भी वाइकल्स हैं, उनको तोड़ देते हैं तो यह कहां का न्याय है? इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि माननीय होम मिनिस्टर साहब जवाब दें, नहीं तो यह बड़ा मुश्किल होगा। अगर ऐसा ही आपने चलने दिया तो इस देश में अशांति बढ़ेगी, कानून भंग होगा और संविधान का उल्लंघन होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब इसके बारे में कुछ कहें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बिल्कुल इस तरह से उठ-उठकर यह कर रहे हैं। एडवोकेट जोएस जॉर्ज, डॉ. ए.सम्पत, श्री पी.के.बिजू, श्री एम.बी.राजेश और श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको नहीं कह रही हूँ। आपके सदस्य को बोल रही हूँ।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से नहीं, आप रुकिए।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह जो घटना घटित हुई है, उसका संज्ञान राजस्थान सरकार ने लिया है और इस संबंध में एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई है और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इतना मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरह से हमारा भी यह प्रयत्न होगा, केन्द्र सरकार का भी प्रयत्न होगा कि इसमें न्यायसंगत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अडसुल जी, आप बोलिये।

... (व्यवधान)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : मैडम, प्रो. गायकवाड़ को बोलने का मौका दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : गायकवाड़ जी, आप बोलिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। आप बैठिये। वहां की सरकार कार्रवाई कर रही है। बार-बार एक ही चीज मत बोलिये, ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, running commentary is going on. ... (*Interruptions*) We cannot have a debate. ... (*Interruptions*) आप डिबेट क्यों कर रहे हो?

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

श्री अनन्तकुमार : इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा माननीय गृह मंत्री कह चुके हैं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record, like this.

... (*Interruptions*)... *

12.11 hours**(ii) Re: Imposition of 'flying ban' on Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad by Air India and other Airlines causing violation of fundamental right and privilege granted to Members**

माननीय अध्यक्ष : गायकवाड़ जी, आप बोलिये।

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have called Prof. Gaikwad. Let me hear what he is saying.

... (Interruptions)

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

...(व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर मुझे सदन में बोलने की अनुमति दी। लोकतंत्र के सार्वभौम सदन में मैं खड़ा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं निर्दोष हूँ या नहीं। लाखों लोगों ने चुनकर दिये गए एक जनप्रतिनिधि से एयरलाइंस के कर्मचारियों ने कैसा दुर्व्यवहार किया और सारी संसद को गुनहगार ठहराने की कोशिश कैसे हो रही है, यह बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। अपेक्षा यह है कि आखिर सत्य की विजय इस संसद में तो हो। यह संसद जनक्षोभ प्रकट कर रही है और उसे न्याय मिलना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है।

महोदया, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। आप हमारी कस्टोडियन हैं, मेरे लिए तो आप मां जैसी हैं। इसलिए मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूँ। मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा क्या अपराध है कि जो उसकी जांच किये बिना मीडिया ट्रायल शुरू है। 23 मार्च, 2017 को पुणे से दिल्ली ए1852 फ्लाइट से मैं दिल्ली सदन में अधिवेशन के लिए उपस्थित रहने आ रहा था। मेरा बिजनेस क्लास टिकट था, लेकिन उधर इकोनोमी में मुझे बैठाया गया। उसका भी झगड़ा मेरा नहीं है। मेरा 1एफ टिकट था, उधर एक विकलांग सीनियर सिटिजन को मेरी सीट दी और उनकी जगह 2एफ पर मैं बैठा। लेकिन एयर इंडिया से मैंने सीट के लिए झगड़ा किया, मैंने मारा, ऐसा उठाया, यह गलत बात है। ...(व्यवधान) इकोनोमी रहने के बाद मेरे पास दूसरा कुछ पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं था, मैं इकोनोमी से उस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद उतरते टाइम मैंने शांति से क्रू को पूछा कि मुझे कंप्लेन्ट बुक दो। उन्होंने कहा कि यहां कंप्लेन्ट बुक नहीं है, उसने लिखकर लिया, जो मेरी कंप्लेन्ट है, वह लिखकर ली और उसके ऊपर एक ऑफिसर आया,

वह बोला कि आप कौन हैं, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि क्या आप सी.एम.डी. हो, आपके ड्रेस कोड से लग रहा है कि आप बैग उठाने वाले हो, बराबर, वह बोला बराबर। उसके बाद में दूसरा ऑफिसर आया और उसके बाद में तीसरा ऑफिसर आया। उसमें वह ऑफिसर आने से बहुत टाइम लेट हो गया। उसके बाद मैंने उनसे विनती की कि आप कौन हो, आपका नाम दो, मोबाइल नम्बर दो, मैं ट्रायल देखता हूँ कि तुम्हारा नम्बर है या नहीं। वह नम्बर है, रिंग बजा तो मैं जाऊंगा, बाद में मुझे चाहे जवाब देने दो या कम्प्लेंट बुक की मेरे को पर्ची दो, मैं जाऊंगा। कोई भी वहां आने के लिए तैयार नहीं था। 45 मिनट के बाद में एक ऑफिसर आया, मैंने उन्हें कहा कि आप शान्ति से बात करिये, मैं आपके साथ शान्ति से ही बात कर रहा हूँ। फिर भी उनका चिल्लाना नहीं रुका, उल्टा उसने आप क्या हो, यह सवाल पूछा? मैंने शान्ति से पूछा, “आप क्या हो?” तो उन्होंने कहा कि “मैं एयर इंडिया का बाप हूँ”।... (व्यवधान) मैंने कहा कि “मैं एम.पी. हूँ” तो वह चिल्लाकर बोला कि “एम.पी. हुआ तो क्या हुआ, तू नरेन्द्र मोदी है क्या”? ... (व्यवधान) यह बोलकर उन्होंने मेरी कालर पकड़कर धकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे धकेल दिया। मैडम, उसको मैंने धकेल दिया। देश की संसद और सांसदों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली-गलौच की। इसका वीडियो क्लिप मेरे पास उपलब्ध है, जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। यह सच्चाई है। एयर इंडिया की एयरहोस्टेस ने भी दो दिन के बाद मीडिया को बयान दिया कि यह सारी घटना इस अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण हुई है। इससे ज्यादा कौन सा प्रूफ हो सकता है। एयरहोस्टेस ने ही उधर प्रूफ दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह दुर्व्यवहार, गाली-गलौच करने वाले आज बेगुनाह समझ कर घूम रहे हैं और मुझे एयर इंडिया की ही नहीं, सभी एयरलाइंस ने यात्रा की पाबंदी लगा दी है। ... (व्यवधान) मेरे संवैधानिक अधिकार पर आक्रमण हो रहा है, जो मेरा मूलभूत अधिकार है। आप हमारी कस्टोडियन हो और आपसे मैं अपने अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करता हूँ।

महोदया, मैं टीचर हूँ। विनम्रता मेरा स्वभाव है। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के संस्कार से प्रभावित हो कर शिव सैनिक बना हूँ। आदरणीय पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि संसद में जा कर कहो कि यदि मेरे व्यवहार से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूँ। संसद से क्षमा मांगता हूँ, उस अफसर से नहीं। ... (व्यवधान)

महोदया, इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि मुझ पर एफ.आई.आर. दाखिल हुई है। आपको जान कर आश्चर्य होगा कि मुझ पर आई.पी.सी. 308 की धारा लगाई गई है। ... (व्यवधान) अटेंट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। क्या मेरे पास हथियार थे, क्या मैंने उस अफसर को मारा है, क्या मैडिकल हुआ है। हथियार तो था, लेकिन ले जाने नहीं

दिया गया। अटेंट टू मर्डर दिल्ली पुलिस ने लगाया कैसे। यह मेरा खरा सवाल है। वह भी एम.पी. के ऊपर अटेंट टू मर्डर लगाया गया है। उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? इस घटना को आज आठ दिन हो गए हैं, फिर वह अटेंट टू मर्डर चालू ही है। मेरी आपसे विनती है कि मुझ पर से धारा-308 हटाने की आवश्यकता है। यह तो इस देश में अंधा कानून हो गया है। हमने सुना था कि अंग्रेज अंधा कानून चलाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सामान रेलगाड़ी से नीचे फेंकने वाले अंग्रेज थे। पंथ प्रधान नरेंद्र मोदी को वीजा नकारने वाला अमरीका और मुझ पर एकतरफा आरोप लगाने वाली एयरइंडिया और विमान कंपनियां, इनमें एकतरफा अन्याय प्रक्रिया और सामुहिक दबावतंत्र की समान पात्रता है। ... (व्यवधान) इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि विमान कंपनी टिकट इश्यु करते वक्त, कोई भी किसी का भी टिकट निकालता है, मेरा बयान आने के बाद मेरे नाम से सात टिकट निकाले गए, कौन निकाला मुझे पता नहीं और कुछ मीडिया ने खबर चलाई कि मैं यहां से वहां आ रहा था या आ रहा है। ... (व्यवधान) मैं कहीं गया ही नहीं था। मीडिया मुझे आठ दिन तक ढूंढ नहीं पायी। ... (व्यवधान) मैं भी शिवसैनिक हूँ। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवशाही में, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार से कैसे लड़ना है, यह हमें सिखाया है। महोदया, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि विमान कंपनी टिकट इश्यु करते समय आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कंफ्लसरी करने की आवश्यकता है। बाहर के टैरोरिस्ट आ रहे हैं अंदर किसके भी नाम से। बुकिंग के टाइम वह नहीं लिया जाता है। उसके ऊपर कानून होने की आवश्यकता है। वह कानून बनाया जाए। इतना ही मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ।

महोदया, सुरक्षा जांच के बाद उड़ान में कौन यात्री अस्त्र-शस्त्र ले कर अंदर जाता है, जिससे किसी की जान को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थनापूर्वक मांग करता हूँ कि इस पूरी घटना की जांच की जाए और जिस कर्मचारी ने मुझसे दुर्व्यवहार किया, एयर इंडिया ने किया, उसके साथ मिली-भगत करने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने मेरे ऊपर जो अन्याय किया है, उन पर तुरंत कार्यवाही करें, खास कर एयर इंडिया के सी.एम.डी. जिन्होंने बिना जांच किए, सोशल मीडिया में मेरी ही नहीं, सारे सांसदों की बदनामी की है। आखरी विनती है कि मेरी हवाई उड़ान पर लगाई गई पाबंदी तुरंत हटाई जाए। आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मेरी विनती है कि मेरे ऊपर अन्यायकारण 308 की धारा लगाई गई है, उसको हटाया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूँ। महोदया, मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ और उससे पहले मैं इस सदन का सदस्य हूँ। इसलिए इस सदन के सदस्य के नाते, मैं अपनी कुछ बातें इसी संदर्भ में यहां पर रखना चाहूंगा। हमारे गृह मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। सारा सदन उपस्थित है और सिविल एविएशन मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं।

महोदया, रविन्द्र गायकवाड़ इस सदन के एक सम्मानित सदस्य हैं। जो घटना उनके साथ हुई है, उनकी यात्रा के दरमियान, अब इसकी एफ.आई.आर. दिल्ली पुलिस ने तो दाखिल की है, जिसके सन्दर्भ में उन्होंने गृह मंत्री जी से माँग की है कि किसी सांसद के ऊपर विमान यात्रा के दौरान यदि कुछ हाथापाई होती है तो सीधे उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, यदि उसके खिलाफ सीधे इस प्रकार की कोई धारा दर्ज की जाये तो यह तो सरासर नाइंसाफी होगी। गृह मंत्री जी इस संदर्भ में जरूर यहाँ पर अपना बयान देंगे। जो कड़ी से कड़ी मतलब जो जाँच हो रही है, वह जाँच होगी, जो कुछ सत्य होगा, वह जाँच के बाद सामने आयेगा, आप इसकी जाँच करवाइयेगा, जाँच के लिए कोई रोक नहीं है, हम उसका विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन किसी अपराध की जाँच किये बिना एयर इन्डिया ने सीधा जो पनिश किया और सारी एयरलाइन्स ने उनकी यात्रा पर जो बन्दी लगायी, यह कौन सा न्याय है? किस प्रकार से हमारी सरकार, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो जनता की सरकार है, वह जाँच किये बिना एक सांसद के ऊपर कैसे सारी उड़ानों में पाबंदी लगा सकती हैं। यह सबसे बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक बात है। मैं दर्द भी महसूस करता हूँ, मैं शर्म भी महसूस करता हूँ और इसीलिए मैं सिविल एविएशन मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार का एकतरफा निर्णय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं माँग करूँगा कि इस पाबन्दी को हटाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU):

Madam Speaker, this is the second time that this issue has come here. First time, I had explained about the Civil Aviation's requirement. There are two angles to it. One is the case. The hon. Member has written two letters to me which I have forwarded to the Station House Officer so that they can become a part of the inquiry. First of all, it is a process of law. Law should take its own course. Whatever the hon. Member wants, he can do that from his side. When I made the submission to the House on the Civil Aviation's requirement I made it very clear that it is not a 'Member of Parliament', it is a 'passenger'. I am on record in regard to that. I have nothing to add... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सुनिए तो सही। अरविंद जी, गुस्सा नहीं करते। He is also a Minister, आप उनकी बात सुनिए।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: My submission, through you, to the House is if you want to defuse the situation, you can defuse it, if you want to aggravate the

situation, you can aggravate it. But aircraft are machines in which people fly. Safety is important and it will not be compromised.... (*Interruptions*)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदया, सेफ्टी का सवाल किधर पैदा होता है...(व्यवधान) बिना इंक्वायरी के माननीय सदस्य के ऊपर बैन लगाना ठीक नहीं है...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : हमारे देश में कोई कायदा-कानून है या नहीं?... (व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदया, यह बात सही नहीं है। एयर बैन के ऊपर मंत्री महोदय को डिसिजन लेना ही पड़ेगा।...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): This is not the way. The Civil Aviation Minister has not given the answer. Under what provisions of law, can the passenger be banned?... (*Interruptions*) The Minister is avoiding the House. ... (*Interruptions*) He is not giving the answer as to under what law he can be banned. Under what law can it be done? ... (*Interruptions*) This is not fair. I am not on the talking about the crime, that is, what has happened or what has not happened. I am not on that. But under what law or under what provisions of law, can a passenger be banned? Under what law it can be done is what I wish to know from the Minister. ... (*Interruptions*) The Civil Aviation Minister is not giving the answer to that. Under what provisions of law, have you done it? The Minister has to give the answer as to under what provisions of law it was done. Do not speak about safety. Everybody knows about 'safety'. Under what provisions of law, can a passenger be banned? Whether an offence has been committed or not is a subject matter of investigation or a subject matter of trial. But under what provisions of law can a passenger be banned? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will look into it.

... (*Interruptions*)

12.26 hours

(At this stage, Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Do not do like this.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.45 p.m.

12.26 ½ hours

The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past Twelve of the Clock.

12.45 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Forty-Five Minutes past
Twelve of the Clock.*

(Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 1.00 p.m.

12.46 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirteen of the Clock.

13.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Thirteen of the Clock.

(Shri K.H. Muniyappa in the Chair)

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 1.15 p.m.

13.01hours

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past
Thirteen of the Clock.*

13.15 hours

The Lok Sabha reassembled at Fifteen Minutes past Thirteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(ii) Re: Imposition of 'flying ban' on Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad by Air India and other Airlines causing violation of fundamental right and privilege granted to Members..Contd.

माननीय अध्यक्ष : श्री राजनाथ सिंह।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों एयर इंडिया की फ्लाइट में जो भी घटना घटित हुई, मैं ऐसा मानता हूँ कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा रहा होता कि इस प्रकार की घटना न घटित हुई होती। आज इस सदन के सम्मानित सदस्य रविन्द्र गायकवाड़ जी ने अपना पक्ष सदन के समक्ष रखा है। इस संबंध में हमारी बातचीत सिविल एविएशन मिनिस्टर, अनंत गीते जी जो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं और आनंदराव अडसुल जी के साथ हुई है। बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जितने भी स्टेकहोल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगे।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हाउस में... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं इसे क्लैरीफाई करना चाहता हूँ। दोनों मिनिस्टर्स की आपस में बातचीत हुई है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : अध्यक्ष महोदया, बीएसएफ के नियम के तहत बीस वर्ष सेवा में रहने पर विशेष परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति लेने का प्रावधान है।... (व्यवधान) इस नियम के तहत वर्ष 1996 से 2000 के बीच करीब 700 जवाब एवं अधिकारी ऐसे हैं जिनका सेवा कार्य दस वर्ष से अधिक है। ... (व्यवधान) इन जवानों एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बावजूद पेंशन व अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं।... (व्यवधान) इन 700 जवानों, अधिकारियों में 70 अधिकारी मेरे क्षेत्र चुरु से आते हैं।... (व्यवधान) राजस्थान वीरों की धरती रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि चेतन चीता जो सीआईएसएफ में कमांडेंट रहे, वे 9 गोलियां खाने के बावजूद भी बचे और आतंकवादियों से लड़ाई की। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो लोग बीएसएफ में दस वर्ष का समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें उनकी पेंशन दी जाए। ऐसे 700 लोग पिछले पन्द्रह सालों से केस लड़ रहे हैं। सरकार इस बारे में अपना स्टैंड ले और इन लोगों को पेंशन और अन्य भत्ते दिए जाएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री लखन लाल साहू, श्री ओम बिरला और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, it is a very alarming situation to which I would like to draw your attention and also the attention of the House.

When dark clouds appear in the sky, a person who does not have a roof over his head is alarmed and tries to protect himself from heavy rains. Dark clouds have appeared in Jammu, dark clouds of terrorism which this country has been facing. I would like to draw the attention of the Home Minister to this. Anyway Parliamentary Affairs Minister is here.

There is emergence of a new insurgent group called Harakah al-Yaqin consisting of Rohingya Muslims with its presence in Myanmar, Bangladesh and India. This was reported by a Brussels-based international crisis group in the recent past. Since then it is believed that around 40,000 Rohingya Muslims have entered into our country illegally through Bangladesh, through Bay of Bengal and through Myanmar border. Myanmar is not recognizing them and Indian Government is also not recognizing them as refugees. Should we treat them as stateless persons?

As we all know, Jammu and Kashmir is a very sensitive State for this country. These people are now being trained and they have connections with

people across the border. Intelligence reports say that IS has already been in contact with them. This reminds me of a terrorist activity which happened in Bodh Gaya in which Indian Mujahideen was involved.

As Myanmar is a Buddhist State and it is persecuting Rohingya Muslims, they are flying off to Thailand and other countries. They are also coming into our country. It is high time that the Home Ministry identifies them and displaces them from this country.

Secondly, External Affairs Ministry also has a role to play. We would like to know what External Affairs Ministry has done in contacting the Myanmar Government. So, there are two Ministries which have to be directly involved. It is for the Home Ministry to identify them and dispose them off as per the law because we do not have a refugee policy. The alarming thing is that many of the Rohingya Muslims who are now in Jammu have already got the Aadhaar Card. That is the main reason why it is alarming and this Government should act immediately. I would like to get a response from this Government that as early as possible this needs to be done. Let us not wait for cloudburst; already dark clouds have appeared. There is a very serious incident that has happened in Bodhgaya and it is now linked to Indian Mujahideen which has connection with IS and now Rohingyas are being targetted to be trained as terrorists in this country. Therefore, I demand a response from this Government.

HON. SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, Shri Shivkumar Udasi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Gajendra Singh Shekhawat and Shri Devji M. Patel are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में भारी केमिकल उद्योग खासकर दहेज, अंकलेश्वर, पनोली है। इन उद्योगों में आए दिन आगजनी की घटनाएं और गैस लीकेज की घटनाएं, अंकलेश्वर के स्कैप गोडाउन में बार-बार आग लगने से इन क्षेत्रों में चिंता का विषय बन गया है। वहां पर लोग भय में हैं।

मैंने इस विषय को स्थानीय स्तर पर भी उठाया था लेकिन आज भी ये घटनाएं हो रही हैं। मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि उपरोक्त घटना को रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाया जाए और पूरे मामले को भारत सरकार के आपदा एवं प्रबंधन विभाग से जांच कराई जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के अधीनस्थ वर्कर्स आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से केन्द्र एवं राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन कराया जाता है, किंतु वेतन के नाम पर मात्र 3000/- और 3200/- रुपये और सहायिकाओं को मात्र 1500/- रुपये मानदेय दिया जाता है जिससे परिवार का भरण पोषण करना कठिन ही नहीं दुर्लभ भी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्यां लगातार नियमितकरण एवं मानदेय में बढ़ोत्तरी के लिए संघर्षरत हैं लेकिन केन्द्र और प्रांत सरकार इनकी समस्याओं की तरफ आंख मूंदे हुए है। आप अपने स्तर से इनकी समस्याओं का निस्तारण कराना सुनिश्चित करे और उन्हें नियमित कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री ओम बिरला को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री जैदेव गल्ला - उपस्थित नहीं।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, आजकल अक्सर चर्चा होती है *Delayed justice is like denied justice.* न्याय को जल्दी देने की बात आज लगातार होती है। हमारे गांव में एक कहावत है उसे अगर सामान्य भाषा में कहें तो बंधु बैर और न्याय में थोड़ा समय लेना चाहिए, जिसका हम लोगों ने उदाहरण देखा कि तत्काल न्याय देने के क्या परिणाम होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी न्याय हो और लोगों को जल्दी न्याय मिले। उसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास भी कर रही है लेकिन मुख्य बात मैं उठाना चाहता हूँ कि त्वरित न्याय के साथ ही न्याय की क्वालिटी में भी सुधार होना चाहिए। न्यायिक निर्णयों में गुणवत्ता दिखनी चाहिए। कई बार न्यायधीशों की अधिक तेजी तथा जिले और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं में कुशलता की कमी के कारण भी गलत निर्णय देखने को मिल रहे हैं, जिससे पक्षकारों को भारी नुकसान हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि त्वरित व क्वालिटी जजमेंट के लिए अधीनस्थ अदालतों तथा जिले में जो अधिवक्ता काम करते हैं, उनका व्यावसायिक कौशल बढ़ाने

के लिए प्रशिक्षण देने व न्यायिक प्रक्रिया का आधार व क्षमता बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवार्यें लेने पर भी सरकार विचार करे।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाडी और दोरामार तहसील में एक क्यासेनुर फॉरेस्ट डिजीज़, यानी मंकी फीवर जैसी भयंकर बीमारी पिछले वर्ष से आयी है। यह बीमारी बंदर के टिक्स से फैलती है। बंदर के मरने के बाद वे टिक्स मनुष्यों को तकलीफ देते हैं। कर्नाटक में यह बीमारी पिछले 60 सालों से है। सिंधुदुर्ग में पिछले साल इस बीमारी से सात आदमियों की मौत हुई और इस वा अभी तक नौ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस भयंकर बीमारी का सही इलाज कर्नाटक के अलावा अन्य किसी राज्य में नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी मांग है कि सरकार मंकी फीवर का सही इलाज करने के लिए आरोग्य विभाग की एक टीम सावंतवाडी और दोरामार जिले में जांच के लिए भेजे और उसके ऊपर तुरंत पाबंदी लगाने की कोशिश करे।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कश्मीर में आतंकवादियों और उन्हें प्रश्रय देने वालों के कारण वहां का वातावरण अशांत होने वाला है। यह गंभीर चिंता का विषय है। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले की एक जेल से राज्य में अशांति और उसे बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों के नेटवर्क को संचालित करने की बात सामने आयी है।

अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर की जेलों में दो दिन पूर्व छापे के दौरान 16 सेलफोन्स बरामद किये गये हैं। इन कैदियों में कुछ दुर्दांत आतंकवादी हैं, जो जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने के मुख्य आरोपी हैं। ऐसे कई आतंकवादी जो जम्मू-कश्मीर की जेल में हैं, उनका सम्पर्क पाकिस्तान से है। मेरा निवेदन है कि ऐसे कट्टर आतंकवादी और कट्टर आतंकवादियों के समर्थकों को जम्मू-कश्मीर की जेल से शिफ्ट करके एक सुरक्षित जेल में भेजा जाये, ताकि वहां से आतंकवाद का नेटवर्क संचालित न हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा - उपस्थित नहीं है।

श्री चंदूलाल साहू (महासमन्द) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान शिक्षा से जुड़ी उस योजना की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसके तहत वर्ष 2007 में मॉडल स्कूल की स्थापना हुई थी। इसमें कक्षा छः से लेकर कक्षा बारहवीं क्लास तक के छः हजार हाई क्वालिटी के स्कूल खोले जाने थे। इस योजना के तहत 3500 स्कूल आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों तथा बाकी 2500 स्कूल पीपीपी मोड में बनाये जाने थे।

अध्यक्ष महोदया, केन्द्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से बनने वाले इन स्कूलों का स्तर केन्द्रीय विद्यालयों से भी अच्छा रखने की योजना थी। इसलिए जब योजना को आकार दिया गया, तब केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा राज्य शिक्षा विभाग का एक निगरानी तंत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिससे इन स्कूलों की गुणवत्ता प्रभावित न हो। देश के कई राज्यों में स्कूल भवन बनाये गये। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या माडर्न स्कूल की डिमांड कर रहे हैं?

श्री चंदूलाल साहू: करोड़ों रुपयों की लागत से भवन बनने के बाद अचानक केन्द्र सरकार का इरादा बदल गया और उन स्कूल भवनों को राज्य सरकार को यह कहते हुए सौंप दिया गया कि आप इसे संचालित करें।

महोदया, कई राज्यों में आठ एकड़ जमीन सुरक्षित कर बनाए गए भवन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, तो कुछ राज्य सरकारों के भवन निजी हाथों को सौंप दिये गये हैं। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पुनर्विचार करते हुए इस योजना को पुनः प्रारंभ किया जाये, ताकि गरीब लोगों को इन स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जा सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री चंदूलाल साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष जी, मैं आज शून्यकाल के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋण में बैंक किसानों के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, वे एग्रीमेंट अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जबकि लगभग सभी किसान अंग्रेजी भाषा को समझ नहीं सकते। उस एग्रीमेंट पर बैंक अधिकारी किसानों के हस्ताक्षर करवा लेते हैं और किसान मजबूरी में उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। एग्रीमेंट की मुख्य बातें किसानों की समझ में नहीं आती हैं, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा बनाई गई उपरोक्त कृषि ऋण योजना के नियमों की जानकारी किसानों को नहीं मिल पाती है। कृषि ऋण का एग्रीमेंट पेपर हिन्दी या स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिससे किसान कृषि ऋण योजना को अच्छी तरह से जान

सकें और अपने हक को प्राप्त कर सकें। नियमों को न जानने से कृषि ऋण में सरकार से जो रियायत मिलती है, किसान उससे वंचित रह जाते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात समझ में आ गयी है कि स्थानीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ।

श्री प्रतापराव जाधव : अध्यक्ष जी, यह कृषि ऋण किसानों को बुवाई के समय से पहले दिया जाना चाहिए, जिससे किसान अपनी कृषि लागत का भुगतान कर सकें। बुवाई के समय कृषि ऋण नहीं मिलने पर किसानों को साहूकारों से ऊंची दर पर ऋण लेना पड़ता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात आ गयी है। अब क्या कहना है?

ठीक है, संक्षेप में बोलिए।

श्री प्रतापराव जाधव: अध्यक्ष जी, उससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृषि ऋण एग्रीमेंट स्थानीय भाषा में होना चाहिए और वहां जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनको स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं बुन्देलखण्ड के किसानों से संबंधित एक विषय सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में वहां के किसानों का कर्ज माफ किया है। साथ ही, उन्होंने वहां 80 लाख मीट्रिक टन अनाज सीधे किसानों से खरीदने का जो निर्णय लिया है, वह किसानों के हित में है और उनकी आमदनी बढ़ाने के हित में है।

मैं आपके माध्यम से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। पहले भी सदन में यह मांग मैंने उठाई है कि अगर बुन्देलखण्ड को सिक्किम की तरह, पूर्ण रूप से आर्गनिक फार्मिंग के आधार पर विकसित किया जाए तो मेरा मानना है कि जैसे हरित क्रान्ति के बाद यूरिया एवं डी.ए.पी. की स्थिति बनी, इसी प्रकार श्वेत क्रान्ति के बाद भी परम्परागत पशु पालन खिलवाड़ हुआ और गाय की देसी नस्ल का क्षरण हुआ, उसमें सुधार हो सकता है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि बुन्देलखण्ड में खाद पर जो सब्सिडी दी जाती है, वह सब्सिडी जैविक खाद, गोबर खाद पर दी जाए, जैविक खेती के प्रमोशन पर दी जाए। चूंकि वहां अन्ना प्रथा की समस्या भी है, इसलिए वहां गाय पालने वालों को प्रतिमाह एक हजार रुपये और

बैलगाड़ी रखने वाले एवं हल से खेती करने वालों को दो हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएं। इससे बुन्देलखण्ड के किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है और उनका जीवन संवर सकता है, जो भारत सरकार की नीति भी है।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से युवतियों, महिलाओं और बच्चों के तस्करी के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, मैं इस गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

दुनियाभर में 80 प्रतिशत मानव तस्करी यौन शोषण एवं बंधुआ मजदूरी कराने के लिए होती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। वर्ष 2011 में लगभग 35,000 बच्चे लापता हुए थे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संक्षेप में अपनी बात कहिए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

अध्यक्ष महोदया, देश में महिलाओं और बच्चों की तस्करी के मामलों में पिछले एक साल में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में जहां इनकी संख्या 15,448 थी, वहीं वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर 20,000 तक पहुंच गयी। दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसीज में जो युवतियां लाई गयीं, उनमें से लगभग 200 युवतियां गायब हैं और यहां बिना लाइसेंस के लगभग 12 एजेंसीज काम कर रही हैं, जो पुलिस सत्यापन भी नहीं करा रही हैं और पिछले 16 वर्षों से इस काम में लगी हुई हैं। इनका नेटवर्क असम, ओडिशा और बंगाल में फैला हुआ है। वहां से लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने से यहां लाकर रखा जाता है और बाद में उनको अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट एजेंसीज के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाए और जहां पर उन लोगों को काम पर रखा जाता है, उनका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य किया जाए। साथ ही, दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाए, जिससे इस जघन्य अपराध पर नियन्त्रण पाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.35 hours**SUBMISSIONS BY MEMBERS....Contd.**

(iii) Re: Review of the system of voting through electronic machines

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would like to raise in this august House an important issue concerning election reforms which has been discussed throughout the country.

Tampering with the Electronic Voting Machines (EVMs) is a serious issue which needs immediate attention and an appropriate inquiry is sought to look into the matter. It is not only a big threat to our democracy but also a fraudulent act with the sentiments of the voters also.

Madam Speaker, reportedly a voter-verifiable paper audit trail machine attached to an EVM in Bhind District of Madhya Pradesh during a demonstration has shown that the vote had gone to one party, that is, BJP, whose symbol was placed against number one and when a different number was pressed, the result was same. As per the media reports, the incident took place when the State Chief Electoral Officer was conducting a review of the preparations for the Assembly by-election due to be held in Bhind.

Madam Speaker, a demand for an alternative mechanism to EVM has long been raised which has further supported with the recent incidents. In the last Assembly elections also, a number of issues has been raised with regard to the same.

In a country like India, the democracy prevails and voters cast their votes to elect their representatives to raise their issues and contribute in formulating laws in Assemblies as well as in the Parliament. But, due to the tampering with EVMs, their right to choose their representatives, has widely been shattered as they are feeling duped by these machines.

In order to save the very essence of the democracy, an in-depth independent inquiry may be conducted to find out the issue relating to the tampering of EVMs. Meanwhile, until the mechanism is restored and found... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. A. Sampath, Shri P.K. Biju, Adv. Joice George, Shri Jose K. Mani, Shri Md. Badaruddoza Khan, Shri Kaushalendra Kumar and Shri Mullappally Ramachandran are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, whatever the hon. Member, Shri P. Karunakarn Ji, has placed before this august House is totally far from the truth and misleading. ... (*Interruptions*)

Madam, whatever incident happened in that State, was only a presentation and there the respective officers themselves have given a statement that it is totally far from the truth. Today, if there is a best mechanism in the country for electoral purposes, it is EVM. When they win the elections in Kerala, they want EVM. When some other Party wins elections in some other State, they say EVM is good. But, when Bharatiya Janata Party wins elections all over the country, they want to discredit the victory of Bharatiya Janata Party under the leadership of Shri Narendra Modi. Madam, they have lost the faith of the people. People have rejected them and to cover that up, they are raising this bogey of EVM issue... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Let there be an investigation.

HON. SPEAKER: Now, Shri Karadi Sanganna.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, you are not Shri Karadi Sanganna. He is there. How are you standing?

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Respected Madam, I would like to pay my thanks for giving me an opportunity to speak on a very urgent matter.

Madam, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is a welfare scheme of the Government of India launched by the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji on 01.05.2016 with the support of the Ministry of Petroleum. The scheme has been introduced to make sure that even the poorest families, that is, BPL, have access to clean fuel, that is, LPG. Madam, first it was announced in Uttar Pradesh. Later on, it was announced in Rajasthan, Gujarat, Uttarakhand, Odisha, Bihar, Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir. Currently, this scheme has been launched in nine States. Soon, it will be launched in other States too.

Madam, the objective of Pradhan Mantri Ujjawala Yojana is aimed at providing five crore LPG connections in the name of women below poverty line (BPL) households across the country for empowering women and protecting their health. It also aims at reducing the serious health hazards associated with the cooking based on fossil fuel and also reducing the number of deaths in India due to unclean cooking fuel. It also aims at preventing young children from significant number of acute respiratory illness caused due to indoor air pollution by burning the fossil fuel.

Madam, therefore, it is requested that you direct the concerned Ministry to announce this scheme in Karnataka, as many backward constituencies is coming under the Karnataka State especially in Raichur and Koppal districts which come under Article 371-J, and in priority list after getting survey in 12 districts in Karnataka by which people of Karnataka State can live a better and pollution free life. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Karadi Sanganna Amarappa.

13.40 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERSContd.

(iv) Re: Welfare schemes for Handloom weavers

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Hon. Speaker, Madam, the handloom industry is one of the traditional industries of Kerala, but today the handloom textile sector is in doldrums because of various factors forcing weavers to shift to other jobs to earn a living. Kerala's handloom industry faces many severe problems, such as financial problem, irregular payment of dues of the products supplied, lack of rebate assistance to weaving accessories and charging of high interest rates by financial institutions are some of them.

Madam Speaker, Kannur handlooms are world famous. It has historical importance. Home furnishing products from my constituency, Kannur, was exported even during British rule to Commonwealth countries. Till 2004, due to import duty concessions under Multi Fibre Agreement, good quantity was produced in handlooms. The high quality products were used to decorate the White House and the Buckingham Palace and other palaces also. Considering the outstanding export performance, Kannur was recognized by the Ministry of Commerce with Town of Export Excellence status in 2004. More than one lakh people were employed in handloom weaving, powerloom weaving, dyeing, stitching and packing areas. Foreign buyers reduced purchase of handlooms from 2005 leading to more production from power looms.

HON. SPEAKER: Please conclude now. You need not read out the two pages.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Madam, please give me two minutes. This is very important. Our hon. Textile Minister is also present here. But the Global economic recession caused serious setback to the textile industry with

orders coming down by 50 per cent. More than 50,000 people have left their jobs due to lower work availability. Hon. Textile Minister has agreed to visit Kannur. ... (*Interruptions*)

Hence, I would like to request the hon. Finance Minister and also the hon. Textile Minister to introduce welfare measures to strengthen the weavers in the State by providing financial assistance for house construction, providing pension and expansion of facilities for dyeing and designing, modernisation of old looms, skill upgradation of weavers etc. ... (*Interruptions*)

Madam, now the weavers are switching to powerloom from handloom and the hon. Minister of Textiles has now introduced the Comprehensive Integrated Scheme for Powerloom Sector Development for the welfare of powerloom weavers. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The hon. Minister is responding to your problem.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Madam, just one minute. At this juncture, I would like to draw your attention to the fact that the yarn used for powerloom production – cone yarn attracts five per cent VAT against zero per cent for hank yarn during the VAT regime.

Now that the GST is being implemented from 1st July, 2017, I would like to request the hon. Minister for Textiles to make recommendations to the GST Council and the hon. Minister of Finance to bring the tax on cone yarn to zero per cent which will benefit millions of weavers in the country.

Thank you.

HON. SPEAKER: Dr. A. Sampath, Shri Mullappally Ramachandran, Shri P.K. Biju, Shri M.B. Rajesh, Adv. Joice George, Shri Md. Badaruddoza Khan are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Hon. Speaker, thank you very much for your kindness so that I could respond to the hon. Member. On two to three points I will direct my hon. colleague's attention to and the rest I will send in writing to her.

We have, in the Government of India, ensured that old looms by weavers can be replaced by new looms wherein Government of India will pay 90 per cent cost to the weavers so that the loom can be renewed. Also, we have started an app called *e-dhaga* wherein weavers sitting at home can actually give the order for the yarn and follow and track the entire process till the delivery of the yarn. My request to the hon. Member is that on the 4th of January we started a special helpline, the first in the history of India, especially for weavers called *Bunkar Mitra* helpline. The number is functional seven days a week from 10 am to 6 pm, including in regional languages. The number is 181002089988. You can request weavers in your constituency to call this number. I will also personally visit Kannur and try and help to the best of my ability.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के मुख्य शहर से नेशनल हाईवे निकलता है, जो धनबाद के कोर्ट-कचहरी रेलवे स्टेशन के बाहर शहर को पार करते हुए बोकारो, रांची, जमशेदपुर, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे कई बड़े राज्यों की तरफ जाता है। धनबाद स्टेशन के पास रेलवे लाइन के नीचे से सड़क निकलती है, जो कि बहुत संकीर्ण है। इस कारण यहां प्रतिदिन सड़क जाम की बहुत समस्या बनी रहती है। 16-16 घंटे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहती है। करीब डेढ़ वर्ष पहले रांची में आयोजित बैठक में माननीय मंत्री जी द्वारा इस पुल को बड़ा करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जिस पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया है।

मेरी आपके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भारत सरकार से अनुरोध है कि धनबाद की इस समस्या के निदान के लिए गया पुल के दोहरीकरण का काम किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : महोदया, मैं डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहता हूं। राजस्थान में चार डिस्ट्रिक्ट्स जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर की बात करना चाहता हूं। मैं और अर्जुन मेघवाल जी राज्य के गृह मंत्री जी से मिले, उन्हें चिट्ठियां भी लिखी थीं कि वहां मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट लैवल कमेटी के सदस्य नहीं हैं। स्टेट लैवल स्टैंडिंग कमेटी के भी हम सदस्य नहीं हैं। वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है और गाइडलाइन्स ठीक नहीं हैं।

प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, मेरी मांग है कि सांसदों को डीएलसी और एसएलसी का अध्यक्ष बनाया जाए। मेरा दूसरा मामला सैचुरेशन का है, यह दस-बीस किलोमीटर पर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां दो सौ से तीन सौ किलोमीटर पर हो रहा है।

केंद्र और राजस्थान में हमारी सरकार है। जयपुर में पिछले दिनों दो सीनियर आफिसर्स को किसी गड़बड़ के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बार्डर मैनेजमेंट में जो अधिकारी बैठे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रधान मंत्री जी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। मेरी प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी से मांग है कि जिस प्रकार से जयपुर में गड़बड़ी करने पर दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उसी तरह से यहां भी कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सोना राम चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): महोदया, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में मध्य रेल पर वांगनी स्थान है, जहां पूर्व से पश्चिम जाने के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुम्बई उप-नगर से जो भी मकान बेचकर जाता है, वह वांगनी में ही मकान खरीदता है, क्योंकि मुम्बई से नजदीक है। वहां फाटक होने के कारण पूर्व से पश्चिम जाने के लिए लोगों को मुश्किल होती है, स्कूल के बच्चों को रेलवे क्रासिंग में दिक्कत होती है, किसी इमरजेंसी में भी वहां रहने वाले 50-60 हजार लोगों को दिक्कत होती है। कई सालों से वहां की जनता की मांग है कि आरओबी बनना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बना है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से विनती है कि जल्द से जल्द वांगनी स्थान में आरओबी बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : हुकुम सिंह जी - उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदया, मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का संभाग मुख्यालय है। यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इस संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद प्रमुख हैं। इस संभाग में 70 परसेंट से 75 परसेंट जनसंख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा शेड्यूल-5 टीएसपी एरिया घोषित है।

यहां गरीब आदिवासियों को अपने न्याय एवं हक के लिए जोधपुर हाई कोर्ट जाना पड़ता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर हाई कोर्ट बेंच उदयपुर से लगभग ढाई सौ से तीन सौ किलोमीटर दूर पड़ती है और उदयपुर से जोधपुर जाने के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। गरीब आदिवासियों, सरकारी

कर्मचारियों और आम जनता को अपने न्याय के लिए जोधपुर तक जाने में अत्यधिक समय और धन खर्च करना पड़ता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि गरीब आदिवासियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके, इसके लिए उदयपुर संभाग मुख्यालय में हाई कोर्ट बेंच खोली जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, with great pain and sorrow, I am raising an issue of serious concern in this august House.

Yesterday, the Capital city of Kerala, Thiruvananthapuram, had witnessed one of the unfortunate incidents of inhuman harassment against a woman, Mahija, the mother of Jishnu Pranoy, an engineering student who committed suicide due to physical and mental harassment of the college management.

They were simply attempting a protest and demanding justice for their departed son. Jishnu Pranoy's mother, Mahija, was injured and dragged by the police. You can see the photo of how the woman has been dragged by the police. It is the most unfortunate incident. The TV footage showed police personnel dragging away the protesters even when they were screaming for help. Jishnu's mother also fell on the ground. She got injuries and was admitted in hospital.

Jishnu Pranoy was found hanging in his hostel last January. His friends and parents claimed repeated harassment by college authorities and said this is the reason behind this incident. The *post-mortem* report had pointed out signs of harassments in his body. Even after three months of this incident, the Government have not ensured justice for Jishnu Pranoy. Instead of ensuring justice for the departed soul the police is brutally attacking the mother and family members who are seeking justice for the departed soul. Instead of sorting out the issue and arresting the culprits, the Government is only worsening the situation.

After this incident, there are protests in the entire State. Wherever the protests happened, the police brutally lathi charged them. In my own constituency, a lot of people were severely lathi charged last night. This should be treated as a serious matter because this type of incident has not happened there.

That is why I am appealing to all our Members of Parliament to condemn this type of incident. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, you can associate with him.

13.51 hours

(At this stage, Shri M.B. Rajesh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): This is not fair. This is a serious issue. ... (*Interruptions*)

13.52 hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near near the Table.)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपका संरक्षण चाहता हूँ।

12वीं कक्षा पास करने के बाद जो युवक भारतीय नौ सेना और भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके मिनिमम अर्हतांक 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत तय किये गये हैं। बच्चे साल भर पढ़ाई करके तैयारी करते हैं, कोचिंग आदि लेते हैं, लेकिन जब उनको एडमिशन कार्ड इश्यू होता है, तब स्कूटनी के नाम पर 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी नहीं बुलाया जाता है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2.50 p.m.

13.53 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Fifty Minutes past
Fourteen of the Clock.*

14.53 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Fifty-Three Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table

(i) Need to convert Ait-Konch, Konch-Jalaun, Konch-Rawatpura and Konch-Salaiya sections of roads in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh into four-lane.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर के जनपद जालौन में एट से कोच लम्बाई 15 किलोमीटर एवं कोच से जालौन की लम्बाई 24 किलोमीटर, कोच से नदी गाँव रावतपुरा लम्बाई 25 किलोमीटर एवं कोच से सलैया लम्बाई 21 किलोमीटर है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उपरोक्त मार्गों को फोर लेन बनवाने का कष्ट करें, जिससे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की दूरी कम हो सके।

(ii) Need to establish a Sainik School, CSD canteen and Sainik Welfare Board in Aurangabad district, Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार का औरंगाबाद जिला कई राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा शहर है और कई राज्यों जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि के समीप है। यह जिला वामपंथ उग्रवाद से भी प्रभावित है और इस क्षेत्र के अधिकांश लोग सेनाओं और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत है।

सरकार से मेरा आग्रह है कि औरंगाबाद, बिहार में एक सैनिक स्कूल और सैनिक कैंटीन की स्थापना की जाए और सैनिक कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाए ताकि इस क्षेत्र के कार्यरत सैनिकों और निवासियों का सम्यक विकास और कल्याण हो।

(iii) Need to open a Medical college at Chatra, Jharkhand.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): दिनांक 19 मार्च, 2015 को एनटीपीसी द्वारा दि अशोक होटल में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में एनटीपीसी द्वारा संचालित कार्यरत और निर्माणाधीन इकाइयों से संबंधित संसदीय क्षेत्रों के सभी सांसद आमंत्रित थे। उक्त बैठक में श्री पीयूष गोयल, विद्युत एवं कोयला मंत्री, भारत सरकार तथा डॉ. अरुण राय चौधरी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड सहित कंपनी के सभी उच्च पदाधिकारी और सभी संबंधित इकाइयों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा में उत्तर कर्णपुरा सुपर थर्मल पॉवर परियोजना निर्माणाधीन है। मेरे द्वारा चतरा में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षण अवसंरचना निर्माण करवाने की मांग रखी गई थी। डॉ. अरुण राय चौधरी ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हजारीबाग में खोला जाएगा इसलिए चतरा में मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार किया जा सकता है। श्री पीयूष गोयल, विद्युत एवं कोयला मंत्री ने डॉ. अरुण राय चौधरी से चर्चा करके सभी सांसदों के समक्ष यह घोषणा की थी कि एनटीपीसी लि. और सीसीएल के सहयोग से चतरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

दिनांक 11 जुलाई, 2014 को आम्रपाली ऑपन कास्ट कोल खदान का ऑनलाईन उद्घाटन श्री पीयूष गोयल, माननीय कोयला एवं ऊर्जा राज्य मंत्री के द्वारा दिल्ली स्थित सम्राट होटल से किया गया था। उद्घाटन के दौरान सार्वजनिक मंच से मंत्री जी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को चतरा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी और कोयला मंत्रालय द्वारा पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें मेडिकल कॉलेज का उल्लेख किया गया था। यह प्रेस विज्ञप्ति कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।

अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि भारत सरकार के चतरा (झारखण्ड) में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा को पूरा करें।

(iv) Need to establish a Trauma Centre at Gajraula in Uttar Pradesh.

श्री कैवर सिंह तँवर (अमरोहा) : मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा के गजरौला में ट्रॉमा सेंटर खोलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 देश की राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। साथ ही उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी गढ़मुक्तेश्वर भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जिस कारण इस राजमार्ग से भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। वाहनों का दबाव होने के कारण इस राजमार्ग पर अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। परिणामस्वरूप घायलों को दिल्ली अथवा मेरठ ले जाना पड़ता है। अधिक दूरी के कारण गंभीर रूप से घायल व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ देता है तथा अन्य घायलों को अधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। वर्तमान में दिल्ली से लेकर मुरादाबाद के बीच कहीं भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा का औद्योगिक नगर गजरौला राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर स्थित है। यह धार्मिक नगरी गढ़मुक्तेश्वर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए बेहतर स्थान है। चन्दौसी, सम्भल एवं हसनपुर से चांदपुर, नूरपुर एवं बिजनौर को जोड़ने वाली सड़क भी यहां से होकर गुजरती है। अतः यहां पर एक ट्रॉमा सेंटर की अति आवश्यकता है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर स्थित औद्योगिक नगरी गजरौला में एक्सीडेंट आदि में घायल होने वाले व्यक्तियों के लिए एक ट्रॉमा सेंटर खुलवाने हेतु उचित दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें।

(v) Regarding fake complaints lodged by prisoners against Jail officials

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): There are many incidents about fake complaints lodged by prisoners against Jail Security Personnel to demoralize them.

I understand that Government of Gujarat has already approached the Central Government on the issue of fake complaints against Prison Administrative officials. The State Government has suggested the following points to the Ministry of Home Affairs:

1. When it is proved that the application made by the prisoner against the jail employees/officials, is false/baseless, under such circumstances, the procedure of punishment be followed as per the jail manual.
2. For the prisoners/convicts who indulged in bomb blasts/terror/anti-national activities, there should be restrictions to the extent that such prisoners shall not make any application, on any reason, to any authority except the concerned court.
3. The prisoners/convicts who indulged in bomb blasts/terror/anti-national should be denied information under provisions of the RTI Act, 2005.

I request the Central Government to examine the above suggestions urgently and take necessary action.

(vi) Need to create employment opportunities in agriculture, food processing, medicinal plants and other forest produce in Uttarakhand.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय क्षेत्र पूर्वोत्तर के राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के अलावा पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र है। पिछले कुछ दशकों से समूचा पर्वतीय क्षेत्र गंभीर बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। अनियंत्रित पलायन से जहां एक ओर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है, वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रयासों को प्रत्याशित क्षति हो रही है। पलायन का मूल कारण पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। मौसम परिवर्तन, मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव तथा समय-समय पर आने वाली भीषण प्राकृतिक आपदा ने क्षेत्र के लोगों की कमर ही तोड़ दी है। केदारनाथ की भयावह त्रासदी तथा उसके उपरांत नेपाल में आया भूकंप इसका जीता जागता प्रमाण है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हिमालय क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कौशल विकास के कार्यक्रम चलाएं जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी-बूटी उत्पादन, ऑर्गेनिक खेती, फल, मशरूम उत्पादन, फ्लोरीकल्चर एवं वन आधारित उद्योग पर आधारित रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं ताकि इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

(vii) Need to declare Bhatewar-Bhindar-Kanod- Dhariyawad road in Rajasthan as a National Highway.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर स्थित भटेवर-भिण्डर-कानोड जिला उदयपुर धरियावाद जिला प्रतापगढ़ सड़क मार्ग क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। यह सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 एवं नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग कोटा से बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। इस सड़क मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित किये जाने से क्षेत्र के लोगों को परिवहन की दृष्टि से बड़ी राहत मिलेगी एवं उदयपुर से बांसवाड़ा के लिए विकसित मार्ग उपलब्ध हो पायेगा।

यह मार्ग प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ की बडीसादड़ी तथा उदयपुर के दक्षिणी-पूर्वी (भिंडर कानोड लसाड़िया) भाग को उदयपुर हवाई अड्डे से सीधा जोड़ पायेगा, इसी मार्ग पर प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य भी स्थित है जिससे यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल पायेगी।

अतः मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 एवं नवीन घोषित राजमार्ग कोटा से बांसवाड़ा के मध्य स्थित भटेवर (जिला उदयपुर) भिण्डर-कानोड-धरियावाद (जिला प्रतापगढ़) सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल कराएं।

(viii) Need to spread awareness about procedure to be followed in case of perceived medical negligence

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): The recent protests against manhandling of doctors in government hospitals highlight a problem that has always existed. Relatives of patients assault doctors who they believe have not done enough for the patient. Doctors have limited control over the fate of patients. Sometimes patients do not survive despite the doctors' best efforts. This fact must be emphasized. Security at government hospitals must be enhanced to ensure that assaults do not take place. Strict action must be taken against those who assault doctors. Awareness must be spread about Medical Councils and courts that patients can access in case of perceived medical negligence. These are ways in which they can get their complaints redressed without taking matters into their own hands.

(ix) Regarding Tobacco industry

SHRI SHYAMA CHARAN GUPTA (ALLAHABAD): What is the policy of the Government with regard to the people employed in Tobacco production and its ancillary industries, who may be unemployed due to proposed policies? Whether there is any scientific study on the health issues related to the use of Tobacco and impact of strict policies upon the manpower engaged in Tobacco industry ?

(x) Need to review the decision to make BIS certification mandatory for electrical transformers

SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER): The Government is making it mandatory for the electrical transformer of any Size & Capacity in the country to have BIS Certification (IS 2026) and the necessary amendment has also been executed in the Energy Conservation Act, 2001. Making the electrical transformer under BIS certification is a welcome step but it should not be made mandatory because the cost involved to go through BIS certification certainly results in cost-escalation and can see any rise between 40% and anywhere near 75-80% and the country like India will certainly cannot afford this type of sudden price rise and many a time this will lead to unfair practice. Rather the maintenance of transformer on the other hand needs urgent attention by providing certain norms irrespective of the emergencies in existence. Hence, this area of electrical transformer needs immediate attention of Government. Hence, I request to review the proposal of making mandatory of BIS Mark & Certification for all electrical transformers manufactured in the Country.

(xi) Regarding shifting of Mulund East Post Office in Mumbai

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): The local Postal Department has closed down the Mulund East Post Office of Mumbai. In the name of shifting this post office, the same is merged with Mulund West Nehru Nagar Post Office. The closure of this post office and handing back the premises has been done without proper technical paper work. Population of Mulund East is more than 1.5 lakh. Due to closure and shifting of the post office, the huge populace of Mulund East has been suffering a lot. I urge upon the Government to order an enquiry on why the Mulund East Post Office has been closed down in the name of shifting, redevelopment and also take action to start a post office at Mulund East immediately.

(xii) Need to implement Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana at Panchayat and village level.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) :हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कल्याणकारी "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" का शुभारम्भ किया है। लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" का लाभ आम लोगों की पहुंच से बाहर है। पंचायत स्तर पर लोगों को यह नहीं पता है कि यह योजना देश में चल रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की तरह इस योजना को भी हमें गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए।

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" को पंचायत स्तर पर लागू करने हेतु इस पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सांसदों की संस्तुति पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्य जैसे कूपों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण आदि होने चाहिए। यदि हम इस कल्याणकारी योजना को लघु सिंचाई योजना से जोड़कर पंचायत स्तर तक ले जाएंगे, तभी लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस योजना की पद्धति में सुधार कर इसकी पहुंच पंचायत व ग्राम स्तर तक करवाने का कष्ट करें।

(xiii) Need to probe the issue of violation of land-lease agreement by Tata Steel and DVC, a public sector undertaking in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : देश की दिग्गज इस्पात निर्माता कम्पनी टाटा स्टील ने लीज शर्तों को ताक पर रख कर राज्य सरकार को कथित रूप से तगड़ी चपत लगाई। साथ ही टाटा स्टील के अलावा एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी डी.बी.सी. ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर सरकार को राजस्व का झटका दिया है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के राजस्व प्रतिवेदन में यह खुलासा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट की मानें तो लीज की जमीन से संबंधित तमाम नियमों को ताक पर रख टाटा स्टील और डी.बी.सी. ने सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की बात भी सामने आई है। सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर बस्तियां बस गईं। यह टाटा लीज कार्यालय के भू-अभिलेखों और बंदोबस्ती कार्यालय जमशेदपुर द्वारा मुहैया कराई गई विवरणी की नमूना जांच में उजागर हुआ है। लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए टाटा स्टील और दामोदर घाटी निगम द्वारा 469.38 एकड़ भूमि को 1279 व्यक्तियों व उद्योगों को 25 जून 1970 और अक्टूबर 2009 के बीच सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सबलीज पर दे दिया गया। इससे राज्य सरकार को सीधे तौर पर 3376.24 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई। ऑडिट में पाया गया कि इन अनियमित पट्टों के संबंध में सूचनाएं उप समाहर्ता टाटा लीज कार्यालय और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में उपलब्ध थी, लेकिन प्रावधानों के अनुसार सबलीज पट्टे की भूमि वापसी या सरकारी राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाफार्ज को हस्तांतरित कर दी गई। जमीन के मामले में सीएजी ने पाया कि पट्टाकृत भूमि के अनियमित हस्तांतरण के कारण सरकार को 974.48 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा। सीएजी ने टाटा स्टील एवं लाफार्ज के बीच हुए समझौते का भी उल्लेख किया है, कहा टाटा स्टील ने अपने पट्टे वाले क्षेत्र में एक सीमेंट प्लांट स्थापित किया था। नवम्बर 1999 में 122.82 एकड़ भूमि के प्लांट क्षेत्र का पट्टा लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया जबकि नियमावली पट्टा अधिकारों को अन्य को हस्तांतरण की अनुमति नहीं देती। इस संबंध में उपायुक्त जमशेदपुर ने भी लाफार्ज इंडिया को अक्टूबर 2015 में यह कहते हुए पत्र लिखा था कि टाटा स्टील को पट्टा समझौते के प्रावधान के अधीन या बिहार भूमि सुधार अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति अधिकार नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराते हुए कार्रवाई की जाए।

(xiv) Need to extend the dam on river Kosi in Supaul and Madhubani districts to Saharsa district in Bihar.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : कोशी नदी नेपाल के बारह क्षेत्र से शुरू होकर भीमनगर कोशी बैराज के पास भारत की सीमा में प्रवेश करते हुए सुपौल, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, खगड़िया, मधेपुरा होते हुए कटिहार जिला के केरसैला के पास गंगा नदी में मिलती है। उक्त नदी पर एक सुरक्षा बांध सुपौल जिला के सिकरहट्टा मझारी से मधुबनी जिला सीमा तक बना हुआ है एवं इस सुरक्षा बांध पर पक्कीकरण भी कर दिया गया है, जिससे उक्त क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा के साथ-साथ आवागमन भी होता है। यदि इस बांध को मधुबनी सीमा के गढ़गांव, बसीपट्टी, महेसा, सोनबरसा होते हुए सुपौल जिला के गोनवा सिमराहा, सहरसा जिला के देवका, झरवा, परताहा, बड़हारा, डरहार, नौला, लालपुर, सतौर, कुन्दह, बलिया, सीमर होते हुए प्राणपुर के पास राज्य उच्च पथ में मिला दिया जाता है तब इसके बीच में अवस्थित लोगों के जानमाल की बाढ़ से सुरक्षा के साथ-साथ आमजनों को आवागमन की भी सुविधा मिल जायेगी एवं प्रति वर्ष हजारों एकड़ जमीन में लगी फसलों को भी सुरक्षा मिलेगी, जिससे यहां के किसान खुशहाल होंगे।

अतः सरकार से मांग है कि इस अति महत्वपूर्ण सुरक्षा बांध का विस्तार मधुबनी जिला सीमा के गढ़गांव से लेकर सहरसा जिला के महिर्षी प्रखंड के प्राणपुर के पास राज्य उच्च पथ तक करवाकर बांध का पक्कीकरण करवाया जाये ताकि बाढ़ से सुरक्षा के साथ-साथ आवागमन की भी सुविधा मिलेगी।

(xv) Need to declare 72 Kms of State Highway between Asia Highway No. 7 and National Highway No. 150A as National Highway

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): 72 KM of State Highway is connecting Asia Highway 7 and National Highway 150A in my Tumkur Parliamentary Constituency in Karnataka. This 72 Km road is very important since it connects Asia Highway near Kallambella in Sira Taluk and National Highway No 150A near Mayasoudra in Turuvekere Taluk via National Highway No 206 near Nittoor in Gubbi Taluk. Hence connecting this State Highway is very important as vehicular traffic is also very heavy.

Hence, I urge Union Government to declare 72 KM of State Highway between Asia Highway 7 and National Highway 150A via NH 206 in Tumkur district in Karnataka as a National Highway.

(xvi) Need to revive Muslin Khadi industry in West Bengal

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): West Bengal Government has undertaken Project Muslin through West Bengal Khadi and Villages Industries Board (WBKVIB) in different districts like Hooghly, Malda, Murshidabad, Nadia. Its main aim is to improve the lives of traditional artisans engaged in Muslin Khadi Industry. The other objective is to uplift the economic and social status of the Muslin Artisans, develop enterprise and attract youth towards the industry and to create steady growth of Muslin Industry in West Bengal. The above exalted aims and objectives of WBKVIB through its Muslin Project are to provide much needed fillip to the growth of Muslin khadi. The financial support of the Government of India is required in the area of state of the art technology, advanced design, providing training on skill development, creating market linkages with innovations ensuring new resources and to provide quality control and testing facility of Muslin fabric. This help from Government of India to the Government of West Bengal would go a long way in the upliftment of traditional artisans of Muslin Khadi and give much needed fillip to Muslin Khadi. Under these circumstances, I would like to strongly urge the Government of India to look into the genuine request of Government of West Bengal about the traditional Artisans of Muslin Khadi and to patronize and bring back the glory of Muslin Khadi which would take care of scores of people and its stakeholders in West Bengal.

(xvii) Regarding renaming of sub-urban railway stations in Mumbai

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): For the past 25 years, people of Mumbai are demanding to name the Railway Station/Terminus after Shri Nana Shankar Shett. In fact our beloved leader Late Shri Balasaheb Thackeray demanded to rename the Victoria Terminus Station after Late Shri Nana Shankar Shett. Accordingly Brihan Mumbai Municipal Corporation unanimously passed a resolution to rename the VT Station as Nana Shankar Shett Terminus. But eventually the station was renamed as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and the issue of naming the station/terminus after great philanthropist Shri Nana Shankar shetti remains unresolved. Shri Nana Shankar Shett was an architect of modern Mumbai. The nation's first Railway ran from the then VT station to Thane with his magnificent contribution. It was known as GIP Railway. The Head Office of GIP was opened in his bungalow. He took initiative for Railway, handed over his land for it. He was a pioneer of Railway services in India. Even the British Govt. acclaimed it. With his vision and generosity the J.J. School of Architecture, Eliphinston College and present Jeejmata Udhyan were established in Mumbai. But till date, Railway did not recognise his contribution for Mumbai and nation.

I request the Government on behalf of crores of Mumbaikars to rename Bombay Central Terminus after Shri Shankar Shett and do justice to the long pending demand.

Moreover, it has been observed that beyond Dadar Station on both, Central, Western and Harbour Railway the names of the stations are of those areas .except South Mumbai, where on few stations the names of the British Rulers still exist. Hence, I propose the following changes as the names of the Post Offices, Police Stations are known by the name of that area only.

Central Railway

Existing name		Proposed Name
Curry Road Railway Station	-	Lalbaug Railway Station
Sandhurst Road Railway Station	-	Dongri Railway Station

Western Railway

Eliphinston Road Railway Station	-	Prabhadevi Railway Station
Curry Bombay Central Terminus/Station	-	Nana Shankar Shett Terminus
Grant Road	-	Gamdevi Railway Station
Churni Road	-	Girgaon Railway Station

Harbour Railway

Cotton Green	-	Kalachowki Railway Station
Rey Road	-	Ghodapdev Railway Station
Sandhurst Road	-	Dongri Railway Station

I request the government to deliver justice on this genuine demand of the Mumbaikars at the earliest.

(xviii) Need to rescind the sections 78,79 and 80 of the Punjab Reorganization Act, 1966.

श्री धर्मवीर गांधी (पटियाला) : हमारा प्रदेश पंजाब, जिसका नाम ही पांच नदियों पर पड़ा है, आज कृषि और पीने योग्य पानी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। हमारे प्रदेश का केवल 27 प्रतिशत क्षेत्र ही नहरी पानी द्वारा सिंचित होता है जबकि खेती को बाकी जल की पूर्ति 14.5 लाख ट्यूबवैलों द्वारा धरती की सबसे निचली सतह से पानी निकाल कर पूरी की जा रही है। पानी के इस घोर दोहन के कारण पंजाब रेगिस्तान बनने के कगार पर खड़ा है। पंजाब की इस दुर्दशा का कारण पंजाब के पुनर्गठन एक्ट की धारा 78, 79, 80 के अंतर्गत जल स्रोतों नदियों और जल विद्युत परियोजनाओं पर पंजाब के अधिकार छीन लेने और रिपोरियन कानूनों का घोर उल्लंघन होने के कारण हुआ है। मेरा अनुरोध है कि पंजाब के पुनर्गठन कानून की धारा को रद्द करके हमारे साथ न्याय किया जाये।

(xix) Need to take stringent action against micro-finance companies fleecing borrowers in rural areas, particularly in Maharashtra.

श्री राजू शेटी (हातकणंगले) : निजी साहूकार द्वारा आर्थिक शोषण के खिलाफ बगावत करने के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बहुत दिनों तक ग्रामीण इलाकों में 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में तमाम बैंक पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं, ऐसी लोगों की आम राय बन गयी थी, तब ग्रामीण क्षेत्र के किसान और छोटे-छोटे कारीगरों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उनके सामने निजी साहूकार के चौखट पर दस्तक देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा और हुआ भी ऐसा ही। सरकार ने साहूकारों के चंगुल से आम जनता को छुड़ाने के लिए उनके खिलाफ सख्त नियम और कानून बनाये। राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक तरफ विस्तार हो रहा था तो दूसरी ओर साहूकारों के खिलाफ सख्त कानून अमल में लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही थी, लेकिन सख्त कानून के डर से गायब हुए निजी साहूकारों ने 'माइक्रो फाइनेंस कंपनियों' के नाम से साहूकारी का नया जाल फिर एक बार ग्रामीण इलाकों में फैलाने में वे कामयाब हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश के बहुत सारे राज्यों में दो-तीन साल के भीतर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के घोटाले सामने आये हैं, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में और इन कंपनियों के बीच संघर्ष चल रहा है। दुर्भाग्यवश हम सब जनप्रतिनिधि भी यह सब चीजें देखते हुए भी इन सब परिस्थितियों की अनदेखी कर रहे हैं। यह बहुत ही खेद का विषय है।

आर्थिक लूट का सबसे बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर हुआ है, इनके द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लिए गये कर्ज पर करीब 22 से 35 फीसदी तक का ब्याज वसूल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर 6 से 7 महिलाएं अपना एक गुट बनाती हैं और उस गुट को लोन दिया जाता है। इस लोन की वापसी की अवधि प्रतिदिन या प्रतिमास के किस्त के रूप में होती है और यदि यह लोन समय पर भुगतान नहीं किया तो बड़ा जुर्माना लगाया जाता है। यह सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं पुरुषों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। आखिर में इस तरह से ब्याज की दर 42 से 45 प्रतिशत तक वसूली जाती है।

पूरे देश में फैली हुई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जड़ें सरकार ने अगर खुदवा कर नहीं निकाली तो आज किसान द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं, इसके बाद ग्रामीण इलाकों में छोटी महिला उद्यमी और लघु उद्योगपतियों के नाम भी आत्महत्याओं की सूची में दुर्भाग्य से देखने पड़ेंगे इसलिए हर एक राज्य के विशेषकर महाराष्ट्र में पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ तत्काल केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी सक्षम एजेंसी की तरफ से जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

14.54 hours**TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2017**

HON. CHAIRPERSON (SHRI K.H. MUNIYAPPA): Now the House will take up item no. 10, the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Mr. Chairman, Sir, on behalf of Shri Arun Jaitley, I beg to move*:

“That the Bill further to amend the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001 and the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments be taken into consideration.”

महोदय, इस सदन ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स पारित किया है और 01 जुलाई, 2017 से सरकार इसको लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस संबंध में सरकार ने चार बिल संसद के समक्ष प्रस्तुत किए थे। सेंट्रल जी.एस.टी. बिल, यूनिजन टैरिफरी जी.एस.टी. बिल, इंटीग्रेटेड जी.एस.टी. बिल और राज्यों के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति अर्थात् कंपेनसेशन बिल टू स्टेट्स। ये चारों बिल इस सदन के द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं। आज राज्य सभा में इन बिलों पर चर्चा हो रही है। वहाँ भी इन बिलों के पास होने की पूरी संभावना है।

महोदय, वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के परिणामस्वरूप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केवल कुछ वस्तुओं पर ही लागू रह जाएगी। इस संबंध में कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट और सेंट्रल एक्साइज एक्ट व कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधनों की आवश्यकता है। इन संशोधनों के लिए हम स्टैगनेशन लॉ अमेंडमेंट बिल इस सदन में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

महोदय, मेरा सदन से आग्रह है कि इस बारे में वह अपनी राय दे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप सभी की सहमति होगी और आपके द्वारा इसमें जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उन सुझावों पर विचार कर के हमारे द्वारा इस विषय पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर सदन अपनी राय रखे।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

* Moved with the recommendation of President

“That the Bill further to amend the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001 and the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments be taken into consideration.”

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to speak on a Bill, which quite frankly will, forever, alter the manner in which we approach tax and excise in this nation.

The old joke, Mr. Chairman, is that only two things are inevitable – death and taxes. But death only comes once, whereas in our country, taxes keep coming and growing over and over again.

But let me congratulate the Government and the House for the successful passage of the GST. As you know, my party was not totally happy with the final shape of the Government version of the GST, but we went along with it in the same spirit in which we had introduced the idea in the first place. It is a good day for democracy when we, as the nation’s elected representatives, can reach out across the aisle to work with consensus in a spirit of bi-partisan cooperation.

I only hope that the Government continues to reach out to other parties in this august House for further consensus and bi-partisan cooperation in the future. It is my hope that consensus becomes the norm and not the exception. But this depends on the Government, Mr. Chairman, on the Government’s attitude. Reliance on the Government’s brute majority, ignoring the arguments and reasonable amendments of the Opposition, will get Bills passed undoubtedly, but will not, Mr. Chairman, advance the national interest. So, I was very assured to hear the words of the Minister, just now, when he said, he would pay heed to what we, in the Opposition, have to say.

Now, Mr. Chairman, while I welcome the hon. Finance Minister’s efforts to ensure that the respective laws that they wish to amend today, are GST compliant, I must raise a few matters of concern, which pertain to the overall effectiveness of this proposal.

First is a procedural matter, Mr. Chairman. Two amendments dated yesterday were only received by MPs this morning. Now, you tell me, Mr. Chairman, how are we supposed to prepare for this discussion in these circumstances? I urge the Government to honour the House by giving people enough notice to prepare such discussions.

But having said that, Mr. Chairman, we broadly speaking have a Bill that we can all agree with because we are trying, all of us, to make the existing regimes GST compliant. Yet there are certain features of the Bill that seem unduly optimistic. Either we advance our country to a point where certain laws become feasible or we pass the laws and hope and pray that everybody will behave in accordance with the law. This Bill takes the latter path. It assumes a level of competence, inter-Departmental communication and overall cooperation between various Departments of the Central Government and a level of exchange between States and the Central Government, which is not yet there at the levels needed to fully implement the processes outlined in this Bill. So, I hope, the Government's optimism will be borne out in the implementation.

But let me elaborate my six principal concerns with this Bill for the attention of the Minister.

The first, Mr. Chairman, is administrative overreach. Under the proposed Sections 108A and 108B of the Customs Act, 1962, "proper persons" – I assume customs and excise officials – will be given excessive authority to levy punitive actions against several people, individuals and institutions even like the Reserve Bank of India, the Income Tax and State GST bodies, State Electricity Boards and so on.

This is a clause, much like the provision in the Finance Bill, 2017, which allows excessive powers to IT officials for 'search and seizure' and is a clear overreach in terms of administrative powers. As it is in our country, in the hon. Finance Minister's memorable words, we suffer from what he called 'tax terrorism'. It is already asked -- why won't sharks attack Indian tax inspectors?

The answer is 'professional courtesy'. Dealing with the Indian taxman, Mr. Chairman, these days is like dealing with a careless laundry – either way you lose your shirt.

15.00 hours

Looking at this Bill, Mr. Chairman, "the proper officer", who would be a revenue official, will be exercising a quasi-judicial function as well, making this a case of gross administrative overreach. The official can make the decision and he is also playing the role of the judge in the matter. Bodies which were previously functioning under a degree of autonomy will now be under the purview of these proper officers, breaking departmental hierarchy and workflow. In effect, it will be spreading the inspector raj, which my friends in the BJP have attacked for so many years. An inspector raj will now be spread over other departments, causing the functioning of other departments to become coloured by the opinions and actions of revenue officials.

The Bill will also empower authorities to collect information which is "considered relevant for the purpose of the Act". This is a very vague statement. What is relevant? Who considers it relevant? It is not defining any procedural basis for the procurement of such information. Such arbitrary powers can lead to abuse, favouritism and corruption. I would welcome clarity from the Minister in this regard as to how you are going to determine what is considered relevant for the purposes of this Act. How does this Government reward high ambition and aspiration? With high taxes! The definition of success now in our country is when you spend more to support the Government than you spend to support your family.

Through the GST, the Government has figured out how to get people to pay taxes they cannot afford, on services they do not need. "The best things in life are free", goes the old saying but I am sure the Minister is working to fix that too.

Now, this Government's definition of progress seems to be when the average Indian now pays out twice as much in taxes as he formerly got in wages. At a time, when the Government is trying to broaden the tax net, creating

opportunities for abuse of tax payers is not wise policy. The Government has stated that the manner in which the information will be furnished will be notified by them. It begs the question, what is the plan that they have made to make this overreaching proposal work? Has this been thought-through or is the Government going to make up the rules as they go along?

Even in an ideal scenario, given the critical shortages of personnel and basic infrastructure, now is not the best time to implement a plan that proposes fines on officials who are already over worked and under resourced. Allocating a disproportionate amount of punitive power with one branch of the Government over the others would not be foundation for an effective delivery of the Government's vision in this regard.

They must first seek to address the gaps in recruitment, infrastructure and connectivity between departments before these new sections of the law are implemented.

Allow me to outline some of these issues, Mr. Chairman, taken from the Government's own response on the issue of vacancies in Government services. You look at the figure, which comes from the Annual Report on Pay and Allowances of Central Government Civilian Employees for 2015-16 as on 01.03.2015 published by the Pay Research Unit, Department of Expenditure, Ministry of Finance, which was cited by the hon. MoS, Dr. Jitendra Singh in response to a question in Parliament on vacancies in Central Government organisations. I am not going to give you all the details. I have the full document with me. But if you look at the total number of the sanctioned posts in the Central Government, you have 4,20,000 vacancies which is 11.52 per cent vacancy rate in the Central Government. You have not filled the posts you got and now you want to give more discretionary power and more authority to your officials.

I would also like to raise the issue Mr. Chairman of the critical lack of communication between departments. I raised last year the need to adequately staff our Government departments. I have raised in this House the question of

lateral entry into Government service. To address not the lack of qualified personnel but to also allow for the transference of best practices taken from the private sector and use it in the public sector. Both your and our Government has had ministers, bureaucrats and other officials taken from the private sector to serve in public service, they have performed and delivered in an effective manner.

I would like to ask the hon. Minister if he would consider a plan to allow for lateral entry to be used to fill some of the vacancies, in the various departments referred to in this bill to ensure the overall performance does not drop with the implementation of his proposal. I did receive an acknowledgement from the Government to my proposal. We had a discussion in Question Hour here, but I am still awaiting action from the Government.

My second point is this. The Bill seeks to repeal certain Acts that levied cess for such causes as the Beedi Welfare Cess, and the Water (Prevention and Control of the whole Pollution) Cess. Industrial waste is one of the major causes of water pollution. The pollution levels in all our rivers, the Yamuna and other water bodies across India, the 44 rivers in Kerala and elsewhere are testament to an amazingly appalling rate of water pollution. The Water Cess was levied on the consumption of water by industries. There is justice involved in making the polluter responsible for polluting the resource. I understand, the logic of the GST is to standardise taxes and reduce such cesses. But since you are having additional cesses and 'sin taxes' anyway for luxury goods, why not for polluting activities?

Mr. Chairman, Sir, I love the concept of 'sin taxes'. The Government puts a high tax on liquor and then imposes such high taxes on everything else that they drive people to liquor. With due apologies to the interpreters, we are all reeling from a bad case of intoxication.

But coming back from whiskey to water, Mr. Chairman, what we need today on the water crisis facing the country is a level of stewardship between the Government and the corporate world. In order to drive the water stewardship agenda, industry should understand its own processes and responsibilities, water

use, operating environment and the impact of its own operations on the environment.

Since water is such a precious resources to us and falling levels of potable water around the world have made it imperative for us to protect and conserve whatever fresh water is still drinkable, I fail to see the logic in not taxing industrial users of water with the water cess.

Does the Government wish to repeal its old Act and replace it with at least more stringent rules and regulations? We seek clarity on this issue in order to protect the most valuable resource now and in the years to come.

There is also – my third point – the rising cost burden on certain goods. You know that petroleum, crude oil, of course does not come under the purview of GST. So, this may not be entirely beneficial because prices may shoot up.

The Parliamentary Standing Committee on this subject observed that, “The tax liability of the upstream oil PSUs will increase as the GST rate on inputs is expected to be higher than the prevailing rate of taxation.” This will create distortions in the market which may adversely impact industries and the citizenry which is dependent on it.

The International Energy Agency estimates that India will account for a quarter of global energy demand growth by 2040 as booming manufacturing and a bigger, richer and more-urbanised population will drive fuel growth. It expects the country’s oil demand to reach 10 million barrels a day in the next quarter of a century which will probably be the fastest growth in demand in the world.

The Parliamentary Standing Committee, considering this, in discussing the Demands for Grants, said that since crude oil and natural gas will be kept out of the GST, the upstream companies like ONGC and OIL cannot claim credit for their money spent towards VAT on services hired and goods used for the production of petroleum products.

Further, during the actual process of refining crude oil, it seems maddeningly inefficient that some of the manufactured products would be kept

under the ambit of the GST while some of them would not. There is a complete lack of consistency.

This has not escaped the attention of the Parliamentary Standing Committee either. They flagged this and noted, this will result in distortions in pricing of the product as well as an increase in the input cost of the oil companies.

Industry experts have pointed out that this will inevitably have a negative effect on the oil, petroleum and petrochemical industries. How can the same industry be expected to follow two tax regimes: the existing model as well as its successor, the GST?

This would drive up the operational costs of manufacturing and this is something which the Committee/Ministry has also reiterated. There is likely to be a cascading effect across the supply chain, with either the customer or the manufacturer or both taking a hit.

So, the Committee had recommended that “oil PSUs companies should be able to get adjustment of full VAT credit for the total amount against VAT that have been paid by them on inputs and services.” I would urge the Finance Ministry to discuss with the Ministry of Petroleum and Natural Gas how you can give full credit of VAT to oil companies to mitigate to some degree the effect of these parallel taxation systems which we are creating today.

One of the main questions here is what are the safeguards that the Government has instituted to ensure that Indian oil prices are not completely vulnerable to the harsh volatility of global crude prices?

Mr. Chairman, I am abbreviating my points. The fourth point is about beedi products. Tobacco has been rightly taxed by the Minister – GST plus additional excise plus sin taxes. Now, despite the fact that tobacco has been proven to be a harmful substance to human health, there is a lower tax demand placed on beedi products than other tobacco products. Cigarettes which are made in controlled environments under strict supervision are heavily taxed in order to discourage consumers from consuming them, which is fine. But beedi products which are

generally home-made or run as cottage industry programmes, are not and this is not so good.

As per the Government's list of tariff items, beedis made without the use of a machine have an Excise Duty of only Rs. 12 per thousand hand rolled beedis. This discrepancy leads to a higher consumption of beedi products, especially amongst people who are poor and illiterate. Why is it that we charge cigarette smokers extra and place gory images on their packets, while letting beedi smokers have their harmful habit without informing them of the potential risks? Are we saying that the health of the poor beedi smoker does not matter as much as that of the more affluent cigarette smoker? I believe that it is in the interest of the Government to promote better health, especially among the poor and illiterate citizens.

Standardisation of beedi rolling, along with placement in a higher tax bracket would make these products less accessible to public. Beedi manufacturers would in fact also prefer small nimble hands to roll their products, so they employ women and children quite often, keeping them away from schools and higher education. This industry does not need any more concessions. It requires heavy sanctions for the sake of the public.

And what is more, they have repealed the Beedi Welfare Cess which begs the question as to who is the Government trying to help - the masters of a harmful industry or the poor workers and their families who have no choice?

Mr. Chairman, I have a fifth point. I will be very brief on the last two points. This is about Central Excise Act 1944 and 1985 – levy of Excise Duty.

Our taxes are pretty onerous. Studying this Bill really taxes the imagination- which was the one thing we thought the Government could not tax.

At present, the Central Excise duty is levied on goods such as tobacco, petroleum products, rubber, oils, vehicles etc. The proposed change on the levy seeks to ensure that only certain products fall under the new levy, namely,

petroleum products such as motor spirit, high speed diesel, aviation fuel and tobacco products.

These goods are mentioned in the 1985 Central Excise Act and now will be moved to a new proposed fourth schedule to be attached to the Central Excise Act, 1944, as the new GST is repealing the 1985 Act. That is what we understood from the Central Goods and Services Tax Bill.

Now, at present, the Government has the power to charge Excise Duties through notification in emergency circumstances as per the 1985 Act but with the Taxation Laws Amendment Bill which we are just passing, it now also seeks to allow the Government to amend the proposed Fourth Schedule which means the Government would have the power to decide which goods fall under Central Excise with a notification, like, having emergency powers. Therefore, with the enactment of two new proposed sections 3B and 3C, the powers as defined by the Government mean that it can amend the rate and materials that fall under Central Excise. This is very worrying, Mr. Chairman.

I welcome the safeguards enshrined within the Bill that the notifications will be laid in front of the House. But I do need clarity from the Government under what circumstances it envisions in the proposed Section 3B, which says that the Central Government can increase the duty legible in respect of any goods if the circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, where is the reference to public goods? What are the circumstances? Who decides the circumstances? They should come with some restrictions especially when the emergency powers increases the duty and does not reduce it.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR: Finally, Mr. Chairman, my last concern relates to the risks of delay in implementation.

For the GST to be successful, it requires the harmonization and classification of goods in order to prevent maladministration and also for 'Ease of Doing Business'. But the problem is whether the implementation will take place

immediately. If there are delays till September as recently suggested, this may leave individuals stranded between conflicting laws and their implementation. Even the complementary rules and laws, the Government is supposed to frame, are being pushed close to the deadline thereby pressurising stakeholders to accept changes in a rush while leaving businesses with a little time to adapt to the tax structure.

So, Mr. Chairman, we support this Bill but we urge the Government to take these six concerns into serious consideration and to amend the regulations accordingly. Thank you.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद, सभापति महोदय। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि अभी जो हमने चार बिल्स पास किए हैं, उसी बिल का समर्थन करने के लिए कानून में ये चेंजेज करना आवश्यक था और इस कारण से सरकार इसको लेकर आई है, आज़ादी के बाद इतना बड़ा चेंज किसी टैक्स लॉ में आज तक नहीं हुआ, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और पूरी-की-पूरी सरकार बधाई की पात्र है, मैं उसे बधाई देता हूँ।

चेयरमैन सर, जब हमारे वक्ता बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं तो बिल पर ही बोलूंगा, बिल के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने जो बातें कही, उसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जैसे इस बिल में सी.एस.टी. पर एक संशोधन है और सी.एस.टी. में वे कह रहे हैं -

“Introduction of GST on Inter-State Supply of Goods and Services, a new Article 269A has been inserted which provides for levy of Goods and Services Tax on supplies in course of inter-State trade or commerce. The concept of declared goods deleted.”

इसका मतलब है कि डिक्लेयर्ड गुड्स का जो कॉन्सेप्ट था, वह इसमें डिलीट किया गया है।

“The Constitutional (Amendment) Act also deleted Article 286(3) of the Constitution which empowered the Parliament to declare any goods of special importance and subject taxation on such goods to certain restrictions. Thus, the concept of declared goods has been done away with. This needs to be reflected in Central Cess Act.”

इस कारण से ये संशोधन लेकर आए हैं।

सर, इतनी बातों के बाद आप समझिए कि समस्या क्या हुई? सी.एस.टी. के बारे में मैं आपको बताऊँ कि सुशील मोदी साहब इसके चेयरमैन थे और हम लोग इसके मेम्बर्स थे और भर्तृहरि महताब साहब भी उस कमेटी में थे। हम लोगों की कमेटी के सामने वे आए। इन्होंने जो कहा, मतलब कांग्रेस का जो ‘हाथी का दांत’ है, कुछ देखने का, कुछ दिखाने का, कुछ खाने का, कुछ खिलाने का, इन्होंने क्या किया? अविश्वास किसलिए हुआ? स्टेट में नॉन-कोऑपरेशन किसलिए डेवलप हो रहा है? इस तरह की समस्या क्यों हो रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को चाह कर भी हम उसके अंडर नहीं ला पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि आज भी टैक्स का 50-55 परसेंट रेवेन्यू स्टेट अपने पास रखना चाहता है? ऐसा क्या कारण है कि इसमें इतना डिले होता रहा, जिस डिले की बात वे कर रहे थे, मैं तो उसके ऊपर जाऊंगा कि डिले कितना हुआ, सुशील मोदी साहब ने हमारी जो कमेटी में कहा, वह मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ।

Shri Sushil Modi, Chairman, Empowered Committee of State Finance Ministers, in his post evidence reply, has stated that there is a trust deficit between

the Centre and States on account of non-payment of CST compensation to the States. States feel that they have to go with a begging bowl for the CST compensation to the Centre asking for compensation. So, States want that in Article 279A for GST Council itself there should be a provision for the GST compensation mechanism so that GST compensation can be recommended by the GST Council.

वे क्या कह रहे हैं? आपकी सरकार में मंत्री, जो हमारी कमेटी के सामने आ रहे हैं, वे यह कह रहे हैं कि आपने राज्य के साथ कुछ बातें कर लीं, आपने कहा कि वैंट के बाद जब हम जी.एस.टी. को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तब हम आपको कम्पेंसेशन देंगे। पर, यह सरकार एक सॉवेरेन सरकार है। यदि भारत सरकार के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होगा तो किसके ऊपर होगा? इस सरकार ने सी.एस.टी. कम्पेंसेशन देना राज्यों को बंद कर दिया।

यहां पर श्री कल्याण बनर्जी एवं श्री भर्तृहरि महताब साहब बैठे हुए हैं, राज्य क्या करेगा? यदि केन्द्र राज्य को कहेगा कि हम राज्य को पैसा देंगे और केन्द्र पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा, तो यह जो ट्रस्ट डिफिसिट हुआ, माननीय श्री मोदी जी की जब सरकार बनी तो उसने ही इस ट्रस्ट डिफिसिट को खत्म किया। सी.एस.टी. कम्पेंसेशन की जो 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि थी, उसने राज्यों को दिया और उसके बाद जी.एस.टी. को आगे बढ़ाया गया। जी.एस.टी की जो कहानी है, वह बहुत ही अद्भुत है। यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी बहुत आश्चर्य होगा।... (व्यवधान) इसीलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ है। बेसिकली जी.एस.टी का इतिहास क्या है?... (व्यवधान) मैंने सी.एस.टी कम्पेंसेशन के बारे में कहा है, इसलिए मैं आर्टिकल 269ए की बात कर रहा हूँ। It is a consequential amendment. मैं कह रहा हूँ कि यह जो अमेंडमेंट किया गया है, यह अमेंडमेंट क्या है? पहला अमेंडमेंट है कि डिफिनेशन ऑफ कस्टम एरिया, इसमें करेंटली जो कस्टम एक्ट, 1962 है, कस्टम एरिया में जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं, आप उनमें वेयरहाउस को इन्क्लूड नहीं करते हैं। अब इसमें वेयरहाउस को भी इन्क्लूड करने की बात आई है। यदि गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स में कहीं पर गुड्स रखने जाएंगे, सर्विसेज़ देने के लिए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वेयरहाउस की कितनी आवश्यकता है। इसके लिए ही सरकार यह अमेंडमेंट लेकर आई है। इसके पीछे जो रीजन है और मैं आपको बता भी रहा था कि वर्ष 2003 में केलकर साहब के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनी थी। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। कांग्रेस हमेशा दावा करती है कि हम ही जी.एस.टी. लेकर आये थे, जी.एस.टी. हमारा बिल है। वैंट के प्रिंसिपल के आधार पर कहा गया कि जो ट्रस्ट डिफिसिट था, राज्यों को भरोसा नहीं हो रहा था

कि केंद्र से जो पैसा मिलता है, जो रेवेन्यू है, जो ताकत है और हमारी जो विधान सभा की पॉवर है, उसको सेंटर ले लेगा।

आजादी के समय भी इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि उस समय भी संविधान में इसकी चर्चा चल रही थी। इसके आधार पर जब हम आगे बढ़े, तो वर्ष 2003 में 13वें वित्त आयोग में केलकर साहब ने कहा कि वैट के रिकमंडेशन के आधार पर हमें जी.एस.टी. बनाना चाहिए। इसके बाद वर्ष 2006-07 में इस सरकार ने एक प्रपोजल फाइनेंस बिल में किया, इसमें वैट की जगह पर जी.एस.टी. को लागू करने की व्यवस्था थी। सरकार वर्ष 2009 में इस बिल को लेकर आई और वर्ष 2010 में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर पायी। जब हमारी कमेटी के सामने यह गया तो हमने जुलाई 2013 में सभी चीजों को क्रॉस करते हुए इस बिल को सौंप दिया। उस कमेटी के चेयरमैन श्री यशवंत सिन्हा जी थे। जुलाई 2013 के बाद से इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। ये लोग एक साल तक राज्यों को समझा नहीं पाएं। इस बिल में राज्यों का क्या कंसर्नड था? इस बिल में जो अमेंडमेंट आया है, उस समय राज्यों के जो कंसर्नड थे, उनको दूर नहीं किया गया। उस समय राज्य चाहते थे कि उनको जी.एस.टी. की आवश्यकता नहीं है। राज्यों को लग रहा था कि जो चेंज होगा, वह उनके हित में नहीं है। श्री विजय केलकर साहब ने कहा कि

“The changeover to GST is designed to be revenue neutral at existing levels of compliance. Given the design of the flawless GST, the producers and distributors will only be pass through for the GST. Further, given the single and low rate of tax the benefit from evasion will significantly reduce. Therefore, there will be little incentive for the producers and distributors to evade their turnover. Accordingly, this policy initiative should witness a higher compliance and an upsurge in revenue collections. This will also have an indirect positive impact on direct tax collections. Further, given the fact that GST will trigger an increase in the GDP, this in turn would yield higher revenues even at existing levels of compliance.”

यह जी.एस.टी. का पूरा उद्देश्य था, लेकिन राज्यों को यह लग रहा था कि जो केंद्र सरकार कह रही है, उस चीज के ऊपर सरकार स्टिक ही नहीं करती है। स्टिक नहीं करने के पीछे उसका उद्देश्य था। उसका यह कहना था कि इससे प्राइसेस सूट अप होंगे। फाइनेंस एक्ट 2001 और 2005 में एक बड़ा चेंज करने की बात आई। क्रूड ऑयल की बात कही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कही। उसके पीछे रीजन था कि -

“... with the introduction of GST, the cascading effect of CENVAT and Service Tax would be removed ... ”.

जिसके कारण यह चेंज लेकर आया गया है।

“... with a continuous chain of set-off from the producer’s point to retailer’s point, major Central and State taxes would be subsumed in GST and CST will also be phased out, the final net burden of tax on goods, under GST would, in general, fall...”.

यह जो वेयर हाउस वाला मैंने आपको बताया, 2001 और 2005 के फाइनेंस एक्ट पर मैं आपको बताऊंगा कि रबर एक्ट के चेंज होने के पीछे क्या उद्देश्य है, शुगर सैस के होने के पीछे क्या उद्देश्य है। अभी मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को सुन रहा था, सैस के ऊपर, क्योंकि 13 एक्ट जो हैं, इनमें वह हमारी सरकार से रिपील कर रही है। 13 एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कौन-कौन से एक्ट वह चेंज कर रही है। उनके ऊपर उनकी जो सोच है कि यह क्यों लेकर आए, ये चेंजेज क्यों लेकर आ रहे हैं? भर्तृहरि महताब साहब एक दिन बोल रहे थे। हम लोग दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक तो कहते हैं रेवेन्यू फॉरगोन, लगातार कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन इसके ऊपर चलता है कि रेवेन्यू फॉरगोन प्रत्येक साल लगातार सरकार की जो पॉलिसी है, वह बढ़ रही है, चाहे वह डॉयरेक्ट टैक्स के कारण बढ़ रही है या चाहे इंडायरेक्ट टैक्स के कारण बढ़ रही है। दूसरा, स्टेट को जो पैसे का बंटवारा होना चाहिए, उसमें जो सेस है, उस सेस के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब उस टैक्स को कलेक्ट करती है, तो राज्यों को उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। जीएसटी का मेन फंक्शन है कि राज्य भी अपने कुछ अधिकारों को छोड़ रहा है और केन्द्र भी अपने कुछ अधिकारों को छोड़ रहा है। जब राज्य और केन्द्र दोनों अधिकारों को छोड़ रहे हैं तो दोनों का जो पैसे का बंटवारा है, वह बराबर-बराबर होना चाहिए। इसमें क्लॉज दिया गया है कि जो राज्य पांच साल तक नुकसान में रहेंगे, उन राज्यों को एडीशनल पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको रेवेन्यू न्यूट्रल बनाना है, उनको कहीं से नुकसान नहीं हो, उसके लिए सिन टैक्स लगाया गया है। मान लीजिए किसी टोबैको प्रोडक्ट में लगाया गया है, लगजरी कार यदि कोई खरीदना चाहते हैं, कुछ और भी इस तरह की चीजे हैं, कोई एन्वार्नमेंटल टैक्स भी हो सकता है, जो 28 पर्सेंट से ज्यादा है, जो पैसा उसमें आएगा, उसको वह पैसा देने की बात है। मैं आश्चर्य में यह रहा कि जब केन्द्र बड़ा ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, राज्यों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, राज्यों को सहयोग देने की बात कर रहा है। ... (व्यवधान) सहयोग देने की बात कर रहा है, मतलब अपने साथ लेने का प्रयास कर रहा है, सॉवरेन उनको गारंटी दे रहा है। जो पुलिंग है, मतलब कोआपरेटिव फेडरलिज्म के लिए आप समझिए कि हम ट्रांसपेरेंटली जब आगे बढ़ रहे हैं, इसी कारण से सैस का जितना भी है, चाहे शुगर एक्ट है, चाहे रबर एक्ट है, चाहे मैनुफैक्चरिंग एक्ट है, चाहे कल्याण दा आपके यहां जूट सैस हुआ करता था, जूट की कंपनियां काफी हद तक बंद होती रही हैं, जूट एक्ट है, तो क्या ऐसा कारण है कि उसका हम विरोध करें। उसका

तो सबको समर्थन करना चाहिए कि एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, एक ट्रांसपैरेंट सिस्टम आप डेवलप करने का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आप खुद ही अपने बिल को अपोज कर रहे हैं, और कोई अपोज नहीं कर रहा है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : आपके जो वक्ता हैं, मैं कह रहा हूँ ... (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : आप खुद अपोज कर रहे हैं।

श्री निशिकान्त दुबे : कहां अपोज कर रहे हैं?

श्री कल्याण बनर्जी: कहां से आपको विरोध मिला? Wherefrom are you getting this imagination that we are opposing it? ... (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे : अभी सेंट्रल सैस के ऊपर उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कारण है कि जो पानी का टैक्स लग रहा था, क्यों आप उस सैस को खत्म कर रहे हैं?

श्री कल्याण बनर्जी : अभी आप अपोजीशन में नहीं हैं, रूलिंग में हैं। थोड़ा दिमाग लगाकर बोलिए। You are not here. ... (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे : कल्याण दा, देखिए कौन-कौन से 13 लॉज थे। रबर एक्ट 1947, उसका जो क्लॉज 1 और सैक्शन 1 ऑफ सैक्शन 9 ऑफ सैक्शन 12 है, इसको सरकार अमेंड करने के लिए लाई है, रिपील करने के लिए लाई है। द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेग्युलेशन एक्ट, 1951 का सैक्शन 9 रिपील करने के लिए लाई है। टी एक्ट 1953 का है, कितने पुराने-पुराने कानून हैं। क्लॉज सी ऑफ सैक्शन 3 ऑफ सैक्शन 25 एंड 26 एंड क्लॉज ए ऑफ सब-सैक्शन 1 ऑफ सैक्शन 27, इसको रिपील करने के लिए सरकार लाई है। The Coal Mines Conservation Act, 1974, section 6, 7 and 8, इसे रिपील करने के लिए सरकार लाई है। Bidi Workers Welfare Cess Act - पूरे देश को पता है कि बीड़ी गरीब आदमी ही पीता है। बीड़ी बनाने में जो मजदूर लगे हुए हैं, अनआर्गनाइज़्ड सैक्टर में सबसे गरीब तबका, जिसे कोई काम नहीं मिल रहा है, वह बीड़ी वर्कर बन रहा है। आप गांव, गरीब और किसान का विरोध करने के लिए आए हैं। उसके पूरे सैस को रिपील करने के लिए सरकार लाई है। 1982 का शुगर सैस एक्ट...(व्यवधान) बीड़ी वर्कर्स वेल्फेयर सैस एक्ट, मैं कह रहा हूँ कि जब वेल्फेयर सैस ले रहे थे तो केन्द्र सरकार,...(व्यवधान) कई जगह ऐसा है, जैसे हमारे यहां बीड़ी वर्कर सबसे ज्यादा हैं।...(व्यवधान) यहां श्यामा चरण गुप्ता साहब हैं। इनकी फैक्ट्री भी वहां है।...(व्यवधान) उनको अस्पताल चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। उनको मकान चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। पुलिंग में जो पैसा है, यहां जिस तरह मंत्री बैठते हैं, वे पैसे कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस हिसाब से तय करते हैं। वह एरिया के हिसाब से तय नहीं होता।

इस कारण इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम थी...(व्यवधान) दस साल तक यही होता रहा, मैं दस साल तक यही लड़ाई लड़ता रहा। हमारे यहां सबसे ज्यादा बीड़ी वर्कर्स हैं। चाहे संधाल परगना का पूरा इलाका हो, ओडिशा का इलाका हो, बीड़ी वर्कर्स छत्तीसगढ़ में हों, वहां बीड़ी वर्कर्स की संख्या ज्यादा है। वे लगातार मकान के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें मकान नहीं मिला। वहां के लोग टीबी के मरीज हो रहे हैं, लेकिन टीबी के लिए बढ़िया अस्पताल नहीं बनवा पाए, क्योंकि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका।

यहां खड़गे साहब बैठे हुए हैं। ये लेबर मिनिस्टर थे। ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। यदि जीएसटी पास हो जाएगा तो उसके बाद राज्यों के पास पैसे चले जाएंगे, राज्यों को अपनी सुविधा होगी कि वे बीड़ी वर्कर, मछुआरे, गांव, गरीब, किसान के लिए पैसे कैसे खर्च करना चाहते हैं। हम राज्यों को अधिकार देना चाहते हैं। पैसा किस तरह कनसॉलिडेटेड फंड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। उसी तरह स्वच्छ भारत एक्ट है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जब मैं लेबर मिनिस्टर था, आपको मालूम है कि उस वक्त हमने सबसे ज्यादा ध्यान देकर काम किया। बीड़ी वर्कर्स के लिए जो हाउसिंग स्कीम थी, हम उसे रिव्यू करके बार-बार पूछते रहे, लेकिन आप जैसे नेता के अपने मत क्षेत्रों में काम नहीं करने की वजह से आज मुझे वह भुगतना पड़ रहा है। आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। हमने हर स्टेट को आजादी दी। हर स्टेट के मिनिस्टर्स या वहां के डीजीपी यहां कमेटी में आकर बैठते हैं और पैसे ले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। आप मुझे डायरैक्टली बोल रहे हैं, इसलिए आप कम से कम अपने मत क्षेत्र में उन्हें बुलाइए। आपके हैदराबाद के दोस्त श्री बंडारू दत्तात्रेय जी आए हैं। पूरा पैसा आप ही ले लीजिए।

श्री निशिकान्त दुबे: चेयरमैन साहब, मेरी ही बातों को कहा गया कि यह क्यों रिपील हो रहा है। जब आप राज्यों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो सैस कलैक्ट करने का क्या मतलब है।...(व्यवधान) सरकार ट्रांसपैरेंसी से यही करना चाहती है। आप हमेशा सारा ब्लेम राज्यों के ऊपर डाल देते हैं। जब हम कमेटी में बैठकर पैसे ले जाएंगे, तो आप हमारे जिले को सीधे पैसे दे देंगे। आप वह पैसा डायरैक्ट राज्यों को देंगे और राज्य हमारे जिले को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या नहीं, वह राज्य के ऊपर निर्भर है। जब राज्य को ही सब कुछ करना है, हम जीएसटी में पैसे कलैक्ट करेंगे तो सारे पैसे राज्यों को दे देंगे। सैस के आधार पर जो एडिशनल पैसे कलैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण संशोधन आया है। दूसरा सवाल है कि उस वक्त जो कनसैन्सस नहीं बन पाया, जो शशि थरूर साहब ने कहा, उसके 5-6 प्वाइंट्स थे। जो लगातार लड़ाई लड़ते रहे और उसके ऊपर ब्लेम आता रहा कि आपकी सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती थी। वे पांच प्वाइंट्स क्या थे

- Differential tax regime on taxation of consumers on goods and services has adverse implications for economic neutrality. यह एक प्वाइंट था। सारे वित्त मंत्री वहां लड़ाई

लड़ रहे थे। दूसरा - Failure to provide full tax offsets to the business firms leads to distortions of choice of methods of production based on the types of differentially taxed inputs and also impacts household consumption patterns. उस वक्त कांग्रेस उसे सुधार नहीं पा रही थी।

“Taxation of capital goods without apt offsets to business is perhaps the most serious consequence of inefficient taxation system.” आपका टैक्सेशन सिस्टम था, वह नॉन ट्रांसपैरेंट था, सभी वित्त मंत्री, चाहे वह गुजरात के हों, मध्य प्रदेश के हों, झारखंड के हों या उड़ीसा के हों, हम लोग कन्ज्यूमिंग स्टेट नहीं हैं, उसका मामला आप नहीं निपटा रहे थे। आपको पता है कि आज भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपये स्टेट जीएसटी को दे दिया, स्टेट को कहा कि एमएसएमई सेक्टर का सारा कुछ आप देखिए, 90 परसेंट चीजें स्टेट के ऊपर दे दीं। जब तक स्टेट और सेंटर नहीं मिलेंगे, तब तक आप क्या करना चाहते थे, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बदले सारा पॉवर अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए कन्सेंसस नहीं हो रहा था। “Domestic producers face competitive disadvantage in the absence of destination based taxation principle both between India and rest-of-world as well as across States.” इम्पोर्टेड गुड्स सस्ता हो जाए और डोमेस्टिक गुड्स ज्यादा महंगा हो, “Some States may have more complex tax regime as compared with some other States. Lack of proper coordination between the Central and the State-level tax administration creates complexities and cost inefficiency.” आप उनको पढ़ा-लिखा नहीं रहे थे कि राज्य का कितना अधिकार होगा, सेंटर का कितना अधिकार होगा, उनके टैक्स ऑफिसियल्स क्या बात करेंगे? उनकी ट्रेनिंग कितनी होगी, उनके कितने अफसर हैं, हमारे कितने अफसर हैं? ये दोनों अफसर मिलकर कितना काम कर पाएंगे?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अगर यह दस साल पहले आता तो छह-सात साल पहले ही इम्प्लिमेंट हो जाता और सभी को इसका फायदा होता।

श्री निशिकान्त दुबे: आपने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त बोल रहे थे, क्या ऐसा कारण है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के फार्म में नहीं आ पाया, मैं असीम दास गुप्ता जी के स्टेटमेंट को क्वोट कर रहा हूँ।

SHRI KALYAN BANERJEE: We have supported it. Then, why you are repeating it is what we do not understand.

श्री निशिकान्त दुबे: उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्यों एक्सक्लूड किया, 85 एक्ट्स रिपील करने के बाद 44 एक्ट में क्यों लेकर आए, कांग्रेस वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ। “Clause 14 basically invokes article 366. It basically gives the definitions and categories. In doing so, it says, “except taxes on petroleum, high speed diesel, alcohol, liquor”. If we want to just say, “as may be recommended by the GST Council” that is because today we may keep these things out of the GST. After some time, we may like to have a formulation. So, for each thing you have to come back for Constitution amendment. So, if we have just this clause because normally the names of the commodities do not find place in the Constitution amendment. It normally should not. It should be in the CST laws.” यही कारण है कि हम नए चेंजेज लेकर आए हैं, उन्हीं के आधार पर लेकर आए हैं। जब कन्सेन्सस की बात होती है All parties, including the Communist Party, supported it. उस दिन सलीम साहब बोल रहे थे, सलीम साहब बहुत अच्छा बात कह रहे थे। उनको यह नहीं पता था कि असीम दास गुप्ता जी ने क्या बात कही, असीम दास गुप्ता साहब ने क्या कहा, यही कारण है कि हम चेंजेज लेकर आए हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को किस तरह से इसमें रखना है। यह ऐतिहासिक लॉ है। माननीय मोदी जी का गेम चेंजर है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वही गेम चला रहे हैं, कुछ गेम चेंजर नहीं हुआ है, गेम सेम है, गेम चेंज पार्टी में हुआ है।

श्री निशिकान्त दुबे: जब यह लॉ फाइनल हो जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा इन्फ्लेशन में होने वाला है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का दाम सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। मार्जिनल फार्मर्स जो अपनी खेती का पैसा नहीं ले रहे हैं उनको उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मिस्टर महताब बार-बार कहते हैं कि एग्रीकल्चर की इनकम को दोगुना कैसे करेंगे? जीएसटी ऐसा लॉ होगा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हर हाल में बढ़ाएगा। फूड सिक्योरिटी के बाद आम गरीबों पर इसका बर्दन नहीं होगा, क्योंकि 67 से 70 परसेंट गरीब को भारत सरकार सपोर्ट करेगी। इस कारण एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ेगा और गरीबों को चावल, दाल, गेहूं पर जीरो टैक्स आने वाला है। इस कारण दोनों भिन्न-भिन्न सिचुएशंस में होंगे। जब यह सिचुएशन होगी, तो निश्चित तौर पर इन्फ्लेशन नहीं होगा।

दूसरा, जीडीपी के आधार पर कोई भी क्रेडिट या रेटिंग एजेंसी तय करती है कि आपका जीडीपी क्या है। सारे ऐस्टीमेट्स यह कह रहे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, थर्टीन फाइनेंस कमीशन या केलकर

साहब की रिपोर्ट हो, उन सबने यह कहा कि इसका जीडीपी ग्रोथ 0.9 परसेंट से लेकर 2 परसेंट तक होगा। अगर जीडीपी ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा। अगर सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा, तो हम इन्फ्रास्ट्रक्चर, हैल्थ, एजुकेशन आदि में ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं दो-तीन प्वाइंट कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद एक्सपोर्ट है। हमारा करेंट अकाउंट डेफीसिट कम करने के लिए एक्सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। एक्सपोर्ट के लिए बाहर से जो इम्पोर्ट होता है, उसका प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस में जमीन-आसमान का फर्क होता है। इसलिए एक्ट में जो चेंज किया गया है, उसमें हम एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा पायेंगे। जो करेंट अकाउंट डेफीसिट है, उसे कैसे कम कर सकते हैं? जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर हैं, जो एमएसएमई सैक्टर है, जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसे कैसे बेनीफिट मिलेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है, यानी टैक्स पर टैक्स लगता है। यदि आप होटल में जायेंगे, तो आपको 50 तरह के टैक्स नजर आयेंगे। केवल दस रुपये का खाना खाने के लिए आपको आठ रुपये का टैक्स देना पड़ता है। अब ये पता नहीं किस-किस तरह के टैक्स लगते हैं। यदि ये सारे टैक्सेज इसमें मिल गये, तो उसके बाद आपको एक डायरेक्ट टैक्स दिखाई देगा कि हम 12 परसेंट, 18 परसेंट या 28 परसेंट टैक्स दे रहे हैं। यह टैक्स इसके साथ आ जायेगा। ... (व्यवधान) अब जैसे मिनरल वाटर की बोतल है। वह बाहर दस रुपये में मिलती है, लेकिन यदि हम होटल में जाते हैं, तो वह सौ रुपये से कम में नहीं मिलती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम एक बोतल पानी के लिए 90 रुपये टैक्स पे करते हैं।

दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जो फॉरेन एक्सचेंज है, जिसकी कमी है, जो इन्वेस्टमेंट आना है। भारत सरकार मेक इन इंडिया, स्टैंड अप, स्टार्ट अप के लिए चिंतित है, तो इसके कारण ये चीजें होंगी। टैक्सेशन लॉ में जितने संशोधन हो रहे हैं, वे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हो रहे हैं। इसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी स्वीकार कर रहा है।

सभापति महोदय, सरकार सारे एक्ट्स को रिपील करने के लिए जो संशोधन लेकर आयी है, उसका हम समर्थन करते हैं। मेरा सब सदस्यों से आग्रह है कि वे इसका समर्थन करें, क्योंकि इसमें बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जयहिन्द।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairperson, Sir, it is a great pleasure to hear all the time Shri Nishikant Dubey *ji*. Really, I would love to hear his speech, especially on financial subjects. I consider him as one of the very knowledgeable persons in this field but with great respect to Shri Nishikant *ji*, today, I am really frustrated. I was having a confusion as to whether I am hearing the speech of the Taxation Law (Amendment) Bill, 2017 or an extended discussion of the GST Bill, which has already been passed. There were certain amendments which were not passed. He was arguing on the GST. But I really respect him. I have respect for him but today possibly he is beyond the point.

The hon. Minister is here. I really do not know from whose mind it has come and it has been changed. I would give him thanks. Clause 2 which has the extended meaning, after the words, 'area of customs station', the words, 'or a warehouse shall be inserted'. I really give thanks for that.

In the Statement of Objects and Reasons, it is stated:

“The Customs Act, 1962 provides for removal of goods from a customs station to a warehouse without payment of duty. It is proposed to amend the said Act to include 'warehouse' in the definition of "customs area" to ensure that an importer would not be required to pay the proposed integrated goods and services tax at the time of removal of goods from a customs station to a warehouse.”

This grey area really existed for a long period of time. A lot of interpretation has been made about it. But, today he is really clarifying it and making it a very definite definition. That is the reason that I feel that this part is really very good. Wherefrom has this thought come? I give my thanks to him that this grey area is being removed. In fact, I would like to tell the hon. Minister of State who is present here, one thing. Last Tuesday, I was arguing a matter at the Kolkata High Court, when this grey area was under question. Therefore, this grey area has been removed. It is a very good definition that he has brought. I really appreciate that part. ... (*Interruptions*)

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): That way, your cases will go down.

SHRI KALYAN BANERJEE : If it goes down with his blessings, it will go down. If it is up with your hatred position, it will go up. He has to accept that. It does not matter if it goes down with his blessings. Please try to understand that. I am thanking him and he is not in a position to understand that. He is having a closed mind. ... (*Interruptions*)

SHRI SHIVKUMAR UDASI : What I said was that litigation would come down. ... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: The lawyer never suffers. I am here not as a lawyer but as a parliamentarian. You must appreciate this.

Now, I would come to the next point. I come to clause 3. Under section 108 A, there are sub-sections (a) to (r). Under sub-section (r) (1), it says:

“...who is responsible for maintaining record of registration or statement of accounts or holding any other information under any of the Acts specified above or under any other law for the time being in force...”

This is a liability. They have to maintain this. Under sub-section (2), it says:

“Where the proper officer considers that the information furnished under sub-section (1) is defective...”

Who is the proper officer? This ‘proper officer’ has not been defined. This ‘proper officer’ has to be defined. Unless it has not been defined, one cannot make any ‘proper officer’ by any notification.

15.49 hours (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

Now, they have given a chance of giving a reply in case of a defect. But, in so far as section 108 B is concerned, if they fail to give the information to the proper officer, they are liable for a fine of Rs.100 for each day. I would say that they are imposing a lesser punishment. They must increase this punishment itself. While an authority specified under section 108A fails to discharge the statutory duty, he should be penalized more. All very responsible officers have been defined

under section 108A. They are being paid by the State Exchequer. Why will there be a delay? Why should there be a penalty of Rs.100 in case of a delay? Why should there not be disciplinary proceedings against them? Why will they not be liable to give the information? The information should be given by an officer immediately. A fine of Rs.100 is not enough. What I am saying is that they should think about it to amend it and increase the penalty. If the penalty is not higher, nobody will really be afraid of the implications of this statutory provision. They are bound to do it.

As far as Clause 8 of the Central Excise Act is concerned, after section 3A, the following sections shall be inserted, namely:—

“3B. (1) Where, in respect of any goods, the Central Government is satisfied that the duty leviable thereon under section 3 should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, ... ”

I say this is excessive delegation. There cannot be an arbitrary exercise of power. Lord Acton once said, “Absolute power corrupts absolutely.” Why should you delegate such unlimited discretionary power? What is the objective determination for delegating such power? This part delegates excessive power and this is capable of being abused. ... (*Interruptions*)

Shri Dubey, I am not talking about GST, I am talking about this Bill. You have not read this Bill while you have read the GST Bill. I am talking about this Bill. Please sit down. ... (*Interruptions*) Who will give the answer, you or the Minister? If you have taken the place of the Minister, I would not mind you answering. In the 15th Lok Sabha we used to call you the shadow Finance Minister. But unfortunately you have not been made either the Finance Minister or even the Minister of State. What can we do? We had given all our blessings to you and you should have been in the Finance Ministry. We all have said that you are one of the people who understand financial matters.

According to us, part 3B(1) does excessive delegation of powers. This should not be there. Mr. Chairman, Sir, Dubeyji and his friend next to him have this on their minds that we always jump up in opposition. It is not like that. We are not like him when he was in the opposition. He was for opposition and we are not. We are for constructive criticism. We will make our constructive criticism on this and give whatever suggestions we have. We are not as such opposing the Bill. I just want to clarify the situation. He should not come here with a closed mind as to what our intentions are. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : दुबे जी, उनको बोलने दीजिए।

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, his habit has not gone. He still thinks that he is in the opposition. He goes on interrupting continuously.

श्री निशिकान्त दुबे : यह इसमें पहले से था। वह रिपील हो गया, इसीलिए उसको छोड़ा गया।... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Who will give the answer, you or the Minister?

श्री निशिकान्त दुबे : आप इतने बड़े लॉयर हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दुबे जी, बहुत हो गया। बैठिए। उनको बोलने दीजिए।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, give him some time from my time and let him finish speaking. After a long time he has got a chance to speak and he has spoken. आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, तो उनको बोलने दीजिए। हमारे टाइम में से उनको दे दीजिए और उनको बोलने दीजिए।

Sir, this is consequential legislation to the four Bills which have been mentioned in the list. Because this is a consequential legislation it is needed to be enacted. Despite our objections and amendments, we have to accept whatever is there. After this Bill has come, there is no scope as such to oppose it except to point out a few things which I have done. I hope that the hon. Minister of Finance who is here will take care of the points which I have made.

What is the stark reality on the ground? The stark reality is that the power is with the officers of the Central Excise and Customs. It is not a question of who is in the Government. If the power vested with the Central Excise, Customs, police

etc. is absolute, if you give them unrestricted power, the power is supposed to be abused on so many collateral considerations. Therefore, I would request the hon. Minister to give some safeguards in the Bill. Whoever has committed a fault should be penalised. I have said this in my speech. But simultaneously, a safeguard should be given so that no officer arbitrarily exercises the power.

With these words, I thank you and I also thank my esteemed colleague and my friend Shri Nishikant Dubey.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, the Taxation Laws (Amendment) Bill 2017 has an added texture as Shri Nishikant Dubey and the first speaker from the Congress party Dr. Shashi Tharoor have mentioned. He rightly mentioned that because GST has come into being and is going to be implemented hopefully from 1st July if not from 1st September, this Taxation Laws (Amendment) Bill has got an added texture. Otherwise, after every Finance Bill, a lot of amendments are also getting effected because of the pronouncement in the Finance Bill of changing in different Acts. Normally, Members sitting in Opposition also give amendments or opinion on those amendments which are getting affected. Luckily or unluckily, I have not moved any amendments on this Bill. I do not think that Shri Kalyan Banerjee or any other Member has moved any amendment.

What has happened is that four specific enactments have been made relating to GST. But other than that, as the Finance Minister had pronounced the other day, a number of cesses will also be subsumed in the GST. A number of other taxes that were being collected as a surcharge also get subsumed into the GST. In one line, one can say that the Union Government has given more power to the GST Council. Respective provinces or State Governments also have given some of their powers to the Council and the Council will be taking major decisions relating to indirect tax. As Shri Nishikant Dubey rightly mentioned, this is a game changer. Whatever indirect tax mechanism we had in our country during the colonial period and after 70 years of our Independence, here is a system which we are having for ourselves. It will make things easier for trade and commerce and free flow of goods from one place to another. This is a conscious decision that all political parties, cutting across their beliefs, have accepted- One Nation, One Tax, and One Product. AIADMK had a different opinion; some provincial leaders of BJP also had a different opinion. But all of them have agreed and there is a collective wisdom which prevails in democracy and here we find that through GST it has fructified.

16.00 hours

With this taxation law, there are certain issues which I would like to flag while deliberating on these aspects. It is proposed to amend the Customs Act to include 'warehouse' in the definition of 'custom area' so that an importer would not be required to pay Integrated GST at the time of removal of goods from the customs station to a warehouse. In the Customs Tariff Act, the amendment is to provide for levy of Integrated GST and GST Cess on imported goods. In Central Excise Tariff Act, the CGST, a new Schedule is introduced to provide for classification and duty rates for petroleum products.

After introduction of GST, the cesses or surcharges that are levied or collected as duties on taxable services would become irrelevant especially for petroleum and tobacco products. This Bill seeks to abolish certain cesses or surcharges. This Bill also seeks to abolish the cess levied on water consumed by certain industries and by local authorities under the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

There are about 16 or 17 Acts where certain sections are being deleted through this Bill. The whole of Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, is getting deleted; the whole of the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 gets deleted; the Sugar Cess Act also gets deleted. There are a number of other sections of various Acts and different Finance Acts which are also getting deleted. I was really interested to know about all these because we do not get any benefit as a Member elected from the State of Odisha or as I reside in Odisha from the Sugar Cess, but of course Odisha gets benefit from the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 and also the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976.

I fully endorse the view of Shri Nishikant Dubey but he stopped in the middle; he did not go further. One can understand the limitations that Shri Dubey has. The Beedi Workers Welfare Cess Act clearly demands and provides for a fund. There is a fund. It is collected and deposited in the Consolidated Fund of

India. Subsequently, it is distributed among the States which give their plans and programmes for those specific areas where these unorganized workers work, where the *tendu* leaf workers work, where the *beedi* is produced. These are specific housing schemes, specific health schemes made under this Act. This is a special prerogative of the Labour Minister. The Minister of Labour of the Union Government and the Labour Departments of the respective States look into it. The ESI which is also a part of the Labour Ministry also goes into that aspect for maintenance of those hospitals.

I have my doubt but I would be happy to understand from the Minister of State in the Ministry of Finance. I think he is going to reply to this debate today in the absence of the Minister of Finance. How can you ensure that the money that was flowing from this fund for these specific targeted groups will flow? How can you ensure that the plans and programmes will also continue for their benefit? How can you ensure that the money that will flow to the States will also be of any benefit for these marginalised sections and unorganised workers of our society? I fail to understand it. If you can frame certain rules and get it sanctioned from the Council, nothing like it; it will be helpful. Ultimately, that section of the people also needs support. That is why in 1977 when the Janata Party came to rule under Morarjibhai Desai, this specific order was made, an Act was notified, and a cess was levied. We are against collection of cess but here is a cess which was flowing to the State and also to the District. It is going to stop now. Well and good, but I would request you to make additional corrective mechanism so that that section also gets support.

Another is Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act. We have seen in our State, there are many other States also, water is consumed by the industry. As we all know जल का एक धर्म होता है, वह नीचे की ओर बहता है। Water will be consumed by a person or by an industry and that will also flow. It will flow in a polluted way. To check the pollution or to get more revenue from that consumption of water, this cess was also getting collected from 1977. Water will

be consumed by the industry but you are abolishing this cess on water. How can you ensure that the money will also flow for specific upgradation of that area? This also needs to be explained

I am not going into the other aspect but I have one more issue for the Government as also for the House to consider. This Government has pushed ahead with key economic policy reforms. The previous Government did certain things. I would not say that the UPA Government did not do anything. They did do certain things but this Government has the benefit of the support of more than 300 Members in this House and has the calibre to tide over the resistance of the Rajya Sabha.

The legal desks have been cleared for the new GST. We have a new monetary policy regime today that is focused on inflation control. That was not there earlier. The new Bankruptcy Code will help deal with the problem of capitalism. This Government has brought in transparency through auctioning of natural resources. These things have happened during the last three years. The question today is what next.

The UPA Government had tried its best to push through a number of these policies. It was a different matter, the Congress Party did not have the full mandate and hence it could not do it. But this Government has the mandate and has tried to have these measures which were contemplated during the UPA regime or even before when Atal Ji was the Prime Minister. You have already taken these three major steps. The new GST is now going to be made functional. The monetary policy regime is now in place. The Bankruptcy Code, Nishikant ji and other Members of the Committee on Finance are very much aware, is now in place. The Government has brought transparency through auctioning. The Minister for Power and Non-conventional Energy is also here. He was very much an advocate for that. That is also in place. The question is what next.

This Taxation Laws (Amendment) Bill is consequential of the GST, no doubt, but what next. I would like to remind this House and also myself that deep

policy reforms do not happen overnight. Many years of preparation within the Government as well as outside is required. It has taken nearly 17 years to implement GST. Similar is the case relating to monetary policy and bankruptcy regulations. So also, the economic reforms of 1991 were preceded by three Government Committees; first by P.C. Alexander on Trade Reforms, second by Vadilal Dagli on Controls and third by L.K. Jha on Indirect Tax Reforms.

That is how in 1991 Dr. Sahab was confident enough to move in for free market economy. We should not forget the Seventh Five Year Plan. The Seventh Five Year Plan gave importance to higher productivity through technological upgradation of the Indian industry. Do we remember who headed that Seventh Finance Commission? It was Dr. Manmohan Singh. Now, the hon. Prime Minister is saying that we should become a ten trillion US Dollar economy by 2032. What are the next generation of economic reforms that we need to achieve this goal? Are we prepared to reach the target of ten trillion US Dollar economy by 2032 which the hon. Prime Minister is contemplating? Can jobs be created? Can high growth be maintained? These are not mere questions. Strategic thoughts are needed to go into the issues before the policy is designed.

Sir, the Planning Commission is gone. We have NITI Aayog. Should not this Government need to look beyond your administrative achievements and focus on what economic policy reforms India needs over the next decade? Think strategically for the long-term. Think about the next phase. Unfortunately, Sir, there is not enough evidence of such thinking as yet. Thank you, Sir.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, on behalf of the Telugu Desam Party, I wholeheartedly support this Bill. We have been supporting this Bill ever since GST has been conceived during the regime. The GST is definitely a progressive tax regime and everybody is looking forward to it and is enthusiastically waiting for it.

Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister to give some clarifications. We have been talking about 'One Tax One Nation'. But, I would like to ask as to why not 'one administration'. We have two administrations; one at the State and one at the Centre. Why we have two administrations? Instead of having two administrations, do you not think that it is time to have a federal GST service on the lines of the All India Services? This is the one thing I would like to seek clarification.

Second thing is about GSTN. The entire success of GST depends on the GST network. This is entirely dependent on the software. I do not as to what is the preparedness of the Government to launch the software and hardware. Last March, the Government has reviewed the preparedness of GSTN and said that they are fully prepared for this. I am a little sceptical about this preparedness because this is a very gigantic exercise covering whole of India and we are launching a revolutionary tax concept. In such a scenario, how far the Government is prepared as far as the GST network is concerned for launching it from 1st July, 2017 and definitely not later than September?

Sir, another pertinent point is this. Sir, there is a division of tax base of Rs. 1.5 crore above and Rs. 1.5 crore below. In the Rs. 1.5 crore above, the tax base is divided between the Central Government and the State Governments. I would like to ask the hon. Minister to clarify as to what the criteria is for Rs.1.5 crore benchmark. आपने 1.5 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इसके ऊपर 50 per cent will go to States and 50 per cent will come to the Centre. इसमें अजीब बात यह है कि इस 1.5 करोड़ रुपए की राशि के नीचे, 90 per cent will go to the States and 10 per cent will come to the Centre. Sir, in this type of arrangement, who will pick up assesseees? How will you

decide which assessee will go which side? 90 परसेंट असैसी में कौन जाएगा, 10 परसेंट असैसी में कौन जाएगा और 50-50 परसेंट में कौन जाएगा?

Sir, another important issue is that this GST is an indirect tax. The epitome of indirect tax in India which has got excellent reputation so far and collecting a lot of indirect taxation smoothly is called the Central Board of Excise and Customs which is collecting central excise, service tax and customs. Now the name has been changed to the Central Board of Indirect Taxes and Customs.

When this is made, an arbitrary decision regarding tax base of above Rs.1.5 and below Rs.1.5 crore has been taken. A lot of tax base has been shifted to the States. I feel the CBEC officers who are recruited through UPSC are on par with IAS, IFS, IPS in competence but they are now rendered unemployed or rather under-employed. So, this will be a callous misuse of manpower which we have in plenty at the disposal of the Central Government, whereas, the State Governments have never been exposed to central excise or service tax.

Now, central excise is a very complicated structure. It is the manufacturing which is the key to decide whether the central excise is leviable or not. To know whether a product has undergone a manufacture, there are so many Supreme Court judgments but still it is not very clear. Even in the CBEC or even in the Supreme Court, still there are a lot of litigations and it is still *res integra*.

In such a complicated tax structure, if you are allowing the State Government to administer, especially, the service tax, it will create problems. There are four ingredients required to call it as service tax. There has to be a service; there has to be a service provider; there has to be a service recipient; and there has to be consideration. These four vital ingredients are to be looked into before deciding whether a service is taxable or not. This much of expertise and technical knowledge is required to understand the indirect taxation. I am not trying to say that the State Governments are not well-equipped. They may also be well-equipped and they may also be very intelligent. But we have well-trained CBEC officers who are becoming under-employed whereas the State

Governments are becoming under-staffed because they do not have staff. The tax base has been shifted from the Central Government to the State Government, thereby making the Central Government under-employed and the State Governments under-staffed.

Another interesting point is regarding vigilance. सेंट्रल गवर्नमेंट में विजिलेंस है। कोई भी अगर गलत काम करेगा, कोई भी यदि इधर-उधर का काम करेगा, CBI and CVC will have jurisdiction. But in the jurisdiction of the State Government, CBI and CVC cannot enter. The Central Excise is a Central Act. The Service Tax is also a Central Act but it is administered by the officers of the State Government. If there is any vigilance case, who will book the case? Will the CBI have jurisdiction? Will the CVC have jurisdiction? So, is it not leading to discrimination among the tax administrators? Somebody would go to CBI and somebody will not. The State Governments naturally resist the entry of the CBI and CVC into their jurisdiction. Therefore, this is another dichotomy.

These are some of the teething problems because it is being just unfolded. If we take care of all these factors – human, manpower, one tax one nation, one administration, some vigilance mechanism, GST preparedness, arbitrariness of the tax base of Rs.1.5 crore between the Centre and States, I feel this will be a smooth unfolding in future. Otherwise, unnecessary problems will be created between the Centre and States which we would not be able to solve very easily. The GST Council also cannot address all these problems. The GST Council is not the panacea for all ills. We have to have certain mechanisms in place before going ahead with the GST unfolding.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, in the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017, first I would be referring to the last pages of the Bill and then I will come to the initial pages.

In the Memorandum regarding delegated legislation on page 24 in paragraph 3, the Government says:

“The delegation of legislative power is, therefore, of normal character.”

But I have certain reservations in this regard. The delegation of power is not of a normal character. My learned senior colleagues who have participated in this discussion have pointed out that the delegated powers are unchecked powers; enormous powers and unbridled powers. I fear, if this august House does not take cognizance of the words of my learned senior colleagues, then we will be creating a machine, a monster and I am not saying that it will be a Financial Frankenstein.

In the Statement of Objects and Reasons, at page 19, at paragraph 2, it has been mentioned, I am not reading the whole thing, ‘certain consequential amendments in the Customs Act 1962; the Customs Tariff Act, 1975; the Central Excise Act 1944 etc.’ We all know that the holy book of this nation, the Constitution of India, enumerates three lists, namely, one is ‘we the people’ the Union List, the State List and the Concurrent List. There are quite a number of international treaties that we have entered into, whether it was Khargeji’s party was in power or now it is the NDA is in power, the people are not concerned about that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You and we were together.

DR. A. SAMPATH : No, we were not part and parcel of you. Please do not try to push and pull us along with you. If we supported it was just because of the Common Minimum Programme and not just because of the beauty of your leaders. The Government of India has entered into quite a number of treaties without the concurrence, consent and knowledge of this august House and without any

discussion in the House of the People. So, what happened? We are not importing tonnes and tonnes of natural rubber; we are importing tonnes and tonnes of spices and quite a number of other things and we are saying that the Government has entered into international treaties. Many of the States are suffering because of this. My State, Kerala, is also suffering; even the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra and Punjab are also suffering. If we are talking about cooperative federalism, the Government of India should take into confidence all the State Governments.

Here, we have to look into one important aspect. Why I am saying this is because we are now going into the era of GST. This legislation is also going to be helpful for the GST. Let it be so. In 2007, the prices of international crude oil prices were \$ 72.37 per barrel which when converted into rupee terms it was Rs. 2784.80 and the LPG price per cylinder then was Rs. 288.08. In 2008, the international crude oil prices were the highest in the world. It was \$99.57 and at that time the LPG price per cylinder was nearly Rs. 328.50. We are now discussing this in 2017 and in this year the prices of international crude oil is one of the lowest. It is around \$41.92 per barrel, but now our consumers are forced to Rs. 734.55 per LPG cylinder. The split is just like this. One is paying the cylinder price, then the subsidy and then the Government will later on return the price of the subsidy. This is something where the consumer will feel that they are being pick-pocketed.

Sir, I am not making any political allegation. My words are not said with any political agenda. This is common man's language and this is common man's plight. The common man is being burdened by taxes and taxes while the corporates are being exempted and exempted. In the Finance Bill also, the corporates have been left out. It is a free for all in the case of corporates. They can donate any amount to the political parties. There is no free lunch at all. In the Parliament House also, there is not even a free lunch. Even if we work or if our staff works upto 10 p.m. or 11 p.m., there is no free lunch at all. Sometimes in

some countries, there will be a big hoarding saying 'free' but there will be nothing in fine prints. It is just like that. All the concessions which were given to the poor people are being taken back but concessions are again and again poured upon the corporates.

Sir, it has been pointed out in this august House about the vacancies. How many vacancies are yet to be filled up? Our hon. Minister very well knows it. Even the Income Tax Department is limping . I am not saying that it is orthopaedically handicapped, with all due respect to my friends. It is working with less than 60 per cent of the total strength. What is the strength of the Customs Department? It is also limping. The Government of India should take initiatives to fill up around one million vacancies including two lakhs of vacancies in the Railways also.

Here, I would like to make two more points. One is regarding this Bill itself. At the end of page 19, it is said that the proposed Bill also seeks to abolish the cess levied on water consumed by certain industries, etc. Water has become a scare resource. Even my State received 36 per cent less rain than it should have got last year. There is no drinking water available. The country is facing drought. All States are facing drought. If the industries are having a free say and if the cess levied on the consumption of water is being withdrawn, the people will be at the mercy of the corporates.

I have one point to make regarding the taxation law. Our nation is very much proud of our performing arts. We have 64 performing arts like Kathakali, Mohiniattam, Odissi, etc. Magic is one of these arts. But what is the position of magic? Is the Government intending to put magic under entertainment tax or will magic also be considered as one among the performing arts? Only if it is put in the performing arts and the Government is giving tax exemptions, it will flourish. We are living in a stage where circus is vanishing. It was once upon a time flourishing in India. The world was very much amazed because we were having

very good circus teams but now our circus teams have vanished. Magic is also another sector like this.

There are traditional industries like the handloom, the fisheries, the pottery, the bamboo industry and the carpentry. Do not put the carpenters also under the carpentry industry. Industry is something else and the traditional workers are doing something. They are earning their livelihood without any help from the Government.

Lastly, when I conclude, I would beg the Government through you Sir, to kindly give adequate loans to the traditional sector for their sustenance and livelihood. Otherwise, the traditional industries will vanish and if they vanish, they will not reappear. Thank you, Sir.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Chairman, Sir, thank you for the opportunity to speak. Last week we passed four Bills related to the GST, the Central Goods and Services Tax Bill, the Integrated Goods and Services Tax Bill, the Union Territory Goods and Services Tax Bill and the Goods and Services Tax (Compensation to the States) Bill.

There were so many apprehensions and objections, and consequently several Members have moved amendments. Our Party believes that these amendments should have been there. But we did pass the Bills finally. We come from a progressive State. Ours is a progressive Government. We are not the ones to cry over spilt milk. It has already happened and we passed the Bills.

Today's Bill is consequential to the fourth point. Our Party, our nation and this Parliament took a great leap of faith in our Government. We hope that this will really leap frog our country into a new era of tax-compliant India.

We also have faith in the GST Council. Literally the Government gave lot of powers to the GST Council. There were arguments over the composition of the Council and its working methodologies. Those were the most serious objections. We also have these objections. Nevertheless, past is over and we do need to look forward. In the best interest of moving things forward, we from the TRS Party support the Bill. But as we mentioned, passing the Bill is one thing, implementation is yet another thing. We wish the Government well to implement the Bill with as much zeal as it did with passing the Bill. Thank you.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much. Many Members who spoke before me have said that it is only a consequential Bill to the GST and the Budget. But it involves lots of amendments, repealing of several Acts, proposing of several provisions and many other things. Since we have already supported the GST Bill and the Budget, obviously we have less objections.

With regard to the imposition of the Compensation Cess to protect the domestic products against the imported ones, I could not understand the logic. Now, we are making the market very competitive. Of course, there is a need to protect the local manufacturers. At the same time, should we not encourage competition amongst the manufacturers? Therefore, the Compensation Cess may not be relevant in the present day competitive marketing.

Secondly, it removes several cesses and surcharges and makes the taxation system quite simple. It is a welcome feature. But to make India a single market, perhaps important products like the petroleum, petroleum products and the aviation fuel, etc. should be brought within its ambit as soon as possible so that the GST could be more relevant. Otherwise, it continues to be in different tax slabs. What is extremely logical, at least to me, is the abolition of cess on water, the reason being that this is the only source of income for the local *panchayats*. When the industries are established or when the bigger local bodies take the water from the villages and if they do not pay the cess, obviously the village *panchayats* are put to a great loss.

These days the demands from the public and from the village panchayats are rising year after year, but the resources for the village are coming down. Whatever the little cess that the local bodies are collecting, if that is also removed then it will definitely hamper the local *panchayats*. That may be reconsidered.

Every time we are only considering the streamlining and reforming of taxes. But we are not thinking of creating new sources for generating revenues. Perhaps the Government could consider the Corporate Social Responsibility. It

says that two per cent of the profit of each company should go to the development of the local areas. But I must say, with a lot of pain, that not a single company gives its share of the CSR. I will give you the classic example. In my constituency, Tirupati, we have world class Sri City SEZs at Menakuru and Mambattu.

There are a lot of generation activities and other things going on there. But the moment we cross the limit of the SEZ, absolute poverty prevails and there is no infrastructure in the villages. Perhaps, if the CSR is implemented with a lot of faith and zeal, this gap between the urban areas and rural areas can be reduced.

Similarly, I do not think that people have to be threatened with IT raids. But when we have 135 crore people in India, hardly 0.1 per cent of the people are paying taxes? Why is it so? We know that the entire State wealth has been concentrated in one per cent of the people. So, the tax reforms should also focus on how to bridge the gap between the rich and the poor and the rural areas and the urban areas because the gap is increasing year after year between the rich and the poor and the urban and the rural areas.

We always talk only GDP. We are so proud of it and every time we say that it is growing at the rate of 7 per cent or 7.25 per cent. Certainly it will not reflect the Human Development Index because the poor is remaining as poor and the rich people are becoming richer and richer.

Secondly, every time we harp on infrastructure. But there is no focus on building rural infrastructure. As a result, the villages are being deprived of even the basic amenities like roads, streets, drinking water and housing etc. So, it is high time that the Government focuses on rural areas rather than on urban areas.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Sir, I am just concluding.

There are a lot of loopholes in the system. As a result, our country is becoming a non-compliant country. So, the loopholes should be plugged so that we can collect more taxes which would be beneficial to the people.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : धन्यवाद सभापति महोदय, टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, ये जी.एस.टी. के जो चार बिल्स लोक सभा ने पास किए हैं और उसके परिणामस्वरूप जिन टैक्सों को जी.एस.टी. के अंदर शामिल किया गया है, उनमें चेंज करने के लिए लाए गए हैं। मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, पहला जो अमेंडमेंट था, वह यह था कि 'कस्टम एरिया' की डेफिनिशन में 'वेयरहाउस' को इन्क्लूड नहीं किया गया था। जैसा कि माननीय सांसद बता रहे थे कि इससे काफी दिक्कतें होती थीं और अब जो प्रॉब्लम है, वह आगे इम्पोर्टर को नहीं होगी। इस कारण से, इसकी डेफिनिशन को चेंज किया गया है।

दूसरा, कस्टम्स एक्ट में एक नया सेक्शन - 108 (1) इन्क्लूड किया गया है। कस्टम्स एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर किसी भी अधिकारी को कोई डिटेल मांगनी हो, लेनी हो, कहीं से भी लेनी हो तो उसे कस्टम्स एक्ट के सेक्शन - 108 में अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन, इसमें कोई पर्सनल भी ले सकता था। लेकिन कस्टम्स एक्ट के सेक्शन - 108 में यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई सरकारी इंस्टीच्यूशन हो, चाहे वह बैंक हो, को-ऑपरेटिव हो, लोकल बॉडीज हो, उनके जो अधिकृत अधिकारी हैं, जिनके पास वह डिटेल मौजूद है, उनसे 'प्रॉपर ऑफीसर' मांग सकते हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 'प्रॉपर ऑफीसर' को डिफाइन नहीं किया गया है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि कस्टम्स एक्ट के सेक्शन - 2 सब सेक्शन 34 में 'प्रॉपर ऑफीसर' की डेफिनिशन दी हुई है। उस 'प्रॉपर ऑफीसर' को यह अधिकार है कि वह उनसे डिटेल मांगे। सरकार के जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके जो अधिकृत अधिकारी हैं, उनसे वह मांगे। अगर वह डिटेल जान-बूझ कर नहीं देता है तो उसे उसके लिए पेनाल्टी का भी अधिकार है और अगर वह गलत सूचना देता है तो उसके पास प्रॉस्क्यूशन करने का भी अधिकार है। यह बहुत जरूरी था। अगर कोई सरकारी विभाग किसी डिटेल को देने में डिले करते हैं तो इस डिले करने की जो प्रवृत्ति है, इसको रोकने के लिए यह अमेंडमेंट बहुत जरूरी था और इसलिए यह लाया गया है।

इसके साथ-साथ ही एक अमेंडमेंट लाया गया है और जी.एस.टी. 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जो माल बाहर से आयात होता है, उसके ऊपर कस्टम टैक्स लगती है। आयातित माल पर जी.एस.टी. रेट लगाने का अधिकार भी इस अमेंडमेंट के तहत कस्टम को मिल गया है। इसमें इम्पोर्ट वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी दोनों को जोड़कर 40 परसेंट तक जी.एस.टी. या अन्य सेस भी लग सकती है। इसे लगाने का अधिकार कस्टम को मिल गया है।

सेंट्रल एक्साइज के अंदर भी काफी आइटम पेट्रोलियम पदार्थ एवं तंबाकू को छोड़कर जी.एस.टी. के माध्यम से बाहर होंगे। अभी जो अमेंडमेंट किए गए हैं, वे आज के समय के हिसाब से जरूरी था। अभी वाटर पॉल्यूशन एवं इंडस्ट्री के ऊपर पानी के कन्जम्पशन के लिए जो सेस लगता था, उसको भी हटा दिया गया है। यह सेस पहले लोकल बॉडी द्वारा लगाया जाता था; चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपल कारपोरेशन हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी, इन सारी लोकल बॉडिज़ को एक्ट के तहत सेस लगाने का अधिकार था। अब यह एक्ट भी हटा दिया गया है। इसी तरह से जो और चार-पाँच सेस थे, उनको भी कानून के माध्यम से हटा दिया गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयास से पहली बार पिछले छह वर्षों में जो एक्चुअल टैक्स रिसिप्ट वर्ष 2016-17 की हुई है, वह 17 लाख 10 हजार करोड़ रुपये की हुई है। यह अपने रिवाइज्ड एस्टिमेंट से भी लगभग सात हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। वर्ष 2015-16 में जो एक्चुअल टैक्स रिसिप्ट हुई, उससे करीब 17 पर्सेंट ज्यादा है, जो आज तक विगत छह सालों में नहीं हुई है। यह आगे आने वाले समय में और भी अधिक बढ़ेगी, क्योंकि 1 जुलाई से जी.एस.टी. लागू हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार तथा माननीय वित्त मंत्री जी से एक ही आग्रह है कि जी.एस.टी. के अंदर जो दो बड़ी दिक्कत आने वाली हैं, क्योंकि इसका प्रोविजन रूल्स में बनने वाला है, एक जो ट्रांजेक्शन प्रोविजन बन रहे हैं, उनमें बहुत से छोटे व्यापारी हैं, जो ड्यूटी पेमेंट नहीं करते हैं या जिन पर टैक्स लागू नहीं होता है, इनका नोशनल बेसिस पर कुछ न कुछ समाधान किया जाए। अभी जो जी.एस.टी. की रेट आने वाली है, वास्तव में किसी भी कमोडिटी पर जो टैक्स लग रहा है; जैसे कपड़ा है, केवल फाइबर पर टैक्स लगता है, बाकी किसी भी अन्य चीज पर टैक्स नहीं लगता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टैक्स की दरें निर्धारित की जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आपने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने की अनुमति दी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

सदन में जी.एस.टी बिल आया और उस पर सभी सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी राय रखने के पश्चात इस बिल को पास करने का काम हुआ। इस बिल के संदर्भ में कहा गया था कि 'एक राष्ट्र - एक टैक्स'। जी.एस.टी. के माध्यम से गरीब राज्यों को भी सहूलियत होगी। आज भी हमारी यही मांग है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को सुविधाएं देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 है, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को अधिक से अधिक उचित लाभ पहुंचे, इस विधेयक के माध्यम से इन राज्यों का ख्याल रखने का काम किया जाएगा। देश में व्यापार आसानी से हो, इसमें कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए टैक्सेशन को बराबर किया गया है और इससे किसी को दोहरी मार न लगे, इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका कोई भी बुरा असर नहीं होना चाहिए। इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था की चक्की हमेशा घूमती रहती है। यह नहीं है कि आज जीएसटी बिल आ गया, तो यह देश के लिए अंतिम है, इसमें कभी परिवर्तन की गुंजाइश आएगी ही नहीं, मील का पत्थर नहीं होता है। यह अर्थव्यवस्था की चक्की चलती रहती है और धीरे-धीरे सुधार होता रहता है, वैश्विक दौर में सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है।

जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लोग छोटे-छोटे रोजगार करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने खादी की कल्पना की। खादी का कपड़ा अधिक से अधिक हमारे लोग गांव-गांव तक उसे पहनें, उसे यूज करें और उसका बेहतरी से प्रचार-प्रसार हो। इस पर जितना कम से कम भार पड़े, इसका ख्याल रखना होगा। हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो बुनकरी का काम करते हैं ... (व्यवधान) जो खादी और बुनकरी का काम करते हैं। इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ... (व्यवधान) खादी के साथ-साथ जो बुनकरी है, उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों पर ध्यान देना होगा।

अब मैं प्रदूषण पर कहना चाहूंगा। जो बड़े उद्योग हैं, उनसे नदियों में प्रदूषण होता है। पेड़ की कटाई की जाती है। हमें प्रदूषण को रोकना है और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। नदियों के साथ, जलवायु के साथ छेड़छाड़ होती है। बिहार में उद्योग लगे, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन उद्योग भी वहीं लगता है, जहां पहले से वातावरण का निर्माण रहता है। उद्योग पर टैक्स में और प्रदूषण में जो कमियां की गई हैं, उसका जरूर माननीय मंत्री जी ख्याल रखेंगे। उसमें अलग से यहां उपकर लगाना चाहिए। इसके साथ-साथ जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, उन लोगों को जिन चीजों को यूज करना है, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों की मनमानी न हो। प्रशासनिक पहुंच वाले लोग, जहां गरीब होते हैं, थोड़ा निष्क्रिय होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको परेशान करते हैं।

माननीय शशि थरूर जी ने ठीक ही कहा कि आज बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। उन पदों को भरा जाए। उनको न भरने से हमको भी नुकसान है, देश को भी नुकसान है और खासकर एससी, एसटी और ओबीसी के पद खाली पड़े हुए हैं। ये कब भरे जाएंगे, इसका पता नहीं। हमें लगता है कि उन पदों को भरा जाए। जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें अच्छे वातावरण का निर्माण चाहिए, इसलिए इन पदों को भरने का भी काम किया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। जो खादी पहने हुए हैं, उस खादी में उबड़-खाबड़ है। हमारे मधुबनी वाली जो खादी है, इसका कहीं भी टेस्ट कराइएगा, पक्का-पक्का मधुबनी वाली खादी पहनते हैं और ये लोग यहां गड़बड़-गड़बड़ करते हैं। ... (व्यवधान)

यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : आपकी खादी का पता लग गया, बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर): मान्यवर, आपने आज मुझे इस टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह बिल नेचर में कांसिक्वेंशियल है। हम लोगों ने चार लेजिस्लेशंस पास किए, जो जीएसटी को सपोर्ट करते हैं। उसी सिलसिले में यह बिल लाया गया है। चूंकि 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी पूरी तरह से इनएक्ट हो जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा। इस बिल का समर्थन करते हुए दो-चार बिंदु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ।

चूंकि यह जीएसटी को सपोर्ट करने वाला एक कांसिक्वेंशियल बिल है, इसलिए इसके जो कांसिक्वेंसेज हैं, उनमें हम कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे। जीएसटी की जो भी चीजें, जो एक्ट्स कांट्रैरी होंगी, उनकी कुछ इसमें रिपीलमेंट्स भी होंगे, कुछ इनसर्संस होंगे, कुछ एबॉलिशमेंट्स होंगे, उसी के संबंध में यह बिल है। हमारे कुछ साथियों ने, जो हमसे पूर्व वक्ता थे, उन्होंने कुछ शंकाएँ प्रकट की थीं। मैं स्पष्ट कर दूँ कि इसका फाइनेंशियल मेमोरेंडम अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।

“The Bill proposes to make certain amendments in the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001, the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments which are consequential to the enactments proposed to be enacted for the introduction of goods and services tax. It does not involve any financial implication.”

इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ‘वन नेशन वन टैक्स’ की जिस धारणा पर हम चल रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गाइडेंस में विद्वान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, आदरणीय संतोष गंगवार जी यहां बैठे हुए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने इस देश को जीएसटी जैसा बिल दिया। यह आने वाले समय में इस देश के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा।

इसमें 3-4 बातें थीं जिन पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। इसमें प्रोविजन किया गया है, सीरियल नम्बर 3 में पूरी लिस्ट दी हुई है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है -- those persons shall furnish such information to the proper officer in such manner as may be prescribed by rules made under this Act. अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उसमें पहले प्रोविजन किया गया है कि एक हफ्ते का समय देंगे। अगर उसके बावजूद भी वे पूरी तरह इन्फार्मेशन नहीं देते तो एक महीने का समय दिया गया है, जो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। उसके

बाद 100 रुपये पर डे फाइन की व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ लोगों को ऐतराज था। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें इस मायने में ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अगर हम इन्फार्मेशन नहीं देते तब पैनल्टी की व्यवस्था है। अगर हमारा एक्ट इन्फार्मेशन चाहता और मांगता है, तो हमारी नैतिक, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें वह इन्फार्मेशन देनी चाहिए, तो क्यों नहीं देंगे। कोई भी पैनल्टी का क्लॉज़ एनैक्ट तभी होगा अगर हम अपने अधिकारी को वांछित इन्फार्मेशन नहीं देंगे। अगर हम समय से इन्फार्मेशन दे देते हैं तो इस तरह की दिक्कत आने की संभावना नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पाण्डेय : इसमें 2-3 बातें थीं। इसमें कुछ वस्तुओं को छोड़कर जिसमें क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट ऑयल, स्पीड डीजल ऑयल, एविएशन फ्यूल आदि को अलग रखा गया है, एक काउंसिल बना दी गई है जो तय करेगी कि उनके ऊपर क्या रेट्स ऐप्लीकेबल होंगे। जीएसटी काउंसिल के हिसाब से रेट्स ऐप्लीकेबल होने का एक मतलब यह भी होता है कि जो भी निर्णय होंगे, वे पूरी तरह से सामूहिक होंगे। केन्द्र का कोई निर्णय किसी भी प्रदेश सरकार पर टैक्सेशन के विषय में थोपे जाने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह बिल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है।

इसमें चौथा पाइंट है - इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स - इम्पोर्टेड आइटम्स में टैक्सेशन की व्यवस्था में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। वे इस लिहाज से किए गए हैं कि हमें एक लैवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। ऐसा न हो कि इम्पोर्टेड गुड्स अगर सस्ते होंगे और हमारे देश में बने हुए गुड्स महंगे होंगे, तो हमारे देश के एंटरप्राइजर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को काफी बड़ा नुकसान होगा। वह पैरिटी नहीं होगी तो एक बड़ा डिसक्रिमिनेशन शुरू होगा और हमारे यहां की इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा।...(व्यवधान) इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ इन्सर्शन्स किए गए हैं, कुछ रिपीलमेंट हुए हैं। जैसे बात आई थी कि कुछ इंडस्ट्रीज पानी का बहुत इस्तेमाल करती हैं। पहले उन्होंने उसमें सैस लगा रखा था, वह हमने हटा दिया तो उन इंडस्ट्रीज को सीधे फायदा होगा। कुछ जो जीएसटी लॉ के कॉन्ट्रेरी थे, उनमें से कुछ में अमेंडमेंट्स करके कस्टम और एक्साइज़ ड्यूटी को ठीक किया गया है।...(व्यवधान) इसमें संशय का ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि जीएसटी और आज के बिल को अलग-अलग दृष्टि से देखें, यह संभव नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक और एक-दूसरे की सहायता करने वाले हैं।...(व्यवधान) हमें देखना चाहिए कि इस बिल को पास होने से जब जीएसटी का एनैक्टमेंट हो जाएगा...(व्यवधान) मैं 3-4 बिन्दु आपके समक्ष रखकर अपना निवेदन समाप्त करूंगा।...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने कराधान निधि संशोधन विधेयक, 2017 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार इस विधेयक के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम 2001 और 2005 में कई प्रावधानों में संशोधन लेकर आई है।

कस्टम एक्ट, 1962 में कस्टम एरिया को विस्तृत किया जा रहा है और इसे वेयरहाउस तक बढ़ाया जा रहा है, जबकि उसका कस्टम क्लियरेंस भी नहीं हुआ है। आप इसे वेयर हाउस तक बढ़ा रहे हैं और बीच में कन्साइनमेंट में कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए निगरानी तंत्र होना चाहिए और निगरानी तंत्र को विकसित करना चाहिए, नहीं तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बहुत सी गड़बड़ियां हो सकती हैं। आपके पास कन्साइनमेंट की होल्डिंग बढ़ेगी, वेयरहाउस पर स्टॉक का दबाव भी बढ़ेगा। मेरा मानना है कि इस विषय को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इम्पोर्ट कन्साइनमेंट क्लियरेंस में देर करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि वेयरहाउस में स्टॉक बढ़ेगा।

दूसरी बात, तीस दिन के नोटिस पीरियड के बाद 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। यह भी कम है, इसे भी बढ़ाने की जरूरत है। तीस दिन में नोटिस जाएगा और वहां से आएगा, इसके लिए हमारा सुझाव है कि जो लेटर प्राप्त हो, उसके तीसवें दिन इसे ई-मेल से भेजा जाए, और उसकी प्राप्ति रसीद भी लिया जाए जिससे उसमें विलंब न हो और कानूनी या सरकारी बाबूशाही प्रक्रिया जो आज और कल का होता है वह न हो, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में प्रस्ताव है कि कस्टम ड्यूटी को स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने और बचाव के अनुरूप आयात पर लेवी लगाया जा सकता है। यह जीएसटी की मूल भावना 'एक कर एक प्रणाली' के विरुद्ध होगा। अतः पहले पूरी बहस कर सही कस्टम ड्यूटी का निर्धारण करें, बार-बार इस तरह का लेवी लगाने का प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अनिश्चितता का वातावरण पैदा होगा। सेस और लेवी को कुछ वस्तुओं और पदार्थों से समाप्त कराना चाहते हैं, यह स्वागतयोग्य कदम है। विशेषकर सरकार का उद्योग द्वारा पानी के उपयोग पर लगने वाला लेवी को समाप्त करना बहुत अच्छा कदम है। इससे उद्योगों की परेशानी दूर होगी, इससे उनको छुटकारा मिलेगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, देश में कुछ राज्य ऐसे हैं, जो पर्यावरण के नाम पर पर्यावरण टैक्स वसूलते हैं, इसमें भी उद्योग जगत को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर एमएसएमई सेक्टर, जिनकी पूंजी लागत व्यापार में बहुत कम होता है, लेकिन पर्यावरण टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स इत्यादि के रूप में वसूला जाता है। पर्यावरण के मामले में बहुत से उद्योगों और वहां की सरकारों के साथ मुकदमे भी चल रहे हैं। अतः मैं सरकार से पर्यावरण टैक्स समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।

श्री संतोष कुमार गंगवार : आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जीएसटी को लागू करने में पूरा सदन एक था। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सिर्फ कुछ वस्तुओं पर ही लगेगी, पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और तम्बाकू व तम्बाकू से निर्मित प्रोडक्ट। इसमें जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, एक्साइज एक्ट, क्रस्टम एक्ट, यह वास्तव में जीएसटी को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक था।

17.00 hours

इसमें सब सदस्यों ने सम्मिलित होकर अपनी सहमति भी व्यक्त की है और कुछ सुझाव और सुधार भी बताये हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक परिवर्तन में सदन ने अपनी पूरी शक्ति जीएसटी काउंसिल को देने का काम किया है। यह इस देश के इतिहास में ऐसा कदम है, जिसे लोग हमेशा याद करेंगे। इस परिवर्तन के बाद जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी और हम सब उसके हिसाब से आगे चलने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया है। श्री शशि थरूर जी ने बहस की शुरुआत करते हुए जो बातें कही थीं, उस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, उसमें हम कहीं कोई कमी या समस्या नहीं आने देंगे। हम उसका उचित समाधान निकालने की दिशा में काम करेंगे।

सभापति महोदय, मैं यहां बहुत अधिक बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। जिन-जिन सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं, उन्हें हमने नोट कर लिया है। हम उपयुक्त समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए ये संशोधन आवश्यक थे। इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी राय भी व्यक्त की थी।

17.01 hours

(Shri Prahlad Joshi in the Chair)

सभापति महोदय, मेरा सब सदस्यों से आग्रह है कि इस संदर्भ में जिस प्रकार से आपका सहयोग और साथ मिला है, उसी प्रकार से आप इस अमेंडमेंट बिल को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित करने का काम करेंगे। माननीय सदस्यों ने यहां जो कुछ कहा है, उस संबंध में जितना आवश्यक होगा, उसे हम सदस्यों को बताने का काम करेंगे। मैं इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूरा सदन जीएसटी बिल पर एक साथ हुआ है, उसी प्रकार इस बिल पर भी साथ होगा। आज जब मैं इस सदन में आपके बीच में खड़ा हूँ, उसी प्रकार से दूसरे सदन में भी इस संदर्भ में बातचीत चल रही है, इसलिए आदरणीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरा मानना है कि आप सब भावनाओं से परिचित हैं, इसलिए मैं अधिक न बोलते हुए कहना चाहूँगा कि देश अब एक नये आर्थिक दौर की दिशा में चल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार देश में आर्थिक आजादी का स्वरूप शुरू हुआ है। इस क्रिया में पिछले कई वर्षों

की सरकारों और प्रधानमंत्रियों की रूचि सामने आयी थी। हम आज उसे क्रियान्वित करके मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में हम पुराने सब साथियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। वास्तव में जो एक देश और एक कर की बात सामने आ रही है, उसे हम क्रियान्वित करके मूर्त रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में चल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप सबने जो भी आशंकाएं व्यक्त की हैं, उनका सही समाधान किया जायेगा। इसमें समस्या किसी को न हो, उसका निदान हम सही ढंग से करें, वास्तव में यह हमारी समझ में आता है। इसमें बड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें हम सबके संज्ञान में हैं। केन्द्र और राज्य का तालमेल सही ढंग से चले, इसमें कोई असुविधा न आये, यह हम सबकी रूचि और चिंता का विषय रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें आपको शिकायत करने का मौका कम से कम मिले। हम इसे सही ढंग से पारित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, इस बहस में जिन-जिन सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। वास्तव में हम आज आर्थिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि जब हम 1 जुलाई से इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तब अगर कोई समस्या सामने आयेगी, तो फिर जीएसटी काउंसिल के साथ बैठकर उसका समाधान किया जायेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने इस दिशा में जो भी सहयोग और कोशिश की है, जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल को सारी ताकतें देने का काम किया है, वह वास्तव में हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की विशेषता है कि हम इसे सही ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

अंत में, मैं अधिक न बोलते कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने अपनी जो भी शंकाएं व्यक्त की हैं, हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरा आग्रह है कि सदन इस बिल को पारित करने का काम करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That the Bill further to amend the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001 and the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 12 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 12 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 2* to the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 2 to the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clauses 12A, 12B and 12C

Amendment made:

Page 6, *after* line 46, *insert--*

“CHAPTER IIIA
CENTRAL SALES TAX

* Vide Amendments list No. 1 circulated on 5.4.2017.

Amendment **12A.** In the Central Sales Tax Act, 1956 74 of 1956.
of section 2. (hereinafter referred as Central Sales Tax
Act), in section 2,--

(a) clause (c) shall be omitted;
(b) for clause (d), the following clause shall be
substituted, namely:--

‘(d) “goods” means—
(i) petroleum crude;
(ii) high speed diesel;
(iii) motor spirit (commonly known as
petrol);
(iv) natural gas;
(v) aviation turbine fuel; and
(vi) alcoholic liquor for human
consumption;

Omission of **12B.** In the Central Sales Tax Act, section 14
section 14. shall be omitted.

Omission of **12C.** In the Central Sales Tax Act, section 15
section 15. shall be omitted.”. (2)

(Shri Santosh Kumar Gangwar)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That new clauses 12A, 12B and 12C be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New Clauses 12A, 12B and 12C were added to the Bill.

Clauses 13 to 16 were added to the Bill.

First to Third Schedules were added to the Bill .

Clause 1 and the Enacting Formula were added to the Bill.

Title

Amendment made:

Page 1, in the long title,--

after “the Central Excise Act, 1944,”.

Insert “the Central Sales Tax Act, 1956,”. (1)

(Shri Santosh Kumar Gangwar)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Title, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill, as amended, be passed.”

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I have a small question to which I want a reply.

The GST Network is supposed to form the backbone of the new tax regime. What I want to know from the hon. Minister, from the Government really, is that the Central Government and State Governments together have about 49 per cent holding and 51 per cent holding is with the pseudo private company. ... *(Interruptions)* It is a private company.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister will reply.

SHRI NISHIKANT DUBEY : Sir, it is not a private company. It is owned by financial institutions like ICICI Bank, HDFC Bank, HDFC Ltd.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Okay, it is owned by financial institutions.

Sir, what is happening now is that more than 60 per cent of financial transactions are being done by government banks and 30 odd per cent are being done by HDFC Ltd., HDFC Bank and the so-called private companies.

HON. CHAIRPERSON: What is your question?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am asking my question to you, the Chair.

Now, you are taking the transactions of more than 60 per cent transactions that are transacted by government banks and handing over the data to the private companies - some people are saying that they are not private individuals – to these people who are handling 30 per cent of the data already. Then, under the guise of national security, you are banning RTI and you are stopping the Comptroller & Auditor General (C&AG) from getting into this. I would like to know ...
(Interruptions) You are not a Minister, please.

All that I want to know from the Minister is this. If it is a national security issue, then why are these people being handed over so much data? I am concerned with the data. If it is not a national security issue, then why is RTI and C&AG banned from investigating into this thing? That is all.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister, would you like to respond to the query raised by the hon. Member?

श्री संतो कुमार गंगवार : वैसे तो इसका इस बिल से कोई वास्ता नहीं है लेकिन आपकी एप्रीहेंशन हम देख रहे हैं और आपकी चिन्ता का समाधान निश्चित रूप से रहेगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It is an assurance.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Yes, it is an assurance. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

17.11 hours

**NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD
CLASSES (REPEAL) BILL, 2017
AND
CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY
THIRD AMENDMENT) BILL, 2017**

HON. CHAIRPERSON: Item No. 10B ...

... (*Interruptions*)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ * कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Chairman, Sir, we are not supposed to disclose what transpires in the Business Advisory Committee (BAC), but it was given to understand that this Bill would be taken up on Friday. It is a Constitution (Amendment) Bill and it was supposed to be that the reply would be on Monday. This was accepted by all political parties who were present inside the BAC.

Of course, this Bill was circulated earlier. So, the onus lies with the Members to give amendments to this Bill. But, instantly, today, in a Supplementary Agenda, this Bill has been listed for consideration and passing today around 12 o'clock. ... (*Interruptions*) So, the question here is that if I am supposed to give certain amendments and that amendment is very genuine as far as I feel because through this Bill when I will be deliberating on the merit of this Bill, I will be mentioning it, but here is a Bill, which takes away the power of respective State Government. It is an attack on the federal character of our Constitution.

* Moved with the recommendation of President

Respective State Governments have the power to identify respective castes and provide them benefit as per the SCBC, but what is being done today is that it is only consultation with the Governor of respective States and that consultation is not mandatory and binding.

Say for instance, in India, you have a list for SCBC. In Odisha, we have a list for SCBC. The list that we have is not accepted totally / fully by the Union Government. By passing this Bill in the Parliament, you will be denying a large number of sections of our people in Odisha, which Odisha Government is providing and the Bill is construed in such a way that this is going to deny them the benefit. Having it as a Constitutional provision and making it a legal provision, we welcome it, but by centralizing it, you are denying the right of the respective States and that is the reason why I have stood up now not only ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Therefore, it should be sent to the Standing Committee for scrutiny.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Therefore, it is necessary that the Government should consider that this provision of respective States should be recognized, which is not there in this Bill and there may be some more because this is a very intricate issue relating to the federal character of our Constitution.

Therefore, I urge upon the Government, through you, Sir, that let the Government consider and send it to the Standing Committee and try to find a consensus. I am not talking about what is going to happen in the other House or what impact it is going to have, but I am with a limited purpose here that here is an attack / abrogation of the power of the respective States and the Union Government is taking that power that should be protected and we will be protecting it with all our might.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I also request and support what Mahtab Ji said. This is a very important legislation and it affects nearly 50 to 55 per cent population of the country. Therefore, it should be referred to the Standing Committee because we are sending every Bill to the Standing Committee

and Standing Committee is there to look into all the defects. Whatever minor defects are there, they will be rectified. Major suggestions will be taken from various political party leaders and all political leaders will be there in the Standing Committee....(व्यवधान) हम सपोर्ट करेंगे।...(व्यवधान) लेकिन आप दूसरों की भी बात सुनिए।...(व्यवधान) यह क्या है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : What is this? We are the supporters. We brought Backward Class Commission in Karnataka first, not you. Do not talk like this. We brought the Havanur Commission. We implemented it... (*Interruptions*)
Do not say all those things.... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : खड़गे जी, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमारे सामने ये सब नखरे मत करिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Sampath ji, What is the rule?

...(व्यवधान)

DR. A. SAMPATH : Sir, I am not for any heated debate. It is a point of order. You are the custodian of our rights. I raise the point of order that under Rule 287 and 288, it is concerned with the Business Advisory Committee. Hon. Minister very well knows Rule 288 because he understands.

Rule 288: "It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee."

I am not taking much time because you very well know why I am saying so. I am in the queue for the last one week. In the sitting of the Business Advisory Committee on 27th March, 2017 at 1 PM in Speaker's Committee room, they decided to allot time for the Bills which came for discussion. This is the 42nd Report which was presented on 28.3.2017 before this august House. Sir, here you see that for Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017 for consideration and passing, two hours were allotted. My learned friend, Mr. Tathagata Satpathy, spoke during the discussion on the Bill for the time being. I am asking the hon. Minister, what happened in the Bill then onwards? I am in the queue. What happened? The Bill simply vanished. What is the use of the Business Advisory Committee?

Now, another hon. Member is raising a very pertinent point. Here, it was announced in the House. I was in the Parliamentary Committee of the Welfare of the Other Backward Classes during the time of the 15th Lok Sabha. For the whole five years, many of my friends there in the Treasury Benches and one very senior leader, Shri Hukum Narayan Yadav, sought for the constitutional status of the Other Backward Classes.

HON. CHAIRPERSON: Your point is taken. Please understand.

DR. A. SAMPATH : It is a Constitutional Amendment. It is not a child's play.

माननीय सभापति : आपका पॉइंट आ गया है।

SHRI K.C. VENUGOPAL: Hon. Chairman, Sir, Shri Mahtab Ji rightly pointed out the role of the Business Advisory Committee in regard to Bills. What has happened has been narrated by Shri Mahtab Ji. The Government has informed us that the Bill will be taken up for consideration and passing only on Monday. Today, it has come as supplementary agenda. Every time, it is being repeated. Last week also, we debated on that. Bringing an important Bill as a supplementary agenda, it is also a Constitution (Amendment) Bill, how can we justify that? Rule 79 pertains to notice of amendments to clauses or schedules.

HON. CHAIRPERSON : You have made your point.

SHRI K.C. VENUGOPAL : We have to give the amendments just one day before. The Government has brought the legislation only today in the afternoon. How can we move the amendments?

HON. CHAIRPERSON: Let the Minister reply to that.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Actually, it is curtailing the power of the Members.

HON. CHAIRPERSON: Whatever important points or objections you have, it has been brought on record. Now, the hon. Minister will reply.

SHRI K.C. VENUGOPAL : We are not opposing the Bill. We are not opposing the merits of the Bill. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record, except what the Parliamentary Affairs Minister is going to say.

...(*Interruptions*)...*

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): जय प्रकाश जी की बात भी सुन लीजिए।... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, मैं और कई अन्य माननीय सदस्य इस सवाल को लगातार सदन में उठाते रहे हैं कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। आज के समय में जो शंका व्यक्त की जा रही है, इसे हम जरूर चर्चा में लाएंगे। मंडल कमीशन लागू हुआ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your will have your own time, as far as the issue of merits of the Bill is concerned. Shri Hukmdeo Narayan Yadav.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record, except what Shri Hukmdeo Narayan Yadav is saying.

...(*Interruptions*)...*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का मैं सदस्य था और कांग्रेस के नेता श्री बी.के. हाण्डिक समिति के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में 24 अगस्त, 1912 को सिफारिश की थी कि - भारतीय संविधान के एनसीबीसी अधिनियम में समुचित संशोधन करने के

* Not recorded.

लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और एनसीएससी तथा एनसीएसटी के समान शक्तियां प्रदान की जाएं, जैसा कि अनुच्छेद 338 में बताया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में यह अधिकार एनसीबीसी को सौंपा जाना चाहिए, न कि एनसीएससी को। इस आधार पर समिति ने सिफारिश की थी।

माननीय सभापति : आप डिबेट के समय अपनी पूरी बात रख सकते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, जब स्टैंडिंग कमेटी की बात आती है, तो इससे संबंधित जो समिति है और उस समय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के ही नेता थे, मैं भी सदस्य था। उस समिति ने वर्ष 2012-13 में सिफारिश की कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जब संबंधित समिति ने ऐसा कहा है, तो स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब है।... (व्यवधान) इसी तरह वर्ष 2012-13 में दूसरी रिपोर्ट में इस बात को दोहराया गया। वर्ष 2013-14 में तीसरी रिपोर्ट में भी दोहराया गया और वर्ष 2013-14 की पांचवीं रिपोर्ट में भी दोहराया गया। जब हर रिपोर्ट में सभा पटल पर ये बातें आ गईं, तब स्टैंडिंग कमेटी की क्या बात है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने अपनी बात कह दी है। आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Parliamentary Affairs Minister would like to say something. Only his statement will go on record.

... (व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : सभापति जी, महताब जी भी कुछ कह रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन यदि अमेंडमेंट्स पास करेंगे, तो यह हमें स्वीकार नहीं होगा।

श्री अनन्तकुमार : आपने विषय रख दिया है।... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : यह बिल फ़ैडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है। हमारी कमेटी ने कांस्टीट्यूशनैलिटी, लीगैलिटी और प्रोविजन बार-बार दिए हैं, हम उस कमेटी के खिलाफ नहीं हैं।... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि जो एग्जिक्यूटिव आर्डर ओबीसी के बारे में पहले से था, जिसे हम लीगल करने जा रहे हैं, इसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ विधेयक के अंदर स्टेट की पॉवर को विद्वृत्त कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। आज आप चर्चा कर रहे हैं और बिल पास कर रहे हैं। आप यह एश्योरेंस दे दीजिए कि आज

यह पास नहीं होगा। आप चर्चा शुरू करें, आज रिप्लाइ नहीं होगा और अमेंडमेंट के ऊपर सोमवार को चर्चा होगी।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): यदि इस विषय पर चर्चा आगे की तिथि में बढ़ेगी, यदि इसे सोमवार को लिया जाएगा, तो मैं भी इस बिल पर बोलना चाहूँगा, इसलिए मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री अनन्तकुमार: माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सांसदों ने, खास करके श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री वेणुगोपाल जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री जितेन्द्र रेड्डी जी ने अपने विचार रखे और माननीय हुकुम देव नारायण यादव जी ने भी अपना विचार रखा। श्री सम्पत जी ने बीएसी के बारे में चर्चा की। मुझे इतना ही कहना है कि हम बीएसी के बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन सभी के बीच में आम सहमति बन चुकी थी कि आज इस विषय पर हम चर्चा शुरू करेंगे, इस पर बहस शुरू करेंगे और इसे सोमवार को सम्पन्न करेंगे, क्योंकि यह एक कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नियम 368 के प्रावधान के अंतर्गत जैसा होना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त नम्बर भी होना चाहिए, उसके कारण इसे सोमवार को लिया जाएगा, ऐसा तय किया गया था। उसी हिसाब से इस विषय पर आज केवल चर्चा शुरू करने के लिए इसे हम लेकर आये हैं। जहाँ तक संशोधन या अमेंडमेंट की बात है, तो कल दोपहर तीन बजे तक आप लोग इस पर अमेंडमेंट दे सकते हैं। अमेंडमेंट देने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री वेणुगोपाल जी आदि संसदीय कार्य प्रणाली से अच्छी तरह से अवगत हैं, सभी लोग इसके जानकार हैं। इसलिए कल दोपहर तीन बजे तक अमेंडमेंट भी दे सकते हैं। हमने इस बिल का इंट्रोडक्शन शुक्रवार को ही किया था, तब से अमेंडमेंट देने के लिए अवसर था।

आखिर में, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विषय है। इस पर देश भर में आम सहमति है।

श्री भर्तृहरि महताब: इसे सप्लीमेंट्री के रूप में लाने की क्या जरूरत है।

श्री अनन्तकुमार: आप जानते हैं कि यह सप्लीमेंट्री के रूप में क्यों आया है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। टैक्नीकल कारणों से हमें सप्लीमेंट्री सर्कुलेट करना पड़ा। हम आप सबको पहले ही इस विषय पर कांफिडेंस में ले चुके थे। मुझे लगता है कि आज के दिन पूरा देश, श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णय पर, उनके साथ है। ओबीसी आयोग को एक संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, देश की जनता इसके साथ है। इसमें किसी भी प्रदेश सरकार के किसी भी हक का हनन नहीं होगा, बल्कि और मजबूत होगा। इसके बारे में श्री थावर चंद गहलोत जी विस्तार से आपको अवगत कराएंगे।

मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी या इधर-उधर मत भेजिए। जैसा कि श्री हुकुमदेव नारायण जी ने बताया कि इस पर चार-चार कमेटियाँ परामर्श कर चुकी हैं। इसे यहाँ से और राज्य सभा से पारित करवाइए और पूरे देश को आप एक संदेश दीजिए कि हम पिछड़े वर्गों के साथ हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ हैं।

Motion Re: Suspension of proviso to Rule 66

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि यह सभा में लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक को संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार करने तथा पारित किये जाने के प्रस्ताव पर, जहाँ तक यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 पर निर्भर है, इसके लागू होने से निलंबित करती है।”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That this House do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017 in as much as it is dependent upon the National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017.”

The motion was adopted.

17.30 hours**ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR**

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, before I call Shri Thaawarchand Gehlot, Minister of Social Justice and Empowerment to move the motion for consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017, I have to inform that hon. Minister *vide* communication dated 5th April, 2017 has intimated that the President, having been informed of the subject matter of the Bill, recommends to the House the consideration of the Bill under clause (3) of article 117 of the Constitution.

17.31 hours

**NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (REPEAL)
BILL, 2017
AND
CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY THIRD
AMENDMENT) BILL, 2017....Contd.**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ: -

“कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

महोदय, पिछड़े वर्गों के हित के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए और उनका सुदृढीकरण करने के लिए लंबे समय से माँग हो रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशानुसार हम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के काम के निर्णय को लेकर सदन के सामने आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, वह आर्टिकल 340 के अंतर्गत था। उसके अंतर्गत जो आयोग गठित होता था, वह टाइम-बींग होता था। वह इश्यू बेस्ड आयोग होता था। उस आयोग के पास विशेष विषयों को उनके अन्वेषण और छानबीन के लिए भेजा जाता था। वह उसके बाद भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन देते थे और भारत सरकार उस पर सामान्यतः निर्णय करती थी।

महोदय, उसका गठन भारत सरकार करती थी। इस कारण से यह माँग उठती रही कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इससे विशेष परिवर्तन यह होगा कि इस आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति जी को अनुसूचित जाति आयोग गठित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 338-ए में राष्ट्रपति जी को अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने का अधिकार है। अब एक नया अनुच्छेद 338-बी उसमें स्थापित होगा। इसके स्थापित होने के बाद राष्ट्रपति जी इस आयोग का गठन करने के लिए अधिकृत होंगे।

महोदय, लंबे समय से इस आयोग के गठन की माँग की जा रही थी। अब तक इस आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ, इसमें विलंब क्यों हो रहा है, आदि विषयों में मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही यह विषय यहाँ उठा था और तब मैंने इसके संबंध में जानकारी दे दी थी, कि इससे पहले भी तीन महीने से लेकर दस महीने का अंतराल दो आयोगों के गठन के बीच में आया है। हम संवैधानिक दर्जे के अंतर्गत जो यह नया कानून बना रहे हैं, उसके कारण यह अंतर आएगा कि संविधान में संशोधन से राष्ट्रपति जी इसका गठन करेंगे।

महोदय, पहले वाले आयोग को ओ.बी.सी. में किसी जाति को मिलाने या किसी जाति को हटाने का अधिकार था। अब इस अधिकार के साथ एस.सी-एस.टी. आयोग के बराबर सभी अधिकार, जैसे योजनाओं की समीक्षा करना या अन्य किसी प्रकार के सुझाव देने के अधिकार भी इस अयोग को होंगे। पहले इस आयोग को शिकायत सुनने का भी अधिकार नहीं था। पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित जो ग्रीवांसेज़ थीं, उनके साथ भी अन्याय होता था। उस अन्याय को भी पिछड़ा वर्ग आयोग को सुनने का अधिकार नहीं था। वह भी अनुसूचित जाति आयोग सुनता था। अब नया आयोग गठित होगा तो उसे इन समस्त ग्रीवांसेज़ से संबंधित शिकायतें सुनने का अधिकार प्राप्त होगा और सुनकर उनका समाधान करने के लिए भी वह अधिकृत होगा। ... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : यही इसमें आपत्तिजनक है, जो यह बोल रहे हैं।

श्री थावर चंद गहलोत : ओ.बी.सी. के विकास के लिए जो प्रतिवेदन देना होता था, वह केवल भारत सरकार को देते थे, राज्य सरकार को नहीं दिया जाता था। यह जो नया आयोग आएगा, उसमें ओ.बी.सी. के विकास के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार को सुझाव दिये जा सकेंगे। पहले यह राज्य सरकारों को सुझाव देने के लिए अधिकृत नहीं था। अब जब राज्यों को इसका प्रतिवेदन, सुझाव व अन्य चीज़ें दी जाएंगी, तो निश्चित रूप से राज्य भी ओ.बी.सी. वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत होंगे। उनका भी सुदृढीकरण करने का अवसर प्राप्त होगा, जो अभी तक नहीं था।

एस.सी व एस.टी. आयोग की तरह यह आयोग राज्यों एवं केंद्र सरकार को ओ.बी.सी. की योजनाओं एवं उनके विकास के लिए सुझाव दे सकेगा। पहले जो आयोग था, उस आयोग को इस प्रकार के सुझाव देने का अधिकार नहीं था। ओ.बी.सी. शब्द संविधान में नहीं है। सोशली और एजुकेशनली शब्द संविधान में अनुच्छेद 16(4) में व 15 (4) में है। अतः इस नाम से बना आयोग आरक्षण को सदा के लिए रख सकेगा। अनुच्छेद 340 में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े शब्द का प्रयोग पहले से हो रहा है, इसलिए इस विषय पर कोई शंका कुशंका की जरूरत नहीं है। जो नाम है, वह नाम अब भी पिछड़ा वर्ग आयोग ही होगा, सोशली और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं होगा। जो नाम पहले था, वही नाम अब भी होगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार की चर्चा करके भ्रम फैलाने या भ्रमित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इस शंका को दूर करने की आवश्यकता है।

इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करने का प्रावधान जो वर्तमान में था, उसके अनुसार इनका चयन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता था। अब जो आयोग गठित होने वाला है, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का चयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट ऑफ प्रेसीडेंट से करने की व्यवस्था है। अभी तक जो आयोग था, वह अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को देता था और भारत सरकार द्वारा उस पर निर्णय कर लिया जाता था। अगर हम चाहते तो अब आयोग का गठन करके अपनी इच्छानुसार प्रतिवेदन

तैयार कराकर ले लेते और आदेश जारी कर देते। अब हमने इस अधिकार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब यह आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जी इसे सरकार को ऐक्शन टेकन के लिए देंगे, फिर हम इस पर विचार करके कार्रवाई करेंगे।

इसमें एक और प्रावधान है। अब तक यह आयोग अपना प्रतिवेदन देता था तो सामान्यतया हम उस प्रतिवेदन पर निर्णय करने के लिए बंधनकारी थे, परंतु अगर चाहते तो नहीं भी करते। अभी तक सरकार और आयोग दोनों मिलकर जो चाहते, वह निर्णय कर लेते। हमने यह महसूस किया कि संसद सर्वोपरि है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पंचायत है। एस.सी. और एस.टी. वर्ग के लोगों की जातियों को मिलाना व घटाना, इस पर विचार करने के लिए अगर कोई राज्य प्रस्ताव भेजता है तो हम उसको आर.जी.आई. को भेजते हैं, एस.सी. में मिलाना हो तो बाद में आर.जी.आई. की रिपोर्ट के बाद एस.सी. कमीशन के पास भेजते हैं। एस.टी. के लिए है तो एस.टी.कमीशन को भेजते हैं और वहां से ओ.के. रिपोर्ट आने के बाद, सहमति आने के बाद मंत्रिमंडल बिल बनाता है और फिर वह बिल संसद में प्रस्तुत करते हैं, संसद उस पर निर्णय करती है और फिर वह लागू होता है। अभी तक यह प्रणाली नहीं थी, अभी तक केवल आयोग और भारत सरकार जो चाहते, मिल करके कर सकते थे। परंतु हमने संसद को सर्वोपरि मानकर जो प्रणाली एस.सी. और एस.टी. कमीशन के द्वारा अपनाई गई है, उसी प्रणाली से इसे भी अधिकार देने का निर्णय लिया है। हम यह मानते हैं कि हम संसद को सर्वोपरि मानकर निर्णय करने के अधिकार का इस विधेयक में जो प्रावधान कर रहे हैं, उसके कारण ओ.बी.सी. वर्ग का सर्वाधिक हित हो सकेगा और सही निर्णय भी हो सकेगा। अन्यथा सरकार और आयोग मिलकर कुछ भी कर सकते थे।

इसके बाद इस प्रतिवेदन के संबंध में ए.टी.आर. के साथ सदन में विवरण भी रखा जायेगा, पहले यह प्रावधान नहीं था। ऐक्शन टेकन रिपोर्ट सदन में रखेंगे, सदन उस पर चर्चा करके सरकार को और सुझाव और निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारों से संबंधित प्रतिवेदन में यदि कोई बात होगी तो राज्यपाल को वह प्रतिवेदन भेजा जायेगा। अभी तक इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। आदरणीय महताब साहब हम तो राज्यों को सुदृढ़ करने का प्रावधान इस विधेयक में लाये हैं, आपको इसका समर्थन करना ही चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कंसल्ट करने के लिए रखे हैं।

श्री थावर चंद गहलोत : उड़ीसा से अगर आपने कोई प्रस्ताव भेजे होंगे, मान लीजिए कि पहले वे विचाराधीन रहे होंगे या पैंडिंग होंगे, परंतु इस आयोग के बनने के बाद उसमें तीव्रता आयेगी और जल्दी निर्णय होंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है।

महोदय, अनुच्छेद 340 में मंडल कमीशन बना था। सरकार चाहे तो दोबारा ऐसा आयोग बना सकती है, परंतु उस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं है। इस कारण से हमने एस.टी. के लिए आयोग अनुच्छेद 338ए में इस प्रकार का प्रावधान किया है और अनुच्छेद 340 में भी है। परंतु हमने यह महसूस किया कि

संवैधानिक दर्जा देना है, इसलिए 338ए और बी नया अनुच्छेद स्थापित करेंगे, इसके कारण इसे संवैधानिक दर्जा मिलेगा और संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण पिछड़े वर्ग के हितों के लिए यह आयोग और सक्षमता के साथ सुनवाई करने के साथ-साथ उनका भला करने में भी सफलता प्राप्त करेगा। हालांकि श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी ने बता दिया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी जो संसदीय समिति है, इसने एक बार नहीं, अनेक बार इस पर विचार किया और विचार करने के बाद अपनी राय भी दी। पिछड़े वर्ग की कल्याण संबंधी समिति ने लगभग आठ बार अपनी राय संवैधानिक दर्जा देने के लिए दी है। इसके अलावा लगभग 200 संस्थाओं ने निरंतर एक के बाद एक इसे संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन ने भी दी है, इम्पलायीज एसोसिएशन ने भी दी है और इसके बाद 18 माननीय सदस्यों ने इस सदन में 377 के माध्यम से, प्रश्न काल में प्रश्न पूछकर और जो भिन्न-भिन्न प्रक्रिया विशेष उल्लेख आदि के माध्यम से ओ.बी.सी. कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही है। हमने उन सबका मान-सम्मान करने का काम किया है। पिछले 25 वर्षों से यह मांग निरंतर होती रही है। आप तो विचार करते रहे, हमने विचार को साकार रूप दिया और इसे संवैधानिक दर्जा देने का बिल इस संसद में प्रस्तुत किया। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा। ... (व्यवधान) खड़गे साहब, आप मुझे छेड़-छाड़ करते हो। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैं आपसे छेड़-छाड़ नहीं करता हूँ, आपके प्रधान मंत्री जी और आपकी सरकार से छेड़-छाड़ करता हूँ। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Shri Mallikarjun Kharge, please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री थावर चंद गहलोत : खड़गे साहब, आपने अनुभव किया है कि मुझसे छेड़-छाड़ करने के बाद आपको खूब सुनना पड़ता है। मैं आज के इस अवसर पर आपके पुराने कारनामों और जो-जो आपने केवल वोट बैंक के रूप में इनका उपयोग किया, पॉकेट वोट के रूप में इनका उपयोग किया, नारे लगाए, भाषण दिए, परंतु जो सार्थक रूप इस प्रकार के अधिकार देने का लाना चाहिए था, वह आप नहीं लाए। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम इस काम को कर रहे हैं। आपने पिछड़े वर्ग का सम्मान करने का काम नहीं किया। हम यह संवैधानिक दर्जा दे कर उनका सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि ओ.बी.सी. वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के लिए यह आयोग सफलतापूर्वक काम करेगा और इसकी सार्थकता सिद्ध करेगा। आज के इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सर, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, उसके बाद राजीव जी बोलेंगे। सर, ऐसी गलत जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए कि ... (व्यवधान) मेरा कहना यही है कि ऐसा एक महत्वपूर्ण बिल हमारे

सामने आ रहा है, इसको जितना हो सके, उतना सर्वसम्मति से पास कर के आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए तो सभी की सहमति है और डेलिगेशन में कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, यह आपको मालूम है? प्रधान मंत्री के पास जब गए थे, तब राजीव सातव और दूसरे लोग भी थे। लेकिन आप ही क्रेडिट ले रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वह आज ही हो रहा है। मण्डल कमीशन आपने लाया, हाऊनूर कमीशन आपने लाया? ...(व्यवधान) आपने तो विरोध किया था। ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान) आपको हम मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। ...(व्यवधान) हुक्मदेव जी, आप उस वक्त उधर थे, इधर नहीं थे। ...(व्यवधान) आप बैठिए। ...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसको जितना हो सके, उतना ही सर्वसम्मति से पास करने की कोशिश करो। ...(व्यवधान) दूसरों की बात को भी सुनिए। ...(व्यवधान) अगर कुछ खामियां हैं, तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: One minute please. Hon. Minister, do you want to say something?

... (Interruptions)

श्री थावर चंद गहलोत : खड़गे जी, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि आप अगर छेड़-छाड़ करोगे तो पुरानी बातें में भी बहुत जानता हूँ। ...(व्यवधान) जितने पुराने आप हैं, मैं भी 50 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और अनुसूचित जाति वर्ग का हूँ, जैसे आप हैं और मैंने इस वर्ग के हितों के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे सारा इतिहास कांग्रेस का भी मालूम है। परंतु हम इसको कटुता के वातावरण में पास नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता था। आपने ही मुझे कुछ याद दिलाने के लिए छेड़ा है। ...(व्यवधान) मुझे आप एक बात बताओ कि सन् 1953 में कालेलकर आयोग इस पर कुछ जांच-पड़ताल करने के लिए बना। उन्होंने सन् 1955 में अपना प्रतिवेदन दिया। ...(व्यवधान) खड़गे जी, सुनिए तो सही। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय किसकी सरकार थी? ...(व्यवधान) आपको ध्यान है? ...(व्यवधान) मैं बताऊँ किसकी सरकार थी? ...(व्यवधान) वह भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सन् 1979 में मण्डल कमीशन बना। उसने सन् 1980 में अपना प्रतिवेदन दिया। सन् 1980 के बाद सन् 1990 तक आपने कुछ नहीं किया। वर्ष 1990 तक कुछ नहीं हुआ, आप बताओ कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। उस समय किसकी सरकार थी?... (व्यवधान) वर्ष 1955 से लेकर वर्ष 1990 तक किसकी सरकार थी, क्यों नहीं बना?... (व्यवधान) आपकी छेड़छाड़ के बाद मुझे सब याद आने लगता है। ...(व्यवधान) आपने नहीं बनाया।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) वर्ष 1979 में जनता पार्टी की सरकार थी, इस पर उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए।...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : कुछ कदम नहीं, कदम उसी समय बढ़े थे।

HON. CHAIRPERSON : Only Minister's statement will go on record.

...(Interruptions)... *

श्री थावर चंद गहलोत : मैं मान लेता हूँ।...(व्यवधान) मैं भी जनता पार्टी का अंग था।...(व्यवधान) मैं उज्जैन जिले का उपाध्यक्ष और जनता पार्टी का महामंत्री था।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, please address the Chair. Let us start the discussion.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, कृपया आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर निर्णय किसने किया? उस समय भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी।...(व्यवधान) ये तीनों-चारों घटनाक्रम इस बात का प्रमाण हैं कि जितने भी प्रतिवेदन आयोग ने ओबीसी कमीशन को गठित करने के लिए, उनके हित संरक्षण के लिए जो बातें कही थीं, उन पर अमल करने के बजाय उन प्रतिवेदनों को रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे नरेन्द्र मोदी साहब ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया। इन तीन वर्षों में हमने एक नहीं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए।

उसके पहले मैं पहले वाली बात बताना चाहूँगा। अटल जी की सरकार थी, उस समय एससी और एसटी दोनों आयोग एक ही थे। एससी, एसटी आयोग उस समय एक ही था।...(व्यवधान) अटल जी ने यह महसूस किया कि समस्यायें ज्यादा हैं, लोगों के आवेदन बड़ी संख्या में आते हैं, उनका निर्णय समय पर नहीं हो पाता है, इसलिए उन्होंने एससी और एसटी का अलग-अलग मंत्रालय भी बनाया और दो आयोग भी अलग से बनाये।...(व्यवधान) इसे आप भी तो कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में, यह जो आयोग, जिसकी अवधि अभी समाप्त हुई है, इस आयोग का गठन भी किया। इस आयोग ने कुछ प्रतिवेदन भी दिए, उन प्रतिवेदनों को हमने स्वीकार करके पिछड़े वर्ग के हितों के लिए निर्णय भी किया और इस बार भी हम आयोग गठित करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर चुके थे। परन्तु 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो गए और उसके कारण आचार-संहिता लगायी गई। आचार-संहिता लगती है। चुनाव आयोग ने आचार-संहिता लगाई

* Not recorded

तो वह बंधन हो गया। इन पांच राज्यों की चुनावी आचार-संहिता को देखते हुए आयोग का गठन करने में कठिनाई आई। इस कारण से अभी तक उसे बना नहीं पाए। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को, इस विधेयक को तुरन्त पास करने की इसलिए आवश्यकता है कि यह बिल पास होगा, तो आयोग का गठन होगा। अगर यह बिल पास नहीं होगा, तो आयोग का गठन करने में कठिनाई होगी। अगर इसमें विलम्ब करेंगे, स्थायी समिति को भेजेंगे या उस हाउस में कहीं सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात आएगी तो इसका अर्थ सीधा-सीधा निकलेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़े वर्ग के हितों के विपरीत इनकी कार्य-शैली है।... (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I have got objection to this....
(Interruptions)

श्री थावर चंद गहलोत : यह तुरन्त पास होना चाहिए और तुरन्त पास होने के साथ-साथ आयोग का गठन भी तुरन्त होना चाहिए।... (व्यवधान) संवैधानिक दर्जे वाला यह आयोग होगा।... (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : How can the Minister say this?...
(Interruptions) Why do we have the Standing Committees? How can the Minister say this in the House? It is against the parliamentary ethics.... (Interruptions) This Government is in a hurry.

श्री थावर चंद गहलोत : इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये और इस संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को पारित किया जाये।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजीव सातव।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मंत्री जी ने भी बात की है, अब इसे कल ही करते हैं। अब 6 बज गये हैं।

माननीय सभापति : अभी 6 बजने में 5 मिनट का समय है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह अच्छा नहीं है। अब कल बात करेंगे।

HON. CHAIRPERSON : Motions moved:

“That the Bill to repeal the National Commission for Backward Classes Act, 1993 be taken into consideration.”

“That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration.”

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, मंत्री जी ने शुरूआत की और मुझे लगा कि वे अन्त भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी को बोलने का कोई मौका देने का उनका कोई प्लान नहीं दिख रहा था। वे शुरूआत कर रहे थे और बीच-बीच में उठ कर भी बोल रहे थे।

आज जब दोपहर को दो मंत्रियों के बीच वैर का संबंध सदन ने देखा, तभी आपने सदन में सप्लीमेंटरी एजेंडा दिया और किसी को पता ही नहीं चला। मुझे तो पता ही नहीं चला कि आज के सप्लीमेंटरी एजेंडा में इस कमीशन के संबंध में संविधान संशोधन के बारे में आज यहां पर चर्चा होने वाली है।

हम जनरली यह बात कहते हैं कि सरकार बुलडोज़ करना चाह रही है और जिस प्रकार से आज यह डिस्कशन लाया गया, कई लोगों को अमेंडमेंट्स के लिए चांस नहीं दिया गया, कई लोगों को इसकी तैयारी करने का भी चांस नहीं दिया गया।

सभापति जी, आज जब यह बात हो रही है तो मंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने कहा कि छेड़ना नहीं। मंत्री जी, आपको कौन छेड़ सकता है? आप सार्वभौम हैं। आपको कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन, जिस प्रकार से सरकार ने आज यह संविधान संशोधन बिल यहां पर लाया है, मैं यहां पर हमारे ओ.बी.सी. कमेटी के चेयरमैन गणेश सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार दिनांक 29 मार्च, 2017 को हम प्रधान मंत्री जी से मिले। ओबीसी कमेटी के सारे सदस्य हमारे साथ वहां पर थे। उसमें गणेश सिंह जी थे और कमेटी में बाकी पार्टीज़ के सारे मेम्बर्स प्रधान मंत्री जी से मिले। जब हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले तो हमने प्रधान मंत्री जी से विनती की थी कि यह जो ओबीसी कमीशन है, यह बैकवर्ड क्लास का कमीशन है, इसको कंस्टीट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। उसके साथ ही हमने वहां पर यह मांग भी रखी थी कि सरकार द्वारा ओबीसी का अलग मंत्रालय बनाया जाए। इसके बारे में चर्चा प्रधान मंत्री जी के साथ उस वक्त हुई थी। क्रीमी लेयर की मर्यादा को बढ़ाने के बारे में हमने प्रधान मंत्री जी से विनती की। कास्ट सेन्सस का जो डाटा है, उसे भी जारी करने की विनती कमेटी के माननीय सदस्यों ने प्रधान मंत्री जी से की।

अभी गहलोत साहब ने बताया कि किसने क्या किया, वही मैं भी अभी बताना चाहूंगा कि जो 93वां संविधान संशोधन आया था, हमारे वरिष्ठ नेता मोइली साहब भी यहां पर बैठे हैं, जब वह संविधान संशोधन आया था तो उस पर बहुत चर्चा हुई थी। 93वें संविधान संशोधन से इस देश के पिछड़े वर्ग के युवाओं को, बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में, आई.आई.टी., आई.आई.एम., उस वक्त के एम्स में आरक्षण देने की बात हुई थी और इसका श्रेय हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और यू.पी.ए. की अध्यक्ष सोनिया जी और उस वक्त के यू.पी.ए. के सभी घटक दलों को जाता है। मैं मोइली जी को धन्यवाद दूंगा

कि उनकी अध्यक्षता में वह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने 93वां संविधान संशोधन बिल लाया था, जिससे बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिला था।

अभी आपने कहा कि हमने यह लाया। अब अगले महीने में इस सरकार को तीन साल होने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सदस्य हुक्मदेव जी ने भी यह बात कही थी कि कांग्रेस के समय यह हुआ था। यह जरूर हमारे समय में हुआ था। हम से देरी हुई, लेकिन आपको इसे लाने में तीन महीने नहीं, बल्कि तीन साल लगे। अगर सरकार इतनी ही इसके लिए इच्छुक थी, इतना ही करना चाह रही थी तो वर्ष 2015 में मैं इसके बारे में एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाया था कि आप इसके लिए संविधान संशोधन कीजिए, अगर आप इसके पीछे इतना ही लगे थे तो आप उसे गवर्नमेंट बिल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते। दो साल पहले ही इसे एक्सेप्ट करके इसे मान लेते तो हम तो उस वक्त भी आपका अभिनंदन करना चाह रहे थे। इसके लिए आपको तीन साल क्यों लगे?... (व्यवधान) आप कह रहे थे कि पांच राज्यों के चुनाव के लिए आचार संहिता लगी हुई थी।... (व्यवधान) क्या पिछले तीन सालों से पांच राज्यों के चुनाव थे?... (व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): आपने जो 67 सालों में नहीं किया, वह हमारी सरकार ने तीन सालों में करके दिखाया है।... (व्यवधान)

श्री राजीव सातव: आपने तीन सालों में इसे क्यों नहीं किया, यह सवाल हम पूछना चाह रहे हैं।... (व्यवधान) हमने क्या नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा नहीं चल रही है।... (व्यवधान) सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए मदद करना, ओबीसी को कंस्टीट्यूशनल स्टेटस मिलने के लिए तीन साल क्यों लगे, यह सवाल देश पूछना चाह रहा है।... (व्यवधान) यह तीन महीने में होना चाहिए था, जो आप नहीं कर सके, हमारा यह सवाल इसके बारे में है।... (व्यवधान) हम यहां पर यह सवाल पूछना चाह रहे हैं।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, you please address the Chair.

... (Interruptions)

18.00 hours

श्री राजीव सातव : जब आप ओ.बी.सी. कमेटी की बात करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है।... (व्यवधान) जब किसी आदमी को कोई चीज चुभती है, तो वह बोलता ही है और उसका विरोध भी होता है। ... (व्यवधान) आप जरूर विरोध कीजिए।

HON. CHAIRPERSON : Now it is 6 o'clock. Let me have the sense of the House for extending the time.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, we may continue up to 6.30 p.m.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended till his speech is completed.

श्री राजीव सातव : सर, इस विषय को मंडे को कर लेते हैं।..(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now the time of the House is extended. Anyway, you have started. Please continue.

श्री राजीव सातव : सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर मंडे को चर्चा हो, सभी लोग बैठे हो, अगर हमारे प्रधान मंत्री जी भी आ जाएंगे, तो ठीक रहेगा।

संसद की जो ओ.बी.सी. कमेटी है, इसके अध्यक्ष श्री हांडिक जी रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी अभी यहां पर बैठे हुए हैं, श्री राजेन गोहेन जी भी हमारे मंत्री हैं और श्री गणेश सिंह जी भी यहां पर हैं। पिछले पाँच-छह सालों में सभी सदस्यों का कंट्रीब्यूशन इस कमेटी में रहा है। इन्होंने संसद के सामने ओ.बी.सी. के डिमांड को रखने का काम किया है। जब हमने ओ.बी.सी. की चार डिमांड माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने रखी थी, उसमें से एक डिमांड के बारे में हम अभी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा सरकार से यह सवाल है कि एक डिमांड की चर्चा तो हम कर रहे हैं और इसके लिए आप इतना श्रेय भी ले रहे हैं। आप इसका श्रेय जरूर लीजिए, हम इसके लिए आपको बधाई भी देंगे, लेकिन बाकी तीन डिमांड्स के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी को बोलने की जरूरत है। आप इसके बारे में डरिए नहीं और न ही चुप रहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये तीन डिमांड्स कब पूरा करने वाले हैं।

आप ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ओ.बी.सी. के लिए अलग मंत्रालय की घोषणा कब कर रहे हैं? आप पूछेंगे कि ओ.बी.सी. के लिए अलग मंत्रालय क्यों चाहिए, किस लिए मंत्रालय चाहिए? मैं कहता हूँ कि ओ.बी.सी. के लिए एक अलग मंत्रालय जरूर चाहिए। यदि हम ओ.बी.सी. कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, तो पता चलेगा कि प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में ओ.बी.सी. कमेटी ने सरकार को लिखा है; क्या लिखा है, प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप कितनी हैं? पहली क्लास से चौथी क्लास के बच्चों के लिए 25 रुपये, छठी क्लास से आठवीं क्लास के बच्चों के लिए 40 रुपये और नौवीं क्लास से दसवीं क्लास के बच्चों को 50 रुपये की स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 50 रुपये में ओ.बी.सी. का बच्चा एक

पेन भी नहीं खरीद सकता हैं, 20 रूपये में एक नोटबुक भी नहीं आ सकती है। इस तरह की स्कॉलरशिप यहां पर है। मंत्री जी आप जा रहे हैं,...(व्यवधान) आप नहीं सुनिएगा तो फिर कौन सुनेगा, मंत्री जी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं...(व्यवधान) मंत्री जी आप चले जाएंगे, तो कौन लोग उत्तर देंगे।...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: अभी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी मौजूद है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He will note down and tell him. मिनिस्टर जी जवाब देने के लिए तैयार है। जब रिपलाई होगा, तो वे जवाब दे देंगे। कृपया, आप अपनी बात जारी रखे।

श्री राजीव सातव : यहां पर समिति ने ओ.बी.सी. के स्कॉलरशिप की बात सरकार के सामने रखी है। अगर आप ओ.बी.सी. के छात्रों को 25 रूपये की स्कॉलरशिप देंगे, तो 25 रूपये में ओ.बी.सी. का छात्र क्या करेगा। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाह रहा हूं। ओ.बी.सी. छात्रों के लिए जितनी पर्याप्त राशि मुहैया कराना चाहिए, वह सरकार द्वारा नहीं हो रही है। ओ.बी.सी. की तरफ सरकार का पूरी तरह से ध्यान नहीं है, इसलिए मैं इस सवाल को सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

अभी हमारे वरिष्ठ सांसद श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी ने यह बात रखी कि ओ.बी.सी. कमेटी ने बहुत कुछ सुझाव दिया है। मैं कहता हूं कि हमारे समय में काम नहीं हुआ, अब हम विपक्ष में बैठे हुए है, आप पिछले तीन साल से सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन सालों में समिति के रिपोर्ट पर क्या अमल हुआ, तीन साल से इस रिपोर्ट पर क्या काम हुआ है? यह सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। क्या ओ.बी.सी. के एन.जी.ओ. के लिए पैसा आया, अगर आया तो वह कितना पैसा आया? आप इसके बारे में जरा बताइए। क्या ओ.बी.सी. के लिए कोचिंग क्लासेस का प्रावधान है? आपने ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, आपने कहा कि हम ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आप ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन इनके वेलफेयर के लिए क्या आप अलग से फंड दे रहे हैं? इसका जवाब है कि आप अलग से फंड नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं कि जो बचा-खुचा है, उसमें से गुजारा करो, इससे ओ.बी.सी. का कभी भी भला होने वाला नहीं है। यह ओ.बी.सी. के ऊपर अन्याय है।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अगर एस.सी. तथा एस.टी. के बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की क्लासेस मिलता है, तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओ.बी.सी. के बच्चों के लिए भी एस.सी. एवं एस.टी. बच्चों की तरह जिस प्रकार आप अलग फंडिंग का प्रोविजन करते हैं। इनके लिए, इनकी कोचिंग क्लासेज के लिए आप अलग फंडिंग कब करने वाले हैं? नेशनल बैंकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोरपोरेशन के लिए फंडिंग कम है। इसके

लिए फंडिंग कम है। इसकी फंडिंग नहीं हो पा रही है। इसकी फंडिंग से जो ओबीसी का विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं हो पा रहा है।

महोदय, मैं यहां पर मेशन करना चाहूंगा कि यह जो प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसकी तो बड़ी अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में जीरो बनेफिशियरीज है। क्या ओबीसी के बच्चे मध्य प्रदेश में नहीं हैं, क्या ओबीसी के बच्चे हरियाणा में नहीं हैं, क्या ओबीसी के बच्चे हिमाचल प्रदेश और बाकी सब प्रदेशों में नहीं हैं? यह सवाल हम यहां पर पूछना चाह रहे हैं। सरकार को इसकी राशि बढ़ाने की जरूरत है। अगर 25-25 रुपये आप देंगे तो ओबीसी के बच्चों का कभी इसमें भला नहीं हो सकता है। इनमें अधिकतर जगह राज्य सरकार भाजपा की है। इसलिए कहीं न कहीं ओबीसी की तरफ पूरा नेगलेक्ट करने की बात यहां पर सरकार की है।

गौरव जी ने अभी कहा कि ओबीसी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड हॉस्टल्स हों। उनके लिए हॉस्टल्स कब बनेंगे? अगर उनके लिए हॉस्टल्स बनाना है, तो उसके लिए राशि का प्रावधान करने की जरूरत है। आप कब राशि का प्रावधान करेंगे? अगले दो साल आप कहेंगे कि ओबीसी के कमीशन को हमने कांस्टीट्यूशन स्टेटस दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या बाकी राशि देंगे, बाकी राशि कब देंगे? यह सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। इसका जवाब मंत्री जी दें। मंत्री जी जब पुरानी बातें कर रहे हैं तो पुरानी बातों के साथ नई बातों की तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। ... (व्यवधान) बैकवर्ड रीजन का फंड आपने काट दिया। ओबीसी के लिए हर स्टेट में, महाराष्ट्र में ओबीसी की अलग मिनिस्ट्री बनी, तो इस देश में अलग मिनिस्ट्री क्यों नहीं, यह सवाल भी हम आपके माध्यम से यहां रखना चाहते हैं।

ओबीसीज बच्चों के लिए रेजीडेंशियल स्कूल्स की बात हो सकती है। उनके वेलफेयर के लिए अलग-अलग हॉस्टल फैसिलिटी और अलग-अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कहीं न कहीं स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात हो सकती है। इस दिशा में कोई पहल, कोई कदम इस सरकार ने पिछले तीन सालों में नहीं उठाया है। उस कदम के बारे में, उस पहल के बारे में सरकार यहां बात करे।

मैंने वर्ष 2016 में इसी सदन में, एक बिल पेश किया था। वह बिल प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन के बारे में था। यह सरकार ओबीसीज के हित के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट्स के हित के लिए, एससीज के हित के लिए इतना ही ध्यान देना चाह रही है तो क्या प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान करेंगे? अगर प्रावधान करने की आपकी तैयारी है, तो लाइए बिल, हम उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसमें मदद करना चाह रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो एससी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है, जो ओबीसी का बच्चा है, उसके उद्योग में मदद के लिए क्या सरकार द्वारा कोई नई पहल आ रही है?

आप मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं। यहां पर इतने सांसद बैठे हैं, कोई बैंक किसी भी सांसद की सुनती नहीं है। अगर सुनती है, तो बाद में मदद भी नहीं करना चाहती है। यह प्रॉब्लम मुद्रा लोन के बारे में है। ओबीसी के बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या-क्या स्कीम्स आपके पास हैं सरकार को यह सामने लाना चाहिए। जो प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन का बिल पिछले साल दाखिल किया था, उसको आप सरकार के बिल के रूप में लाइए, यह मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा।

आप ओबीसीज के स्टैटस की बात कर रहे हैं, ओबीसीज को ताकत देने की बात कर रहे हैं। क्या हायर जुडीशियरी में ओबीसीज हैं, क्या हायर जुडीशियरी में एससीज हैं, क्या हॉयर जुडीशियरी में एसटीज हैं। इसका उत्तर है नहीं। इसलिए मेरा सरकार से यह कहना है कि अगर आप सचमुच ही इसके बारे में सोचना चाह रहे हैं, अगर आप एससीज, एसटीज, ओबीसीज को एंपावर करना चाह रहे हैं, तो बिल लाइए। मेरा बिल हाउस में है, प्राइवेट मेंबर बिल है, रिजर्वेशन इन हॉयर जुडीशियरी। आप कब सरकारी बिल लेकर आना चाह रहे हैं? बताइए, यह सदन आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए हॉयर जुडीशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। सरकार कब यह पहल उठाएगी? मंत्री जी अपने उत्तर में इस बारे में बतायें। आप वह बिल लेकर आइए। हम आपका समर्थन करेंगे, यदि आप रिजर्वेशन हॉयर जुडीशियरी में लाएंगे, आप रिजर्वेशन प्राइवेट सैक्टर में लाएंगे। आप एक-एक बातों को जो ओबीसीज के वेलफेयर के लिए लाएंगे, हम उनका समर्थन करेंगे।

आप एक काम करेंगे ओबीसी के लिए और अगले दो साल उसको बताएंगे, वह नहीं चलेगा। आप बताइए कि कब ओबीसी की मिनिस्ट्री आप करने वाले हैं, आप बताइए कि कब हॉयर जुडीशियरी का बिल लाएंगे? इन सब बातों की चर्चा यहां करने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं यहां रखना चाहूंगा। यह बिल तो आप लाए। हर वक्त आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। कांस्टीट्यूशन स्टैटस में क्या आपने मैनडेट्री बनाया कि कम से कम एक महिला सदस्य उस आयोग में हो। अगर उस आयोग में एक भी महिला सदस्य नहीं रहेगी, मेरी आपसे विनती है कि आपके पास अभी भी समय है, आप सोमवार को इसका अमेंडमेंट लेकर आइए। जो 5-6 सदस्य इसमें हैं, उनमें एक महिला सदस्य का प्रावधान भी होना चाहिए। मैं सिर्फ ओबीसी आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी अमेंडमेंट्स लेकर आइए। कम से कम 1-2 महिलाएं हर कौन्सटीट्यूशनल बॉडी में आनी चाहिए। आप हमारी तरफ से आने वाले समय में इस बिल में यह प्रोविजन लाइए। हम उसका स्वागत करेंगे।

मैं आपके सामने एक बहुत गंभीर बात रखना चाहूंगा।...(व्यवधान) आप कह रहे हैं कि कौन्सटीट्यूशनल स्टैटस दे रहे हैं। इसका स्वागत है, लेकिन बताना चाहूंगा कि आपने जो नेशनल कमीशन

फॉर बैकवर्ड क्लासेज़ बनाया, उसके चेयरपर्सन की पोस्ट रिक्त है, मैम्बर की पोस्ट रिक्त है, बाकी सभी मैम्बर्स की पोस्ट रिक्त है।

अब मैं शैड्यूल्ड कास्ट्स की बात करना चाहूंगा। शैड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन में भी सबकी पोस्ट रिक्त है। आपने शैड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन को कौन्सटीट्यूशनल स्टेटस दिया है। वहां चेयरमैन नहीं भरेंगे, मैम्बर नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। सिर्फ कौन्सटीट्यूशनल स्टेटस देने से नहीं होगा। इसमें एक नया अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। शायद हुकुमदेव साहब भी इस बारे में मेरे साथ रहेंगे। अगर वेकेंसी रहेगी तो किसका भला होगा। अगर आप एक-एक साल तक चेयरपर्सन, मैम्बर नहीं भरेंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, हमारे सामने यह सवाल है। इसलिए हमने अमेंडमेंट दी है जिसमें यह है कि 90 दिन से ज्यादा वेकेंसी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर यह अमेंडमेंट सरकार की तरफ से आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। सरकार की तरफ से कम से कम दो अमेंडमेंट आने चाहिए - एक, उसमें कम से कम एक महिला का प्रावधान हो और 90 दिन के अंदर वेकेंसी भरें।

दूसरा, जब हम प्रधान मंत्री जी से मिले थे, तब उनसे विनती की थी कि क्रिमिलेयर की लिमिट बढ़ाए। उस बारे में डिक्लेयर कीजिए। यह मेरा कहना नहीं है बल्कि सदन के सभी सांसदों का कहना है कि 5-6 लाख रुपये की लिमिट क्या होती है। साधारण बच्चा 5-6 लाख रुपये में क्या करेगा और उसे कैसे फायदा होगा। इसलिए कमेटी ने क्रिमिलेयर की लिमिट बढ़ाने की मांग सर्वसम्मति से की है। अगर उस बारे में आपकी तरफ से सोमवार को घोषणा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी।

मैं छटी बात रखना चाहता हूं कि यूपीए सरकार में वर्ष 2011 में कॉस्ट सैन्सस हुआ। हमारी विनती है कि आप कॉस्ट सैन्सस डिक्लेयर कीजिए। उसके आधार पर सब लोगों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व मिले, कैसी ताकत मिले, इस प्रकार काम करने की जरूरत है।

अभी महताब जी और सभी साथियों ने बात रखी कि अगर आप इसे सचमुच एम्पावर करना चाह रहे थे तो तीन साल क्यों लगाए, देश यह सवाल पूछना चाहता है। आप कहेंगे कि आपके समय में नहीं हुआ। हम अपने समय में नहीं कर पाए, लेकिन आपने इसके लिए तीन साल क्यों लिए, हम यह सवाल भी पूछना चाहते हैं। आप इसका जवाब जरूर दीजिए। आपके समय में भी 3-3 रिपोर्ट्स आई हैं। उन पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। हमने यहां कई बातें रखीं।... (व्यवधान) गणेश सिंह जी और हमने इस पर बहुत डेलिब्रेटली बात की है। आप कौन्सटीट्यूशनल स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन जिस चेयरपर्सन को रखेंगे, उसकी वेकेंसी न हो पाए, इसे जिस प्रकार एम्पावर किया गया है, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, ये सभी बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हुकुमदेव साहब यहां जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसमें जो-जो बातें आई हैं, हमारे समय में नहीं हुआ, लेकिन आपने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन को पिछले दो सालों में कितना फंड बढ़ाकर दिया, कृपया इस बारे में बताइए। इसमें कितने

राज्यों ने लाभ लिया, ओबीसीज को कितना लाभ मिला, हम 27 प्रतिशत की बात करते हैं। हमने ओबीसी कमेटी में हर डिपार्टमेंट को बुलाया, लेकिन एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था, जिसने 27 परसेंट का आरक्षण फुलफिल किया हो, अगर सरकारी उद्योगों में यह बात है, आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में तो ओबीसी, एससी, एसटी कहीं दिखेगा ही नहीं। यह सवाल हमारे सामने है। अगर सरकार सही मायने में ओबीसी के हित में लगना चाह रही है या इस कमीशन को कंस्टीट्यूशनल स्टेटस दे रही है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, लेकिन उसमें जो कमियां हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। ओबीसी मंत्रालय क्रीमीलेयर लिमिट को बढ़ाए, हमने तीन-चार बातें प्रधानमंत्री जी के सामने रखी थीं, आप कास्ट सेन्सस को डिक्लेयर कीजिए, कास्ट सेन्सस के आधार पर सभी को आर्थिक ताकत देने की बात कीजिए।

सभापति जी, सरकार बताना चाह रही है कि हम लाए, आप जरूर लाए, लेकिन आपने तीन साल ले लिए और तीन साल का समय लेना बहुत बड़ी बात है, तीन साल ओबीसी के गए जिसे आप तीन साल पहले इम्पॉवर कर सकते थे। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ लेकिन दो-चार अमेंडमेंट्स सरकार लाए, अगर आप नहीं लाना चाह रहे हैं तो हम लेकर आएंगे उसे आप स्वीकार करें। राज्यों के अधिकार के ऊपर कमी आने की बात कुछ साथियों ने की, उसके बारे में सरकार द्वारा जरूर स्पष्टीकरण आना चाहिए।

मंत्री जी से मेरा आग्रह है, आप मंत्री हैं, मंत्री की तरह बात रखिए, आप अभी भी विपक्ष में लग रहे हैं। आपका बर्ताव मंत्री की तरह होना चाहिए। आपसे कौन छेड़छाड़ करेगा, आपकी सरकार है, पूरी मशीनरी आपकी है, आप कह रहे हैं कि हमें मत छोड़िए, हम कौन छोड़ने वाले हैं, यहां एंटी रोमियो स्क्वॉड भी नहीं है और हमारा छोड़ने का मकसद भी नहीं है। एक मंत्री दूसरे मंत्री को छोड़ रहे थे, हम किसको छोड़ रहे थे।

हम बिल का समर्थन करते हैं लेकिन सरकार ने अभी भी ओबीसी के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है, इस पर सरकार को ज्यादा देने की जरूरत है। राज्यों के अधिकार छीनने की बात आ रही है, अगर महाराष्ट्र से किसी कास्ट को इनक्लूड करना है, क्या केन्द्र उसे परमिट करेगा? क्या कल इसके बारे में चर्चा होगी? यह सवाल हमारे सामने है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, सरकार ने अभी थोड़ा किया है और बहुत कुछ अभी बाकी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हुस्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भारत सरकार के मंत्रिमंडल को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जो करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं उनकी ओर से आभार प्रकट कर रहा हूँ। यह मांग बहुत पुरानी है, यह आज की नहीं है। अगर जिस समय हिन्दुस्तान में अनुसूचित और जनजाति आयोग बना था, उसी समय अगर पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया होता, तो पिछड़े वर्ग के लोगों का कितना आर्थिक विकास हो गया होता, वे कितने ऊपर चले गए होते, वे कहां तक चले गए होते।

उस समय अगर वे कहीं सरकारी नौकरी में आए होते तो आज पदोन्नति पाते-पाते सचिव के स्तर के पहुंच गए होते, संयुक्त सचिव के स्तर पर पहुंच गए होते, लेकिन उस समय हमें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। उस समय केवल एक कमीशन बनाया गया। गहलोट जी ने बताया कि 11 सदस्यीय काका कालेकर कमीशन 1953 में बना था, वर्ष 1955 में इसकी रिपोर्ट आई। अगर उस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए कुछ किया गया होता और कमीशन बना दिया गया होता, इस पर थोड़ा-थोड़ा काम हुआ, लेकिन अगर बुनियादी परिवर्तन हुआ होता और वह कमीशन उसी समय से काम करना शुरू कर देता तो राजीव जी, मैं सोचता हूँ कि आज हमारे समाज का कितना रूपांतरण हुआ होता, कितनी उन्नति हुई होती, कितना विकास हुआ होता। मुझे लगता है कि ओबीसी समाज के प्रति किसी के मन में अवरोध रहा है, कोई कुंठा रही है कि इस समाज को बहुआयामी विकास से रोकना चाहिए, इसे रोकने का प्रयत्न किया गया। मैं इस बात के लिए बहुत दुख प्रकट करता हूँ कि अगर उस समय यह बन गया होता तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती, हमारे बच्चे बहुत आगे निकल गए होते और हमारे समाज का रूपांतरण हो गया होता। यह नहीं बना, क्यों नहीं बना, इसमें जाने के बनिस्बत हमें यह सोचना चाहिए कि जब से हमें यह अधिकार मिला, उसके बाद से यह अधिकार पूरा कैसे मिले, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, वर्ष 1979 में मंडल कमिशन बना था। उस समय मैं जनता पार्टी का सदस्य था और इसी पक्ष में बैठता था। उस समय गृह मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग चौधरी चरण जी के पास गये और उनसे निवेदन किया कि एक कमिशन बना दिया जाये या काका कालेलकर कमिशन को लागू किया जाये। आदरणीय चौधरी साहब ने कहा कि काका कालेलकर कमिशन को लागू करने में कठिनाई है। अगर आप कहें, तो मैं एक अलग से कमिशन बना देता हूँ। आप लोग उस कमिशन के चेयरमैन का नाम बता दें, ताकि हम उनकी अध्यक्षता में कमिशन बना दें। हम लोगों ने आपस में सोचा कि बिहार के एक बड़े दबंग नेता थे, जिनका नाम श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल था और वे बिहार में मुख्य मंत्री भी रह चुके थे और मंत्री भी रह चुके थे। हम लोगों ने उनका नाम लिया और उनकी अध्यक्षता में वह कमेटी बन गयी। वह पांच सदस्यीय समिति थी और उस कमेटी ने काम किया।

उस समिति ने 3 दिसम्बर, 1980 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को उस समय मान लिया गया होता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया होता, तो आज यह प्रॉब्लम न होती। जो पिछड़े समाज के लोग थे, उनके जो पारम्परिक काम थे, इस हिन्दुस्तान में जाति प्रथा और वर्ग भी है। हमारे लिए जो शब्द आया है, उस पर गौर करने की बात है। वहां शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स है और हम बैकवर्ड क्लास हैं। अगर इसका विश्लेषण करेंगे, तो कास्ट, ट्राइब और क्लास में बहुत अंतर है। यह बैकवर्ड क्लास क्यों बना, इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। हम क्लास हैं, बैकवर्ड कास्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी पेशे से हमारी जाति बनी है। अब गिट्टी, मिट्टी, लोहे, लकड़ी, चमड़े, जाल, बांस और उस्तरा चलाने वाले की पेशे के अनुसार ही जातियां बना दी गयीं और उन्हें उस पेशे के अंदर कैद कर दिया गया।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में जो बोल रहा हूँ, उसे हिन्दुस्तान के लोग सुन रहे होंगे। मैं उन सबको जानकारी देने के लिए बोलता हूँ। डॉ. लोहिया कहा करते थे, जाति प्रथा में लिखा है कि जब जाति चलायमान रहती है, तो वह वर्ग बनती है और जब वर्ग गतिहीन हो जाता है, तो जाति बन जाती है। हिन्दुस्तान में जाति चलायमान थी, तो वर्ग बनता था। जब वर्ग गतिहीन हो गया तो जाति बन गई। गिट्टी का काम करने वाला व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, लेकिन वह गिट्टी वाला ही होगा। मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार के घर में पैदा होगा, तो वह कुम्हार ही होगा, चाहे वह कितना बड़ा विद्वान हो। अगर चमड़े का काम करने वाले के घर में कितने भी विद्वान हों, लेकिन वे उसी जाति के रहेंगे। हमें उस आर्थिक अधिकार के तहत सीमित कर दिया गया और उसमें हमें कैद कर दिया गया। हम कटघरे में कैद रहे, छटपटाते रहे। मंडल कमिशन ने यह भी सिफारिश की थी कि पिछड़ी जाति के लोग, जो पारम्परिक पेशा करने वाले हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की जाये, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह किसी कारण से हो, जनता दल के आंतरिक द्वेष के कारण हो, अंतर-विरोध के कारण हो, किसी भी कारण हो, लेकिन वी.पी. सिंह जी ने मंडल कमिशन को लागू किया और 27 परसेंट आरक्षण दिया। मैं उस समय उसी दल में था। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आज मुझे प्रथम वक्ता के रूप में चुना गया है, उस समय भी पार्टी की तरफ से जनता दल ने मुझे मंडल कमिशन पर बोलने और समर्थन करने के लिए अपना पहला वक्ता बनाया था। मैं इस सदन में एक-सवा घंटे तक बोला था। माननीय आडवाणी जी आगे बैठते थे। मैं वहां से बोल रहा था जहां अभी हमारे संतोष जी बैठे हैं। मुझे वह सब याद है। मैं 4.9.1990 को डेढ़ घंटे तक बोला और अपने पक्ष को रखा कि आरक्षण क्यों चाहिए और इसकी किसलिए आवश्यकता है।

मंडल कमीशन पर पूरी चर्चा हुई। जब मैंने आरक्षण और मंडल कमीशन के बहुआयामी स्वरूप पर बोला था कि वह हमें क्यों चाहिए और अगर इतना काम कर दीजिए तो मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। जब मैं

बोलकर बैठा तो माननीय आडवाणी जी अपनी सीट से उठे, मेरी पीठ को थपथपाया और कहा कि आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह धन्यवाद मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर दे रहा हूँ, मैं इस सरकार को धन्यवाद देने वाला नहीं हूँ। माननीय आडवाणी जी के प्रति मैं आभारी हूँ कि उन्होंने “मेरा देश मेरा जीवन” नाम से जो किताब लिखी, उसके पेज संख्या 360 - दो वर्षों में दो प्रधानमंत्रियों का आना-जाना, पर एक पैराग्राफ में उन्होंने मेरे इस भाषण की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है :

“इस विषय पर उनका भाषण, अब तक का सर्वश्रेष्ठ भाषण रहा है। वास्तव में बहस के तुरन्त बाद मैं उनके पास गया। उनके द्वारा भाषण में जोशपूर्ण तरीके से, तार्किक और निष्ठापूर्वक विचार रखने के लिए उन्हें बधाई दी। मैंने यह भी कहा कि मैं इस निष्ठा का प्रमाणपत्र उनकी सरकार को नहीं दे सकता।”

ये माननीय आडवाणी जी के शब्द हैं, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। उस समय भी मैंने अपने पक्ष को रखा था। मैं धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज भी मैंने यहां पक्ष रखा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने का एक कारण आडवाणी जी का स्नेह भी रहा। ...(व्यवधान) बाद में मैंने सोचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है। वर्ष 1964 में लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कानपुर में एक शिविर में विशेष रूप से गए थे। लोहिया जी और दीनदयाल जी ने भारत-पाक महासंघ बनाने के बारे में संयुक्त बयान दिया था। वह बात आज भी रिकॉर्ड में होगी। इन सभी के कारण मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें जाकर मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं सभी राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाता रहा और हर मंच पर माननीय अटल जी और आडवाणी जी बैठे रहे, लेकिन मुझे हर बार बुलाते थे। हर बार मैं उस मंच से ओबीसी की बात करता था, पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात करता था, गांव-गरीब-किसान की बात करता था और मुझे इसलिए बोलने के लिए कहा जाता था कि हिन्दुस्तान के लोग जानें कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं और इस पार्टी की दृष्टि क्या है। मैं उस समय कहता था कि ओबीसी का मतलब क्या है? ओबीसी का मतलब है - ओरिजिनेटर, बिल्डर एंड क्रिएटर। हम ओरिजिनेटर हैं, हम बिल्डर हैं, हम क्रिएटर हैं। हम ओरिजिनेट करते हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, नए-नए बर्तन की डिजाइन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उनको रंगते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। हम मिट्टी को लाते हैं, रंगते हैं, सजाते हैं, उससे मूर्ति बनाते हैं और दुनिया उस मूर्ति को पूजकर वरदान मांगती है कि हे सरस्वती माता, मुझे विद्या दो। लक्ष्मी माता, मुझे धन दो। काली माता, मुझे शक्ति दो। उनको बनाने वाले हम लोग हैं, कलाकार हम लोग हैं, लेकिन हमारी कला को सम्मान नहीं दिया गया,

प्रतिष्ठा नहीं दी गयी। मैं इसी क्रम में कहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी को इसके लिए जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
...(व्यवधान) राजीव जी, सभी काम तुरंत नहीं होते हैं।

“धीरे-धीरे रे मना, धीरे कारज होई।
माली सींचे सौ गुना, ऋतु आए फल होए।”

अभी सिर्फ तीन साल हुए हैं। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ...(व्यवधान) जब मैं बोलता हूं तो आप समझ लीजिए:

“जो तार से निकली है, वह धुन सबने सुनी है।
जो साज़ पर बीती है, वह किसको खबर है।”

हम तो भोगने वाले रहे हैं। हम पर जो जुल्म हुए, अत्याचार हुए, हम उनको भोगने वाले रहे हैं। सहने वाले रहे हैं। मैं हिन्दुस्तान के पिछड़े वर्गों के लोगों की सहनशीलता को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं कि वे सब कुछ सहते रहे, पशु के जैसे जिन्दगी जीते रहे, फिर भी वे भारत माता के प्रति समर्पित बने रहे। वे देश के विद्रोही नहीं बने, उन्होंने देश में बगावत नहीं की, वे आतंकवादी नहीं बने, उन्होंने इस आशा और विश्वास के साथ इस देश में अपने को जमाए और खपाए रखा कि एक न एक दिन ऐसा आएगा, जब कोई मेरी बात को सुनेगा। मुझे वह सम्मान दिलाएगा। मेरे बच्चे भी कभी थोड़े दिन के लिए ही सही, स्वर्ग लोक की यात्रा करके आएंगे। आज हुक्मदेव नारायण यादव हिन्दुस्तान के उसी स्वर्ग लोक से खड़े होकर दुनिया को संदेश दे रहा है।

HON. CHAIRPERSON: Hukmdeo ji, you can continue your speech next time.

Now, the House stands adjourned to meet again on Friday, 7th April, 2017
at 11 a.m.

18.31 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 7,
2017/ Chaitra 17, 1939 (Saka).*
